खण्ड–13, अंक–4
मंगलवार, 08 चैत्र, शक संवत् 1927
(29 मार्च, 2005 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)
(प्रथम विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2005)

(खण्ड 13 में 9 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2005

ल्य :

विषय सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	....	"क"
बंगाली समुदाय नमः शुद्र, पोद, पौण्ड्र व माझी आदि को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने को नियम 311 के अन्तर्गत उठाये जाने का प्रयास	....	1–2
प्रश्नोत्तर	....	2–34
सत्रावसान के उपरान्त आगामी सत्र हेतु प्रश्न प्राप्त किए जाने हेतु अपनायी गयी प्रक्रिया के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	....	34–36
नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	36
उत्तरांचल राज्य सहकारी विपणन संघ लि0 देहरादून में प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के निर्वाचन हेतु पर्वतीय क्षेत्र के प्रतिनिधित्व को कम करके मैदानी क्षेत्र को अधिक प्रतिनिधित्व देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	36–37
जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट के अन्तर्गत जिला पंचायत पैदल मार्ग चौरपाल–नागघूणा–रैतोला के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	37
प्रबन्ध समिति इन्टर कालेज योगरौण, रामपुर वि0ख0 चौखुटिया जनपद अल्मोड़ा के प्रान्तीयकरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	37
जनपद रुद्रप्रयाग में वि0ख0 ऊखीमठ के अन्तर्गत ब्यूगगाड़ में क्षतिग्रस्त पैदल पुल के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	38
जनपद चमोली के प्राथमिक विद्यालय में चलाई जा रही मध्याह्न भोजन योजना में धन की व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	38
विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल के जाखणीखाल–व्यासघाट मोटर मार्ग को यातायात हेतु खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	38–39
जनपद पिथौरागढ़ के तहसील मुन्स्यारी के मल्ला भैंसकोट मोरियागाड़ा में उत्पन्न पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	39
जनपद पिथौरागढ़ के बेरीनाग, काली विनायक, पुराना थल तथा ताड़ीगाँव मोटर मार्ग का डामरीकरण किए जाने के सम्बन्ध में याचिका ———— (उपस्थित की गई)	....	39

विषय		पृष्ठ संख्या
उत्तरकाशी नगर को तीर्थ नगरी घोषित करने तथा नगर में तीर्थ सुधार अधिनियम लागू किये जाने के सम्बन्ध में याचिका ---------------------- (उपस्थित की गई)	....	39
जनपद नैनीताल के वि0ख0 भीमताल के अन्तर्गत ज्योलीकोट अथवा बल्दियाखान में शीतगृह निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका-----------(उपस्थित की गई)	....	40
जनपद नैनीताल के विकास खण्ड भीमताल, ग्राम सभा देवीधूरा में ग्राम जमीरा से बल्दियाखान जीप मार्ग का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका---------(उपस्थित की गई)	....	40
नये जनपद कोटद्वार की स्थापना के सम्बन्ध में याचिका -------(उपस्थित की गई)	....	40
बेसिक शिक्षा अधिकारी, चमोली के विरुद्ध अधिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर कार्यवाही की स्थिति	....	40
दून विश्वविद्यालय विधेयक, 2005-----------(पुरःस्थापित)	....	41
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	....	41–58
उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्री तथा अधिकारियों की उपलब्धियां और पेंशन) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2005 ---------(पारित)	....	58–60
वित्तीय वर्ष, 2005–2006 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा	....	60–104
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	....	104
नत्थी	....	105–108

"क"

उपस्थिति

1—श्री अजय भट्ट
2—श्री अनिल नौटियाल
3—डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4—श्रीमती अमृता रावत
5—श्रीमती आशा देवी
6—श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
7—श्री उम्मेद सिंह माजिला
8—श्री काशी सिंह ऐरी
9—श्री किशोर उपाध्याय
10—श्री कैलाश शर्मा
11—श्री कौल दास
12—श्री गगन सिंह
13—श्री गणेश प्रसाद गोदियाल
14—श्री गोपाल सिंह राणा
15—श्री गोबिन्द लाल
16—श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
17—श्री चन्द्रशेखर
18—श्री जोत सिंह
19—श्री तसलीम अहमद
20—श्री तिलक राज बेहड
21—श्री तेजपाल सिंह रावत
22—श्री दिनेश अग्रवाल
23—श्री नव प्रभात
24—श्री नारायण पाल
25—श्री नारायण राम आर्य
26—श्री नारायण सिंह जंतवाल
27—श्री प्रकाश पंत
28—कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
29—डा0 प्रताप बिष्ट
30—श्री प्रदीप टम्टा
31—श्री प्रीतम सिंह
32—श्री प्रीतम सिंह पंवार
33—श्री प्रेमानन्द महाजन
34—श्री पुष्पेश त्रिपाठी
35—श्री फूल सिंह बिष्ट
36—श्री बलबीर सिंह नेगी
37—श्री विजयपाल सिंह सजवाण
38—श्री बिशन सिंह चुफाल
39—श्री भगत सिंह कोश्यारी
40—श्री मदन कौशिक
41—श्री मन्त्री प्रसाद नैथानी
42—श्री महेन्द्र भट्ट
43—श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)
44—श्री मातबर सिंह
45—श्री माल चन्द्र
46—चौ0 यशवीर सिंह
47—श्री रणजीत सिंह
48—श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
49—श्री राम प्रसाद टम्टा
50—श्रीमती विजय बड़थ्वाल
51—श्री शूरवीर सिंह
52—डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
53—श्री सहजाद
54—श्री सुबोध उनियाल
55—श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
56—श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
57—श्री सुरेश चंद
58—श्री हरबंस कपूर
59—श्री हरभजन सिंह चीमा
60—श्री हरीदास
61—श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
62—श्री हीरा सिंह बिष्ट
63—श्री हेमेश खर्कवाल
64—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

मंगलवार, दिनांक 29 मार्च, 2005 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप देहरादून में दिन के 11.00 बजे पूर्वाह्न में अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

बंगाली समुदाय नमः शुद्र, पोद, पौण्ड्र व माझी आदि को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने को नियम 311 के अन्तर्गत उठाये जाने का प्रयास

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी 311 की सूचना है। कृपया इसे सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसको उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। मैं इसे नियम 56 में भी नहीं सुनूँगा।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, यह लाखों करोड़ों लोगों से जुड़ा मामला है।

(श्री नारायण पाल, श्री सहजाद, श्री हरीदास, श्री तसलीम अहमद और चौधरी यशवीर सिंह अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर जोर से अपनी बात को कहने लगे जिस कारण सदन में घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें। मैं इसे उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

(श्री नारायण पाल, श्री सहजाद, श्री हरीदास और श्री तसलीम अहमद अपनी बात को कहने के लिए "वैल" में आ गये)

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, हमें आपका संरक्षण चाहिए। अभी आपने यह कहा कि मैं इसे नियम 56 में भी नहीं सुनूंगा। हम अपनी बात को किससे कहें। आप हमें संरक्षण नहीं दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आप अन्य दलों को छोटे–छोटे मामलों पर भी बोलने की अनुमति दे देते हैं। यह तो बहुत लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। मान्यवर, अन्य राज्यों में बंगाली समुदाय की उपजातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है। हम इस बात को बहुत समय से सदन में उठाने की कोशिश करते रहे किन्तु हमें आपका इस सम्बन्ध में कभी संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। आज हमने अपनी बात को सदन में रखना चाहा तो आपने कह दिया कि हम इसे नियम 56 में भी नहीं सुनेगें। इससे लगता है कि आपका हमें संरक्षण नहीं प्राप्त है। आज तो हम अपनी बात को कह कर रहेंगे चाहे आप मार्शल का ही यूज क्यों न कर लें।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यह भारत सरकार का विषय है।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आप हमारी बात को सुन कर राज्य सरकार को सचेत तो कर सकते है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा ह्रदयेश)–

मान्यवर, केन्द्र सरकार को इस बारे में संस्तुति दो बार भेजी जा चुकी है। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको लंच में सुन लूँगा। (हंसी)

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री हरीदास "वेल" पर बैठ गये।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, हमें आपका संरक्षण चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें। मैं इस विषय को नियम 58 में ले लूँगा।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर चले गये।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

गरीबी रेखा से नीचे एवं अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को वर्ष 2004–05 में वितरित धनराशि का विवरण

**1–श्री प्रकाश पंत, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री कैलाश शर्मा–

क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि सरकार द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले तथा अनुसूचित जाति के वर्ग को दी जा रही विवाह, परिवारिक लाभ, बीमारी इत्यादि की सुविधा दी जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री महोदय वर्ष 2004–05 में मदवार वितरित की गयी सहायता राशि का सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

जी हाँ।

जी हाँ। वितरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ सं0 105 पर।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने अपने उत्तर भाषण में प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में जो विवरण संगठित किया उसमें निराश्रित विधवाओं की पुत्री की शादी हेतु अनुदान माह फरवरी, 2005 तक पूरे प्रदेश भर में 07 लाख रुपया अवमुक्त हुआ और 49 लाभार्थियों को लाभ दिया गया। लेकिन इसके साथ जो अनुपूरक सामग्री संलग्न की गयी उसमें यह कहा गया कि वित्तीय वर्ष 2004–2005 में 07 लाख के विपरीत माह फरवरी, 2005 तक 70 परिवारों को लाभान्वित किया गया, इसमें 07 लाख रुपये 59 परिवारों में आवंटित किया गया दर्शाया गया है। मान्यवर, इस तरह से यह उत्तर स्पष्ट नहीं है, यह सामग्री सही नहीं है।

वन एवं शहरी विकास मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूँ कि जो सात लाख रुपया जनपदवार दर्शाया गया है। इसमें टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जनपदों के लाभार्थियों को बाँटा गया है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसमें उल्लेख किया गया है, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं वह सही है या जो उत्तर भाषण आया है, वह सही है ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, 07 लाख रुपया से 70 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जनपदों में किया जाना है, जिसकी प्रगति अभी तक नहीं आयी है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यहाँ पर स्पेसिफिक उत्तर नहीं आया है। यदि 49 परिवार लाभान्वित हुए हैं जैसा कि उत्तर में दर्शाया गया है यह सही है या जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं वह सही है ? मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि जो सूचना यहाँ पर आयी है, उसको वापिस ले लें। यह सदन की गरिमा का सवाल है। सदन में सही सूचना आनी चाहिए।

मान्यवर, दूसरा यह कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम्य विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा माह मार्च, 2005 में आवंटित धनराशि रु0 461.34 लाख अवमुक्त की गई जिसके सापेक्ष रु0 357.89 लाख की धनराशि निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल को अवमुक्त की गई तो बाकी की धनराशि जो ग्राम्य विकास मंत्रालय द्वारा समाज कल्याण को दिया जाना चाहिए वह क्यों नहीं अवमुक्त की गई ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना शत प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना है, हमारे यहाँ राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत कुल 9213 आवेदन पत्र थे, इनके निस्तारण हेतु योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा माह मार्च, 2005 में राष्ट्रीय सामाजिक

सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत रु0 615.18 लाख की धनराशि मिली, हमें थोड़ा अतिरिक्त आवेदन प्राप्त हो गये हैं, जब पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत प्राप्त होंगे तो यह धनराशि निदेशालय द्वारा अवमुक्त कर दी जायेगी।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, उत्तर में कहा है कि फरवरी, 2005 तक लम्बित 9208 आवेदन–पत्रों को निस्तारित किया जायेगा। श्रीमन्, 2005 जाने वाला है तो मैं जानना चाहूँगा कि इसकी अद्यतन स्थिति क्या है ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, फरवरी तक की स्थिति प्राप्त थी और सूचना प्राप्त की जायेगी।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आपने उत्तर में लम्बित दिखाया और इसके बाद उत्तर में कहा कि निस्तारित कर दिया।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, 5 शेष हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो धनराशि अवशेष रह गई इसको कब तक अवमुक्त कर देंगे।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जैसे ही आवेदन–पत्रों की प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी, कर देंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, सी0ए0जी0 ने आपत्ति जताई कि आपने धनराशि अवमुक्त नहीं किया और उसे अपने खाते में जमा रखा गया, कोई धनराशि शेष नहीं है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, एक करोड़ तीन लाख की धनराशि है वह अवमुक्त हो जायेगी।

श्री मालचन्द्र–

मान्यवर, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो हैं उनको 10–5 हजार रुपया प्रति परिवार के हिसाब से चयनित किया गया तो क्या 5 हजार मिलेगा या 10 हजार होगा ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, शादी की सहायता के लिए 10 हजार रुपया है।

श्री मालचन्द्र–

मान्यवर, वहाँ 5–5 हजार ही मिल रहा है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इसको दिखवा लेंगे।

श्री महेन्द्र भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपने विधवाओं की पुत्रियों की शादी के आवेदन पौड़ी गढ़वाल, टिहरी चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी जनपदों के लिए वित्तीय व्यवस्था की है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या इन जिलों से आवेदन आये, यदि आये तो यह राशि अब तक क्यों नहीं वितरित की गई ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, 60 हजार वितरित हो चुका है।

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, जिन लाभार्थियों को अभी 10 हजार देने की बात कही गई। मैं कहना चाहता हूँ कि चमोली के अन्दर मेरे संज्ञान में 2 हजार और 5 हजार से ज्यादा किसी भी लाभार्थी को नहीं दिया गया। माननीय मंत्री जी कह रहे कि 10 हजार तक किया जायेगा।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जो बीमारी की सहायता है उसकी सीमा दो हजार है और शादी की सहायता की सीमा 10 हजार है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, निराश्रित विधवाओं के आवेदन आते हैं, मैं अन्य जनपदों की बात तो नहीं जानता मैं हरिद्वार की बात कहना चाहता हूँ, वहाँ पर जिला योजना की बैठक होती है जिनमें 20 आवेदन आते हैं। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि सब को दिया जायेगा। उसमें से दो–दो आवेदन स्वीकार करने की बात की जाती है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, निराश्रित योजना व विधवाओं की शादी का भौतिक लक्ष्य 50 का है। 50 को ही लाभ दिया जायेगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इसका क्या माप दण्ड है ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जिनको समिति द्वारा चयनित किया जायेगा उनको करेगी। प्रथम आओ प्रथम पाओ।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, विधायक कौन से दो को चयनित कर दें।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जो मानक है निराश्रित विधवाओं का और जितना हमको धनराशि प्राप्त होती है उतना हम देते हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, किन दो को हम चयन कर दें। (व्यवधान)

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं भी यही पूछना चाहता हूं कि क्या माप दण्ड है, क्या उसके मानक हैं ? दूसरा उत्तरालेख में आपने लिखा है "पारिवारिक लाभ योजना में माह फरवरी, 2005 तक लम्बित 9213 आवेदन–पत्रों में से कुल 9208 आवेदन पत्रों को निस्तारित किया जायेगा।" मान्यवर, उत्तरालेख तो पहले तैयार कर लिया गया था, आज यह सूचना सदन में आयी है, पौड़ी और कई अन्य जगहों की सूचना ही नहीं है। मान्यवर, यह अल्पसूचित तारांकित प्रश्न है इसके बावजूद भी जिलों से इसकी सूचना न आना लापरवाही दर्शाता है। मान्यवर, और ऐसे वर्ग के साथ लापरवाही बरती जा रही है जिसको हर सम्भव सहायता दी जानी चाहिए। यह सबकी मंशा होनी चाहिए। इस पर आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैंने पहले भी अवगत कराया कि पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत बहुत अधिक आवेदन–पत्र लम्बित थे। फरवरी में इन लम्बित आवेदनों के आधार पर केन्द्र सरकार ने हमे अतिरिक्त सहायता दी थी। केन्द्र से सहायता दो स्रोत से प्राप्त होती है। एक योजना आयोग से, दो ग्राम्य विकास विभाग से। इसकी सीमा को बढ़ा दिया गया है। इसे 6 करोड़ से बढ़ाकर 12 करोड़ कर दिया गया है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैंने जो मूल प्रश्न किया था, मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय वर्ष 2004–2005 में मदवार वितरित की गयी सहायता राशि का सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ? मान्यवर, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष माना जाता है। मेरी आपत्ति है कि 29 मार्च तक की स्थिति से सदन को क्यों अवगत नहीं कराया जा रहा है ? यह मात्र 13 जनपदों का प्रदेश है। टैलीफोन से सूचनाएं मंगाई जा सकती हैं। मैंने 31 मार्च तक की स्थिति जाननी चाही थी तो फिर आज 29 मार्च तक की स्थिति से क्यों अवगत नहीं कराया जा रहा है ? मान्यवर, यह तो सदन को गुमराह करने वाली बात है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, या तो इसमें तिथि लिखी जाती । तिथि तो लिखी नहीं गई है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैंने पूरे वित्तीय वर्ष की सूचना (व्यवधान)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, वित्तीय वर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यह तो आब्जैक्शनेबल बात है। आप कह सकते हैं कि मैं अभी सूचना नहीं दे पा रहा हूँ लेकिन आप तो जिद कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपको सूचना मंगानी चाहिए थी। पूरा विवरण आना चाहिए था।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करने का क्या मानक है ? माननीय मंत्री जी द्वारा जो जनपदवार आँकड़ें उत्तर में दिये गये हैं उससे ऐसा लगता है कि जनपद ऊधमसिंह नगर के साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि लाभार्थी चयन का मानक क्या है ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, प्राप्त आवेदनों के आधार पर... (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह तो फिर वही बात आ गयी।

तारांकित प्रश्न

*1–श्री हरबंश कपूर (स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।)

*2–श्री प्रीतम सिंह पंवार (दिनांक 28–03–2005 को तारांकित 12 द्वारा उत्तरित)

उत्तरांचल निवास में अपेक्षित कक्ष न होने की दशा में अन्यत्र व्यवस्था पर हुए व्यय का ब्योरा एवं इसके पुनर्निर्माण की कार्य योजना

*3–श्री प्रकाश पन्त–

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिल्ली स्थित उत्तरांचल निवास में अपेक्षित कक्ष उपलब्ध न हो पाने के कारण शासकीय कार्य से दिल्ली यात्रा करने वाले मंत्री, विधायक तथा अधिकारियों को अन्यत्र निवास हेतु व्यवस्था करने में वर्ष 2002–03, 2003–04 तथा 30 नवम्बर, 2004 तक कितना व्यय किया गया ?

क्या सरकार उत्तरांचल निवास का पुनर्निर्माण अपेक्षित रूप से कराये जाने की कोई कार्य योजना बना रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

दिल्ली स्थित उत्तरांचल निवास में अपेक्षित कक्ष उपलब्ध न हो पाने के कारण शासकीय कार्य से दिल्ली यात्रा करने वाले मंत्री, विधायक तथा अधिकारियों को अन्यत्र निवास हेतु व्यवस्था करने में वर्ष 2002–03, 2003–04 तथा 30 नवम्बर, 2004 तक हुए व्यय का विवरण निम्नवत् है–

वर्ष 2002–2003 रु0 2,23,705.00

वर्ष 2003–2004 रु0 4,51,916.00

वर्ष 2004–2005 रु0 3,09,404.00

(30 नवम्बर, 2004 तक)

कुल व्यय का योग रु0 9,85,025.00

जी हाँ।

उत्तरांचल निवास के पुनर्निर्माण की कार्य योजना बना ली गई है तथा अपेक्षित निर्माण/पुनर्निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं तीन स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पहला प्रश्न यह है कि आलोच्य वर्षों में उत्तरांचल निवास के रख–रखाव में कितना व्यय हुआ, दूसरा पुनर्निर्माण की योजना की अनुमानित लागत क्या है तथा तीसरा प्रश्न कि क्या इसका निर्माण वर्ष 2005–2006 के वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, निर्माण की सारी फार्मेलिटी पूरी कर ली गई है, इसका नक्शा प्राप्त हो चुका है, निर्माण कराने के लिए टेन्डर आमंत्रित किये जाने हैं। जो नक्शा है वह पूरे डिटेल के साथ एप्रूव हो गया है। जो वहाँ पर एक ही निवास होने के कारण विधायकों, मंत्रियों के साथ दिक्कतें होती थी और उनके साथ आने वाले सहायकों के लिए भी जगह नहीं हो पाती थी। इसीलिए सरकार द्वारा अतिशीघ्र इसका निर्माण एक साल में कराने का लक्ष्य रखा है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैंने तीन प्रश्न पूछे थे और एक का भी उत्तर नहीं आया है, माननीय मंत्री जी तो भाषण अच्छा दे देती है, मैंने पूछा था कि आलोच्य वर्ष, जो मैंने प्रश्न में पूछे हैं, उनमें उत्तरांचल निवास के रख–रखाव पर कितना व्यय हुआ, दूसरा यह है कि इस योजना की अनुमानित लागत क्या है, जैसा मंत्री जी ने भी कहा कि टेन्डर निकलने वाले हैं यदि यह सब हो गया तो उसकी एक अनुमानित लागत भी रखी गई होगी, उसे बता दें और तीसरा यह कि क्या वित्तीय वर्ष 2005–2006 में इसका निर्माण करा लिया जायेगा ?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, आलोच्य वर्ष में क्या व्यय हुआ और मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों को अन्यत्र निवास में क्या व्यय हुआ मैं बता चुकी हूँ कि 9 लाख 85 हजार का व्यय हुआ है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैंने यह अनुपूरक प्रश्न पूछा है कि इसके रख–रखाव पर कितना व्यय किया गया ?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, इसमें इन्होंने पूछा नहीं जो इन्होंने पूछा मैंने उसका स्पेसिफिक उत्तर दे दिया है, इसके रख–रखाव में कितना व्यय हुआ यह तो मूल प्रश्न से अलग है।

श्री अध्यक्ष–

मूल प्रश्न पर आ जायें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर नहीं आया है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, प्रश्न उसी से जुड़ा है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा कि विधायकों, मंत्रियों और अधिकारियों को अन्यत्र निवास की व्यवस्था करने में कितना व्यय किया तो मैंने उसका स्पष्ट उत्तर दे दिया है।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न का उत्तर आ गया है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न था कि इसके रख–रखाव पर कितना व्यय हुआ तो मान्यवर, पुनर्निर्माण एवं रख–रखाव एक ही चीज है, नव निर्माण अलग चीज है, इसका उत्तर आ जाना चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, इसकी कार्य योजना बना ली गई है, और इस भवन का कार्य शीघ्र हो जायेगा, जो आपने पुनर्निर्माण के बारे में कहा। मान्यवर, इस बिल्डिंग के पुनर्निर्माण की योजना बना ली गयी है और यह कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि पुनर्निर्माण में कितना व्यय इन आलोच्य वर्षों में किया गया ? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका उत्तर नहीं आ रहा है। मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी गंभीरतापूर्वक सुन लें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हम आपके मूल प्रश्न और उसमें अन्तर्निहित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। किन्तु यह प्रश्न मूल प्रश्न में अन्तर्निहित नहीं है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ ही प्रश्न पूछ रहा हूँ लेकिन माननीय मंत्री जी बताना नहीं चाह रही हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने जो स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर आ गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहती हूँ, इस प्रश्न पर यह अनुपूरक प्रश्न नहीं बनता है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कह रही हैं, यह अनुपूरक प्रश्न नहीं बनता है, यह तो आपका विवेक है। क्या यहाँ पर डिक्टेटरशिप चल रही है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मेरे मूल प्रश्न में यह प्रश्न अन्तर्निहित है। पुनर्निर्माण में कितना व्यय कर दिया है और कितना व्यय करेंगे यह बता दीजिए ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, इसका उत्तर दें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अपेक्षित निर्माण कार्य शीघ्र करा लिया जाएगा, इसके लिए 25 करोड़ रुपये का प्राविधान है। अब तक इसकी पुताई तथा मरम्मत में करीब 5 लाख रुपया खर्च हुआ है, यह पुनर्निर्माण नहीं कहा जा सकता।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, हम यही जानना चाह रहे थे।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह तो स्वीकार कर लिया है कि इसी वित्तीय वर्ष में इसके पुनर्निर्माण का कार्य करा लिया जाएगा। लेकिन मान्यवर, जब कभी सत्ता पक्ष के लोग वहाँ पर लॉबिंग करने के लिए जाते हैं तो हम लोगों को वहाँ पर जगह नहीं मिलती है। इसलिए उत्तरांचल निवास का शीघ्र पुनर्निर्माण कराया जाना आवश्यक है। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि नक्शा एप्रूव कर लिया गया है, तो जो नक्शा पास कर दिया गया है, उसमें माननीय विधायकों के लिए, सरकारी अधिकारियों के लिए, माननीय मंत्रीगणों के लिए तथा अन्य वी0वी0आई0पी0 के लिए जो कक्ष बनाये जा रहे हैं, उनमें क्या फर्क है ? इसमें माननीय सदन को अवगत करा दें।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, माननीय ऐरी जी ने सही सवाल पूछा है उनकी चिन्ता उचित भी है। उत्तरांचल निवास में प्रशासकीय कार्यालय भवन, स्वागत कक्ष, व्यवस्थाधिकारी कार्यालय, सूचना कार्यालय, लेखा कार्यालय, अनुरक्षण कार्यालय, मीटिंग हॉल, लॉन्ज, डायनिंग हाल, किचन, पैन्ट्री, चिकित्सा कक्ष, चिकित्सक कक्ष, शौचालय एवं स्टोर बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री आवास–02, महामहिम श्री राज्यपाल शूट–02, 45 वी0आई0पी0 रूम्स, 15 वी0वी0आई0पी0 शूटस, सर्विस स्टाफ के 4 आवास, 6 आवास तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के लिए, चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के लिए 10 आवास, ए0सी0 डोरमैट्री–10, स्टाफ हेतु 20 डोरमैट्री व 20 कार पार्किंग हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, आप संवैधानिक पद धारक हैं लेकिन इसमें आपके लिए कोई व्यवस्था अलग से नहीं की गयी है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, यह प्रयास किया जा रहा है कि कहीं पर और स्थान मिल जाए, जब उसमें निर्माण कार्य कराया जाय। इसमें जगह बहुत सीमित है यह कुल 4270 वर्ग मीटर में निर्मित है। शासन ने भी 6 कक्षों का मांग की है लेकिन इसमें उनको अलग से कक्ष आवंटित नहीं किए गए हैं। मान्यवर, उत्तरांचल निवास में यह व्यवस्था थी उसी के आधार पर कुछ वी0आई0पी0 कक्ष बन रहे हैं उसमें यह व्यवस्था की जा रही है।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जगह की कमी फिर भी रहेगी। क्योंकि लगभग 100 प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अफसर एक साथ यदि वहाँ पर रहने के लिये आ जाएं तो जगह की कमी हो जायेगी। तो क्या एक अतिरिक्त निवास दिल्ली में भूमि क्रय कर बनाने की योजना है यदि है तो, उसमें आज तक कितनी प्रगति हुई है ?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, एक जगह पूर्व में ही आवंटित थी जब उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। किन्तु उसमें किसी का कब्जा है। उसमें काफी कानूनी लड़ाई लड़नी है इसलिए एक नई जगह माँगी गई है। एक जगह हमने रेजिडेन्ट कमिश्नर के लिए भी माँगी है। उसका नक्शा तैयार है। सूचना विभाग, पर्यटन विभाग के अधिकारियों के लिए भी जगह की आवश्यकता होगी। इसके लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री अजय भट्ट–

क्या बम्बई में भी जगह जो खरीदी गई वहाँ की सरकार ने दी है या फिर हमने खरीदी है ?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, खरीदी है, पैसा चला गया है। इसी प्रकार से लखनऊ में भी खरीदी है, पैसा चला गया है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, उत्तरांचल निवास दिल्ली में सत्ता पक्ष के लिए अलग कमरे एलॉट हैं और हम लोगों के लिए अलग एलॉट हैं। उसमें भी विपक्ष के विधायकों के लिए कौन विधायक किस कक्ष में रहेगा इसके लिए बाकायदा एक रजिस्टर बना हुआ है उसमें नाम लिखे हुए हैं। उसी के अनुसार कमरों का आवंटन किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या विधायकों को कमरे आवंटित करने के लिए भी समीकरण बने हुए हैं ? यह भेद–भाव क्यों किया जा रहा है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने स्पेसिफिक आरोप लगाया है। मैं यह जरूर जानना चाहूँगी कि यदि किसी रजिस्टर में इस तरह से नाम अंकित कर कमरे दिये जा रहे हैं तो वह बहुत गम्भीर मामला है। यदि यह सत्य पाया जायेगा तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। विधायक माने जनप्रतिनिधि हैं। कभी भी सत्ता पक्ष के विधायक या विपक्ष के विधायकों में भेद–भाव नहीं किया जाता है। हाँ यह जरूर है कि मंत्रिगणों के लिए अलग व्यवस्था है। क्योंकि वे प्रशासनिक कार्यों से वहाँ जाते हैं।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मैं आपको दिखा दूँगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने जानकारी उपलब्ध करा दी मैं इसी आधार पर इसकी जाँच करा लूँगी।

राज्य के कस्बों के बीच से गुजरने वाली सड़कों में निर्माण के साथ–साथ जल निकासी की व्यवस्था पर विचार

*4–श्री मदन कौशिक–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि राष्ट्रीय राज मार्ग, प्रान्तीय राज मार्ग, एम0डी0आर0 तथा ओ0डी0आर0 सड़कों का छोटे कस्बों के बीच निर्मित भाग जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण प्रति वर्ष अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो जाता है तथा सरकार को करोड़ों का नुकसान होता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार राज्य के कस्बों के बीच गुजरने वाली सड़कों के निर्माण के साथ प्राक्कलन में जल निकासी की भी व्यवस्था करने पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

यह व्यवस्था वर्तमान में लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न किया इसका उत्तर तीन भागों में माननीय मंत्री जी द्वारा दिया है। मान्यवर, उत्तर आया है जी नहीं, यह व्यवस्था वर्तमान में लागू है और प्रश्न नहीं उठता। हमने प्रश्न किया है कि क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि राष्ट्रीय राज मार्ग, प्रान्तीय राज मार्ग, एम0डी0आर0 तथा ओ0डी0आर0 सड़कों का छोटे कस्बों के बीच निर्मित भाग जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण प्रति वर्ष अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो जाता है तथा सरकार का करोड़ों का नुकसान होता है? मान्यवर, बहुत गम्भीर प्रश्न है मैं नहीं इस समस्या से सारे माननीय विधायकगण परेशान हैं। उत्तर इन्होंने लिख दिया जी नहीं। मान्यवर, लोक निर्माण विभाग द्वारा जिस भी योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण किया जा रहा है उनमें जल निकासी का कोई प्राविधान नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, इस समय भी सड़कों का निर्माण हो रहा है, कहीं पर भी नाली की व्यवस्था नहीं रखी गयी है। मान्यवर, मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि शायद माननीय मंत्री जी इस वित्तीय वर्ष की जानकारी न दे पायें परन्तु पिछले वर्ष में अनुरक्षण में कुल कितना व्यय हुआ यह जानकारी देने का कष्ट करें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, पी0डब्लू0डी0 और नगर विकास विभाग में इस तरह के जी0ओ0 हुए हैं कि यदि कोई भी सड़क बनेगी तो उसके दोनों तरफ नाली होगी। मान्यवर, जिन सड़कों में ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं थी, उसके लिए अतिरिक्त पैसा खर्च किया गया। मान्यवर, लगभग 211.09 लाख की लागत से ऐसे 09 कार्य स्वीकृत किये गये और नाली निर्माण भी किया गया। मान्यवर, जैसे ही हमें कोई शिकायत मिलेगी हम उसे दूर करेंगे। मान्यवर, कहीं पर पानी का गड्ढा है और उसके कारण नाली बन गयी हो तो और उसका ढाल सही नहीं है तो ऐसी सभी सड़कों पर पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शक्ति के साथ कार्य किया जाता है। मान्यवर, उत्तरांचल की पहाड़ी क्षेत्रों और मैदानी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों में अन्तर है। मान्यवर, यहाँ की मिट्टी में अन्तर है। मान्यवर, यदि आपको संज्ञान में यह है कि सड़कें बन गयी हैं और ड्रेनेज व्यवस्था नहीं है तो आप मुझे लिखित में दे दें, मैं इसकी व्यवस्था अलग से करूँगी, ड्रेनेज व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा कार्य कहीं पर भी हुआ है तो उस पर कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, पिछले वित्तीय वर्ष में टेलीफोन की जो केबिल बिछायी जाती है, उसका पैसा तो पी0डब्लू0डी0 विभाग ले लेता है, परन्तु उसकी व्यवस्था नहीं करता है, जिसके कारण सड़कें खराब हो रही हैं। पी0डब्लू0डी0 विभाग को चाहिए कि जैसे ही केबिल पूरी बिछे, उसकी रिपेयरिंग करें। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूँ कि इसके अनुरक्षण में कुल कितना खर्चा हुआ ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अनुरक्षण का उत्तर इस समय नहीं दे पाऊँगी। मान्यवर, अनुरक्षण में एक भी पैसे का दुरूपयोग न हो इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मान्यवर, 23 करोड़ रुपया इस राज्य में इस वर्ष इम्प्रूवमेंट के रूप में स्वीकार किया है। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में

बर्फ गिरने से भी सड़कों में गड्ढे होते हैं। हर बार ए0आर0एस0आर0 की जरूरत हो सकती है, लेकिन अनुरक्षण के लिए एक भी पैसा का दुरूपयोग न हो इसका प्रयास किया जा रहा है। यदि आपके क्षेत्र में ऐसी कठिनाई हो तो आई0आर0क्यू0पी0, मान्यवर, उस नगर की फेस लिफ्टिंग नहीं हो पाती है, अगर टूटी है तो आई0आर0क्यू0पी0 के माध्यम से दें। मान्यवर, टेलीफोन में जो लाइनें पड़ रही हैं, तो अनुबन्ध हुआ कि जो कच्ची जगह पर सड़क टूट जाती है तो यह उन्हीं की जिम्मेदारी है कि वे मिट्टी भरकर बराबर कर दें। मान्यवर, रिलाइन्स की जो लाइनें पड़ रहीं हैं, वह कच्चे पर हैं और अगर पक्की सड़क तोड़ेंगे तो पैसा पी0डब्लू0डी0 को देंगे। मान्यवर, मौसम खराब होने के कारण काम नहीं हो सकता है, सड़क बनाने के लिए धूप और गर्मी होना आवश्यक है और विभागीय लापरवाही भी हो सकती है तो निर्देश देते हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, अल्मोड़ा–घाट का क्या हुआ ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अल्मोड़ा–घाट में सड़क के चौड़ीकरण के आदेश दे दिए गये हैं। लगभग 3–4 करोड़ रुपया भी मंजूर कर दिया है। मान्यवर, सी0आर0एफ0 के चौड़ीकरण की व्यवस्था भी कर दी और सी0सी0 रोड बनाने को कहा। मान्यवर, पहाड़ में सड़कों के किनारे जो पहाड़ की तरफ हैं उसमें नाली बनी है और जो इस तरफ है बनेगी।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सदन को अवगत कराया कि हमने नाली बनाने के लिए शासनादेश कर दिया है, तो अच्छी बात है। परन्तु आपने कोई ऐसी योजना बनाई है कि पूर्व निर्मित कितनी सड़क हैं, किन–किन में नालियाँ बननी हैं और कितने में नालियाँ बना दी हैं, अगर कार्ययोजना बनाई है तो उसकी जानकारी सदन को दें ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, पूर्व निर्मित में हाथ नहीं डाला, अभी नई बना रहे हैं। पूर्व निर्मित आई0आर0क्यू0पी0 की श्रेणी में आते हैं, विचार कर रहे हैं पर अभी कोई स्वीकृति नहीं है।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, सड़क के किनारे नाली निर्मित हो जाती है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमण में यह गन्दगी में नाली बन्द हो जाती हैं, तो यदि इसका भी ध्यान रखा जाये तो अच्छा होगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सफाई का काम तो नगरपालिका करे, पर हम कोशिश करेंगे।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, आपने कहा कि जितनी टेलीफोन लाइनें कच्चे में बनी हैं, उसे भर रहे हैं। लेकिन अधिकांश यह देखने में आया है कि जितनी लाइन खुद रही हैं उनके

खुदने के बाद गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं, फिर चाहे वह एन0एच0 की सड़क हो, चाहे नगर की सड़क हो, चाहे नगरपालिका की सड़क हो। मान्यवर, जो सड़कें आपके विभाग की नहीं हैं, जहाँ से भी उनका अनुरक्षण होता है जिसकी भी यह जिम्मेदारी है, उसे इसका रख–रखाव प्रोपरली करना चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसमें जो ठेकेदार तार डालने का कार्य करते हैं, कुछ जगहों पर तो वे बराबर कर देते हैं और कहीं पर वे लापरवाही करते हैं। इस सम्बन्ध में हम अपने विभाग को सख्त निर्देश दे देंगे और नगरपालिका को भी इस बारे में आदेश जारी करा देंगे।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

श्री कौशिक जी, अलग से पूछ लेना।

राज्य की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप निर्माण कार्यों के मानकों (शिड्यूल) का निर्धारण

*5–श्री किशोर उपाध्याय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि उत्तरांचल राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के आलोक में निर्माण सामग्री की लागत को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रवार निर्माण कार्यों के मानक (शिड्यूल) निर्धारित किये गये हैं ?

यदि नहीं, तो इसकी आवश्यकता क्यों नहीं समझी गयी ?

क्या इस सम्बन्ध में सरकार तत्काल कार्रवाई करेगी ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, बड़ी खुशी की बात है कि क्षेत्रवार निर्माण कार्यों का मानक तय किया गया है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इन क्षेत्रों का मानक और निर्धारण किस तरफ से किया गया है, कुल कितने क्षेत्र हैं और उनके मानक क्या हैं ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण सवाल है। निर्माण की दृष्टि से अति आवश्यक है, इसलिए अक्सर बहस होती है शिड्यूल ऑफ रेट क्या है, उनके मानक क्या हैं ? लोक निर्माण

विभाग में विभिन्न निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली निर्माण की मदों, सामग्री के ढुलान, सामग्री की दर एवं श्रमिक दरों के निर्धारण हेतु प्रत्येक जनपद के लिए सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ताओं को शिड्यूल ऑफ रेट सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा निर्धारित है। बाजार के भाव, निविदा में प्राप्त हो रही दरों के दृष्टिगत अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दरों का रिवीजन किया जाता है। शेड्यूल ऑफ रेट का निर्धारण तथा संशोधन निर्माण कार्यों में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री व मजदूरी की दर को बाजार दर के अनुरूप करते हुए किया जाता है। मान्यवर, पिछले 6 से 8 महीनों के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में दरों का पुनरीक्षण किया गया। जनपद पिथौरागढ़, नैनीताल, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर एवं ऊधमसिंह नगर के समस्त अधीक्षण अभियन्ता के साथ विचार विमर्श के उपरान्त ईंटों व सीमेन्ट की दरों को दिनांक 4–3–2005 को क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता (कुमायूँ) द्वारा किया गया। अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) द्वारा दि0 10–2–2005 को दैनिक श्रमिकों की दरों का पुनरीक्षण किया गया। दिनांक 10–12–2004 को अधीक्षण अभियन्ता, पौड़ी द्वारा सामग्री, श्रमिक व ढुलान की दरों का निर्धारण किया गया। दिनांक 28–7–2004 को कुमायूँ क्षेत्र के समस्त जनपदों हेतु सामग्री की ढुलान दरों का पुनरीक्षण किया गया। दिनांक 5–7–2004 को अधीक्षण अभियन्ता, हल्द्वानी द्वारा सामग्री की दरों का अपने वृत्त हेतु पुनरीक्षण किया गया। इससे स्पष्ट है कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए दरों का पुनरीक्षण आवश्यकतानुसार किया जाता है। मान्यवर, तो इस प्रकार गढ़वाल और कुमायूँ के दोनों चीफ ने अपने–अपने एस0ई0 को निर्देश देकर शासनादेश मंगायें और उसी के आधार पर कार्य करने की अनुमति दी जायेगी। मान्यवर, यही इसका अर्थ है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, जिन्होंने यह कार्य पूरा नहीं किया होगा, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही होगी ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपके सवाल से शासन को बड़ा लाभ हुआ। हमारे कई साथियों ने पुल के बारे में सवाल लगाये हैं। मैंने कहा कि पुल बनाईये। सवाल लगाया गया है जिसका मतलब है कि पुल टूटा है। इसे बनाएं। पुलों की समीक्षा प्रति वर्ष की जाये। क्योंकि इससे गम्भीर दुर्घटनाएं हो सकती है। आपने कहा कि जिन्होंने नहीं किया होगा मैंने कल ही कहा है कि आप शासनादेश मंगाये। अगर शासनादेश आ गया और पुनरीक्षण के आदेश हो गये तो टेंडर निकालना ही होगा।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, इसमें सा‍ख सीमा को भी शामिल किया जाये।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जहाँ तक सी0सी0एल0 की बात है। पूरा पैसा जो 31 मार्च तक खर्च करेगा। एक समय धन की काफी कमी आ गयी थी। 31 मार्च तक खर्च किये गये पैसे की पूरी सूचना एक्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा मंगायी जाती है।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि अभियन्ताओं ने फरवरी और मार्च में शिड्यूल ऑफ रेट को रिवाईज किया है, लेकिन इसके पहले इसे कब रिवाईज किया गया इसकी सूचना नहीं दी है। कई बार कई—कई सालों तक इसे रिवाईज न करने के कारण मजदूरों और ठेकेदारों को नुकसान उठाना पड़ता है। मान्यवर, नीतिगत बात है कीमतों में बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए एक पॉलिसी, एक नीति बनाकर कम से कम हर 6 महीने में एस0ई0 अपने—अपने क्षेत्रों में इसे रिवाईज करें। क्या माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगी ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, अभी मेरे पास जो कागज है वे 2001 से है। 2001, 2002 आदि। कई—कई बार तो वर्ष में दो—दो बार इसे रिवाईज किया गया है। लोहा, सीमेन्ट, पेट्रोल, डीजल के रेट बढ़ने के कारण शिड्यूल ऑफ रेट को कभी—कभी वर्ष में दो—दो बार रिवाईज किया गया है। आपकी बात का संज्ञान लेते हुए उसको पूरा आदर देते हुए इसकी समीक्षा बैठक बुलाकर इस सम्बन्ध में आदेशित कर दिया जायेगा।

श्रीमती आशा देवी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि वर्ष 2000 और 2002 से पहले की जो सड़कें स्वीकृत हुई थी उनके लिए सरकार द्वारा विभागों को यह आदेश दिया गया कि इन्हें निरस्त कर दिया जायेगा तो यह सड़के निरस्त होंगी या इनका रिवाईज इस्टीमेन्ट बनेगा ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, एक आदेश आया था जब हमने कार्य करना प्रारम्भ किया तो यहाँ पर रिवाईज और रि—रिवाईज इस्टीमेट वाली 750 सड़कें हैं और कुछ सड़कें ऐसी है जो 10 वर्षों से संशोधित और पुनर्संशोधित हो रही है इसका एक उदाहरण मैं दे रही हूं यहीं चकराता में सड़कें संशोधित और पुनर्संशोधित आँकड़ें आ रहे थे और उसका पैसा खत्म कर दिया, कहीं पर दीवार बना दी तो मुझे वहाँ पर 28 लोगों को सस्पेन्ड करना पड़ा, इसे सही करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी यह व्यवस्था समाप्त हो गई है ऐसी सड़कें जिनका 20 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक कार्य अवशेष था उनको एज इट इज रख दिया गया है। वर्ष 2000 की जिन सड़कों का मात्र सर्वे ही हुआ है सभी एस0ई0 और जोनल चीफ को इसके लिए दिया गया है, 55 लाख.....

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

मान्यवर, 55 लाख रुपया खर्च होना है-इसके लिए.........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया शांत रहें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

आप बजट को तो पास कराने में मदद करें।

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिन जनपदों में इस्टीमेट रिवाईज नहीं हुए हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें।

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी, यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सभी जनपदों में रिवाईज इस्टीमेट आ गये हैं, यदि किसी जनपद के रेट रिवाईज नहीं हुये और अगर अनरिवाईज्ड इस्टीमेट पर स्वीकृति हुई तो क्या कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होगी ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसके लिए सभी एस0ई0 और जोनल चीफ को आदेश दिये गये हैं।

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, क्या टिहरी के एस0ई0 आ गया है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मेरे पास जो कागज हैं उसमें जोनल चीफ गढ़वाल को कहा गया है, जैसा आपने कहा कि रिवाईज नहीं हुए तो अगर ऐसा है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और निश्चित रूप से गुणवत्ता पर तो प्रभाव पड़ेगा अगर डीजल पेट्रोल मंहगा हुआ तो ढुलान भी मंहगा हो जायेगा और ईंट और सीमेन्ट भी महंगे हो गये तो असर पड़ेगा।

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मेरी स्पष्ट जानकारी में हैं कि टिहरी में 1998 से रेट रिवाईज नहीं हुए हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी जानकारी के आधार पर इसकी समीक्षा कर लूँगी और आपको अवगत करा दिया जायेगा।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश आने चाहिए जैसा आशा जी ने भी प्रश्न किया कि वर्ष 2000 से पूर्व जितनी सड़कें स्वीकृत थीं उस पर क्या सरकार ने ऐसा आदेश पारित कर दिया या कोई ऐसा कोई निर्देश दिया

कि इन पर कोई निर्माण कार्य नहीं किये जायं, आपने कहा कि पुनर्संशोधित आगणन मंगाये गये जब हम अधिकारियों से बात करते हैं तो एक ही उत्तर आता है कि शासन की ओर से अभी तक इसके निर्माण के बारे में कोई आदेश नहीं आये हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष का प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित तो नहीं है फिर भी मैं इसका उत्तर दे रही हूँ।

(व्यवधान)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, माननीय आशा देवी जी ने यह प्रश्न उठाया और आपने इस पर वक्तव्य दिया। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपने इस तरह के आदेश दिए है कि इनका पुनरीक्षित आगणन भेज दिया जाय ? यदि नहीं दिया है तो क्या आप इस तरह का आदेश भेजेंगे ? दूसरा, मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने जो दैनिक मजदूरी तय की है, वह कितनी है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जब हमारी सरकार बनी थी उस समय 500–600 सड़कें रि–रिवाईज और डि–रिवाईज में फंसी थीं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में रि–रिवाईज और डि–रिवाईज काफी पहले बन्द हो गया था लेकिन जब हमारा राज्य बना तो यहाँ पर इसे बन्द नहीं किया गया। जब हम लोग आए तो हमने इसे बन्द कर दिया। बहुत सी सड़कें ऐसी हैं, जिनमें सर्वे के लिए सिर्फ 15 लाख, 20 लाख रुपया स्वीकृत किया गया था। तब तीन किश्तों में सड़क के लिए पैसा स्वीकृत किया जाता था। हमने एक ही किश्त में पैसा स्वीकृत करना शुरू कर दिया है। यदि आप कोई सड़क बताएंगे तो उसके लिए आगणन स्वीकृत कराकर इंजीनियर उसको बनाएंगे।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, इंजीनियर कहते हैं कि हमको निर्देश नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप स्पष्ट निर्देश दे दें। इस प्रकार सदन को गुमराह न किया जाय।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं सदन को गुमराह नहीं करती, सही और स्वच्छ उत्तर देती हूँ।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, जब हम इंजीनियर से कहते हैं कि यह पुरानी स्वीकृत सड़क है, इसको क्यों नहीं बना रहे हैं तो वह कहते हैं शासन कहता है कि इसको रोक दीजिए। मान्यवर, यदि कोई शासनादेश हो चुका है, तो क्या दूसरी सरकार उस शासनादेश को निरस्त करने का अधिकार रखती है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सरकार कन्टीन्यूटी होती है। यदि एक सरकार कोई शासनादेश कर देती है तो वह दूसरी सरकार में भी चलता है। स्वीकृति का मतलब यह है कि क्या आपने उसके लिए धन आवंटित किया ? सड़क तो स्वीकृत करा दी लेकिन उसके लिए धन आवंटित नहीं किया। चाहे आपकी सरकार रही हो या पूर्ववर्ती सरकार, क्या सड़क के निर्माण के लिए सम्बन्धित विभाग से धन स्वीकृत कराया गया ? यदि किसी सड़क के लिए धन आवंटित होगा तभी वह सड़क बनेगी।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, आपने कहा कि जिन सड़कों के लिए धन स्वीकृत होगा, वही बनायी जाएंगी। तो क्या आपने जो सड़कें बनायी है, उनके लिए पूरा धन पहले ही स्वीकृत करा लिया है ? उत्तर प्रदेश में आप भी रही हैं और हम भी रहे हैं। मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, आपने कन्टीन्यूटी की बात कही, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी योजना बनती है, अगले साल के बजट में उसके लिए धन का प्राविधान किया जाता है, शुरू में उसके लिए नौमिनल पैसा दिया जाता है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जब हमारी सरकार बनी, उस समय सार्वजनिक निर्माण विभाग का यह नियम था कि तीन श्रेणियों में पैसा आवंटित किया जाता था। लेकिन हमने इसे बन्द कर दिया। हम सर्वे, फारेस्ट और निर्माण तीनों के लिए एक ही बार में पैसा स्वीकृत कर रहे हैं। हमें पूरे प्रदेश की सड़कों के लिए पैसा स्वीकृत करना है। हम उनसे पूछते हैं कि आप कितना खर्च कर पायेंगे तो वे जितना बताते हैं, हम उनको उतना पैसा दे देते हैं।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

माननीय अध्यक्ष जी, गम्भीर विषय है। आपका भी क्षेत्र है, मैं केवल अपने क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, इसका असर आपके क्षेत्र में भी पड़ेगा जब खर्च ही नहीं होगा। वन अधिनियम की बहुत सी कठिनाइयाँ हैं। सारा पैसा कहाँ लगेगा ? माफ करना हल्द्वानी यानी की राजधानी। सारा पैसा वहीं लग रहा है और जगह खर्च क्यों नहीं होता है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप भी, और प्रकाश पंत जी हल्द्वानी होकर जाते हैं। हल्द्वानी से इतनी पीड़ा क्यों है ?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, आप हल्द्वानी को स्वर्ग बना दें हमें कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु अन्य जगहों में भी कार्य होना चाहिए। यह पीड़ा सम्पूर्ण माननीय विधायकों की है। आखिर यह पैसा अन्य जगहों में खर्च क्यों नहीं हो रहा है ? आपने कहा कि जब खर्च नहीं हो पाता है तो हम दूसरी जगह उस पैसे को लगा देते हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जहाँ–जहाँ भी सड़कों के लिए पैसा स्वीकृत है उसका पूरा धन यह सरकार वहाँ देने के लिए कटिबद्ध है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि.....

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपको स्पेशल पैकेज दिया जायेगा आप क्यों कुछ कह रहे हैं। (हँसी)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, पी0डब्लू0डी0 और जो अन्य अधिकृत संस्थायें हैं, वे समय–समय पर स्टील के रेट, सीमेन्ट के रेट सब जगह बढ़ने से वह अपने रेट ऊपर करते हैं। लेकिन जो ठेकेदार हैं, जिन्हें ठेका दिया जाता है उनसे यह कहा जाता है कि पी0डब्लू0डी0 के द्वारा निर्धारित दरों से कितने प्रतिशत नीचे आप काम करेंगे। एक ठेकेदार यदि यह कहता है कि हम 30 प्रतिशत नीचे काम करने को तैयार हैं और दूसरा ठेकेदार कहता है कि हम 35 प्रतिशत नीचे काम करने को तैयार हैं तो 35 प्रतिशत वाले को काम दे दिया जाता है। यह सर्वविदित है कि जब वह पी0डब्लू0डी0 द्वारा निर्धारित दरों से काम कम दरों पर करेगा तो उसका काम किस स्तर का होगा। मान्यवर, वह ठेकेदार 100 रुपये के काम को 65 रुपये में जब करने को तैयार होगा तो उस काम की क्वालिटी क्या होगी? यही मुख्य कारण है कि आज सड़क एक तरफ से बननी शुरू होती है तो दूसरी तरफ से टूटनी शुरू हो जाती है। सड़क बन रही है, टूट रही है।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि हल्का वाहन मोटर मार्ग जो बने हुए हैं उनका रख–रखाव नहीं किया जा रहा है जिस कारण रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। क्या सरकार उन हल्का वाहन मार्गों के पुनर्निर्माण के लिए तथा चौड़ीकरण के लिए क्या स्पेशल व्यवस्था करने जा रही है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह नियम है कि टेण्डर लोएस्ट के बजाय हाईएस्ट को दिया तो शिकायत की जाती है। इस सम्बन्ध में हमने एक सर्वे किया कि सी0पी0डब्लू0डी0 इस पर क्या करती है ? मान्यवर, यह हमारी भी चिन्ता है कि 25 प्रतिशत और 30 प्रतिशत बिलों तक रेट आते हैं। हमने इस सम्बन्ध में एक ही ड्यूटी लगायी। मान्यवर, सी0पी0 डब्लू0डी0 ने कहा कोई लिमिट दें। माना कि आपको 15 प्रतिशत करना है तो 15 प्रतिशत ही करें। मान्यवर, हम आपकी चिंता से सहमत हैं। मान्यवर, जहाँ तक हल्के वाहन का सवाल है, इस बारे में भारत सरकार और राज्य सरकार के बारे में फैसला ले लिया था। जहाँ तक आपका मत है कि ऐसी सड़कों को भारी वाहन के रूप में बनाया जाय, इससे मैं सहमत हूँ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मूल प्रश्न में आंशका हो रही है। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है फरवरी और मार्च महीने में रेट को रिवाईज किया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या इसे ए0ई0 और एस0ई0 से मिलकर इसको रिवाईज किया गया ? मान्यवर, जे0ई0, ए0ई0, एस0ई0 की भारी कमी है। मान्यवर, मेरी जानकारी में है कि सारे

जे0ई0, ए0ई0 और एस0ई0 वापस भेज दिये हैं। तो मान्यवर, 13 ई0ई0, 2 एस0ई0 की कमी होनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश कैडर के एस0ई0, ई0ई0, जे0ई0 को वापस भेज दिया गया है ?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, अभी अन्तिम आवंटन होना बाकी है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, अभी अन्तिम आवंटन नहीं हुआ है ?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, अभी अन्तिम आवंटन पर फिर विचार हुआ जिस पर कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। अन्तिम आवंटन अभी नहीं हुआ।

अतारांकित प्रश्न

भीमताल जनपद नैनीताल में आई0टी0पार्क की स्थापना एवं इसका स्वरूप

1–श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि भीमताल जनपद–नैनीताल में आई0टी0पार्क स्थापित कर दिया गया है ?

यदि हाँ, तो इसका क्या स्वरूप होगा तथा इसका संचालन किसके द्वारा किया जायेगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं, प्रस्तावना है कि भीमताल में आई0टी0 इन्क्यूबेटर स्थापित किया जाये ताकि उत्तरांचल के उद्यमी अपना उद्यम लगा सकें।

इसका स्वरूप तथा संचालन के सम्बन्ध में यथासमय निर्णय लिया जायेगा।

नैनीताल में आन्दोलनकारी स्व0 प्रताप सिंह के नाम से पार्क के नामकरण पर विचार

2–श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 3 अक्टूबर, 1994 में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन में नैनीताल में शहीद हुए स्व0 प्रताप सिंह के शहादत स्थल से लगे हुए पार्क का नाम स्व0 प्रताप सिंह के नाम से रख दिया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों।

श्री नव प्रभात–

प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट–तारांकित प्रश्न संख्या (5) के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

3—श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

(तृतीय सोमवार के अतारांकित 39 में स्था0)

जनपद देहरादून के माखिम ग्रान्ट न्याय पंचायत के राजाजी नेशनल पार्क में लगी ऊर्जा बाड़ में ऊर्जा का संचालन

4—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत—

क्या वन मंत्री के संज्ञान में है कि वन विभाग द्वारा जनपद देहरादून के माखिम ग्रान्ट न्याय पंचायत के राजाजी नेशनल पार्क से लगे क्षेत्र में ऊर्जा बाड़ लगायी गयी थी ?

यदि हाँ, तो कुल कितने लम्बाई में ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त ऊर्जा बाड़ में ऊर्जा संचालित हो रही है?

यदि हाँ, तो कब से ?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री नव प्रभात—

जी हाँ।

07 कि0मी0 की लम्बाई में ऊर्जा बाड़ लगाई गई है।

जी हाँ।

उक्त ऊर्जा बाड़ में मार्च 2002 से ऊर्जा संचालित हो रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरकाशी के वि0ख0 नौगाँव के अन्तर्गत कलोगी—किम्मी हल्का वाहन मार्ग के निर्माण हेतु प्रतिकर का भुगतान

5—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगाँव अन्तर्गत कलोगी—किम्मी हल्का वाहन मार्ग निर्माण हेतु अध्याप्त ग्राम मानडगाँव मध्ये खेत नं0 1043,1044 व 985 का प्रतिकर भुगतान कर दिया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों तथा भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

जी नहीं।

यथाशीघ्र।

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत तहसील धारचूला के जौलजीवी से मुन्स्यारी जाने वाले मोटर मार्ग के पुलों का जीर्णोद्धार

6—श्री गगन सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र तहसील धारचूला के जौलजीवी से मुनस्यारी जाने वाले मोटर मार्ग में पुलों की दशा अत्यधिक खराब है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में इन पुलों का जीर्णोद्धार शीघ्र करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं इन पर यातायात चालू है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत धारचूला–मुन्स्यारी में मृग विहार क्षेत्र का पुनर्सीमांकन किए जाने की योजना

7–श्री गगन सिंह–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र धारचूला–मुनस्यारी में मृग विहार क्षेत्र होने के कारण विकास कार्य बाधित हो रहे हैं ?

यदि हाँ, तो क्या मृग विहार क्षेत्र का पुनर्सीमांकन किये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री नव प्रभात–

जी हाँ।

मामले में राष्ट्रीय वन्य जीव परिषद् की स्थायी समिति की संस्तुति के क्रम में शासन द्वारा जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत स्थानीय निवासियों के हक–हकूक के निर्धारिण की कार्यवाही सम्पन्न कर अपनी संस्तुतियों/आख्या शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी के पैडी कुजासू मोटर मार्ग के अन्तर्गत भूमि का मुआवजा

8–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के पैडी कुजासू मोटर मार्ग में काश्तकारों को भूमि का मुआवजा दे दिया गया है ?

यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

18 खातेदारों में से 14 खातेदारों का भुगतान किया जा चुका है।

शेष 4 खातेदारों का भुगतान उनके उपस्थित न होने के कारण नहीं किया जा सका।

देहरादून के ब्रहमपुरी में केन्द्रीय निधि से स्वीकृत मोटर पुल का निर्माण

9–श्री अजय भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि देहरादून जिले के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–58 के स्थान ब्रहमपुरी में केन्द्रीय निधि से स्वीकृत मोटर पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है ?

यदि हॉं, तो इसे कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

देहरादून में ब्रहमपुरी में केन्द्रीय सड़क निधि से कोई मोटर सेतु स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा में काकड़ीघाट–द्वारसों मोटर मार्ग के डामरीकरण पर विचार

10–श्री अजय भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद अल्मोड़ा में काकड़ीघाट–द्वारसों मोटर मार्ग कब स्वीकृत हुआ तथा आज तक इस मोटर मार्ग में डामरीकरण न किये जाने के क्या कारण हैं ?

क्या सरकार इसी वित्तीय वर्ष में मोटर मार्ग में डामरीकरण करने पर विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

यह मार्ग द्वारसों से काकड़ीघाट की ओर 10 कि0मी0 वर्ष 1976 में, काकड़ीघाट में द्वारसों की ओर 5 कि0मी0 वर्ष 1982 में, 4 किमी0 वर्ष 1983 में, 4 किमी0 वर्ष 1998 में (हल्का वाहन मार्ग) तथा 23.50 किमी0 की वर्ष 2004 में स्वीकृत हुआ। मार्ग की कुल लम्बाई 46.5 कि0मी0 है।

5.00 किमी0 डामरीकरण किया जा चुका है जिला योजना में स्वीकृत 1.00 किमी0 पर डामरीकरण का कार्य प्रगति पर है। अवशेष डामरीकरण नव निर्माण पूर्ण होने एवं वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अल्मोड़ा में काकड़ीघाट–शीतलाखेत मोटर मार्ग का निर्माण

11–श्री अजय भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगी कि जनपद अल्मोड़ा में काकड़ीघाट–शीतलाखेत मोटर मार्ग कब स्वीकृत हुआ ?

आज तक इस मोटर मार्ग के शीतलाखेत तक निर्माण न होने का क्या कारण है ?

क्या सरकार इसी वित्तीय वर्ष में इस सड़क का शीतलाखेत तक निर्माण करने पर विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

वर्ष 1980 में स्वीकृत हुआ स्वीकृत लम्बाई में मार्ग निर्मित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अल्मोड़ा में सौनी–द्योडाखाल–सिलोर महादेव मोटर मार्ग का डामरीकरण

12–श्री अजय भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद अल्मोड़ा में सौनी–द्योडाखाल–सिलोर महादेव सड़क का निर्माण कब प्रारम्भ हुआ तथा आज तक इस सड़क के डामरीकरण न होने के क्या कारण हैं ?

सरकार कब तक इस मोटर मार्ग को डामरीकृत करवायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

वर्ष 1979 से प्रारम्भ हुआ।

सड़क का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में स्वीकृत हुआ। निर्माण कार्य प्रगति पर है।

20 कि0मी0 लम्बाई के इस मार्ग के 3 कि0मी0 मार्ग लेपित है तथा 1 कि0मी0 में लेपन कार्य प्रगति पर है। अवशेष मार्ग हेतु वित्तीय स्वीकृति लम्बित हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के वनों में गिरी–पड़ी कुकाट लकड़ी से कोयला बनाने की योजना

13–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या वन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के वनों में गिरी–पड़ी कुकाट लकड़ी से कोयला बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

गिरी पड़ी कुकाट की लकड़ी को स्थानीय ग्रामवासी अपने प्रयोग हेतु एकत्रित करते हैं।

उत्तरांचल में फिल्म विकास बोर्ड के गठन के बावजूद फिल्म नीति तैयार न किए जाने के कारण

14–श्री नारायण पाल–

क्या सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि फिल्म विकास बोर्ड का गठन किये जाने के बावजूद भी उत्तरांचल की फिल्म नीति की घोषणा न किये जाने के क्या कारण हैं ?

तथा कब तक फिल्म नीति की घोषणा कर दी जायेगी ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

प्रदेश में फिल्म विकास को प्रोत्साहन देने हेतु फिल्म विकास परिषद् का गठन कर दिया गया है तथा प्रदेश की फिल्म नीति तैयार की जा रही है।

यथाशीघ्र मा0 मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करते हुए फिल्म नीति की घोषणा कर दी जायेगी।

15–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

(दिनांक 28–3–2005 को अतारांकित 77 द्वारा उत्तरित)

स्व0 दिगम्बर पन्त, रीजनल निकासी मोहर्रिर के आश्रित का सेवायोजन

16–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री दिगम्बर पन्त रीजनल निकासी मोहर्रिर ढेलारेंज प्रोजेक्ट टाइगर रामनगर की मृत्यु उनके सेवाकाल में ही 13 फरवरी, 2003 को हुई थी ?

यदि हाँ, तो क्या उनके आश्रित को सेवायोजन प्रदान कर दिया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

जी हाँ।

जी नहीं।

श्री दिगम्बर पन्त रीजनल निकासी मोहर्रिर थे, वर्तमान नियमों में रीजनल निकासी मोहर्रिर के आश्रितों को सरकारी सेवायोजन दिए जाने का प्राविधान नहीं है।

अति0 स्वा0 केन्द्र कड़धर जनपद पौड़ी गढ़वाल हेतु मोटर मार्ग बनाये जाने पर विचार

17—श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि अति0 स्वा0 केन्द्र कड़धर, जनपद पौड़ी गढ़वाल हेतु कोई मोटर मार्ग नहीं है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनकल्याणार्थ मरीजों व अस्पताल कर्मचारियों की सुविधा हेतु सड़क मार्ग बनाये जाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

नगरीय क्षेत्रों में लगी हाई मास्ट लाईटों की गुणवत्ता

18—श्री नारायण पाल—

क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि नगरीय क्षेत्रों में लगी लाखों रुपये की हाई मास्ट लाईटें 20 दिन जलने के बाद खराब घोषित कर दी गई हैं ?

यदि हाँ, तो क्या हाई मास्ट लाईटें लगाते समय कार्यदायी संस्था से उक्त की गुणवत्ता के सम्बन्ध में कोई करार किया गया था ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात—

जी नहीं।

गुणवत्ता सम्बन्धी करार किया गया था।

गुणवत्ता एवं रख रखाव के सम्बन्ध में।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल के वन रक्षकों के सम्बन्ध में निर्देश

19—श्री महेन्द्र भट्ट—

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के वन रक्षकों की मांगों के समाधान हेतु प्रमुख वन संरक्षक ने अपने पत्रांक 1542 शिविर(1)/10–9(1),

दिनांक 30 दिसम्बर, 2004 को समस्त प्रभागीय वनाधिकारी को आदेश निर्गत किये गये थे ? यदि हाँ, तो वे क्या आदेश थे ?

क्या मंत्री जी यह भी बतलाने का कष्ट करेंगे कि समझौता होने के पश्चात् पत्र संख्या 1685–शिविर 10–9(1) दिनांक 11 जनवरी, 2005 के द्वारा पुनः प्रमुख वन संरक्षक उत्तरांचल को अपने पूर्व पत्र के खण्डन करने की आवश्यकता क्यों हुई ?

क्या मंत्री जी इस प्रकरण की जाँच कराकर समझौते के विपरीत आदेश निर्गत करने के दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

जी हाँ, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल के पत्र संख्या–1542 शि0(1)/10–9(1) दिनांक 30–12–2004 द्वारा निम्न निर्देश दिये गये–

(1) जो वन रक्षक/वन्य जीव रक्षक निलम्बित हैं, यदि वे दिनांक 2–1–2005 तक अपने कार्य पर वापस आ जाते हैं तो उन्हें निलम्बन की स्थिति से बहाल किया जाय।

(2) जो वन रक्षक/वन्य जीव रक्षक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थे, यदि वे दिनांक 2–1–2005 तक अपने कार्य पर उपस्थित हो जाते हैं तो कार्य में अनुपस्थिति की अवधि का वेतन अग्रिम वेतन के रूप में दिया जाय तथा इसकी प्रविष्टि उनकी सेवा पुस्तिका में अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करें।

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल के पत्र संख्या–1685 शि0/10–9(1) दिनांक 11–01–2005 द्वारा पूर्व पत्र का खण्डन नहीं किया गया अपितु पूर्व में दिये गये निर्देशों को और अधिक स्पष्ट किया गया था।

प्रमुख वन संरक्षक द्वारा समझौते के विपरीत आदेश जारी नहीं किये गये हैं इसलिए उनके दोषी होने अथवा उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के वि0ख0 नौगाँव के पिछड़े क्षेत्र नौगाँव–गोडर के ग्राम खिरमू, जांदणू आदि गाँवों को जोड़ने हेतु चामी–सिंगूणी मोटर मार्ग का विस्तार

20–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगाँव के अति दूरस्थ व पिछड़े क्षेत्र नौगाँव–गोडर के ग्राम, नौगाँव मताड़ी, कलोजगाँव, केवलगाँव, खिरमू, जांदणू आदि गाँवों को जोड़ने के लिए चामी–सिंगूणी मोटर मार्ग का विस्तार जनहित में किया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

21–श्री अजय भट्ट–

(तृतीय सोमवार के अतारांकित 19 में स्था0)

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत बांसवॉडा–मोहनखाल मोटर मार्ग का डामरीकरण

22–श्रीमती आशा देवी–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत बाँसवॉडा–मोहनखाल मोटर मार्ग पर केन्द्रीय सड़क निधि से स्वीकृत डामरीकरण का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मार्च, 2005 से कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगाँव के नौगाँव–गोडर के ग्राम बरसी आदि गाँवों को जोड़ने हेतु सारीगाड़–गाद मोटर मार्ग का विस्तार

23–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगाँव के अति दूरस्थ व पिछड़े क्षेत्र नौगाँव–गोडर के ग्राम–बुरसी, ओडगाँव, लोदन, जुगड़गाँव, मौलागाँव आदि गाँवों को जोड़ने हेतु सारीगाड़–गाद मोटर मार्ग का जनहित में विस्तार किया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगाँव में गमरा–चोपड़ा मोटर मार्ग के निर्माण पर व्यय

24–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगाँव में गमरा–चोपड़ा मोटर मार्ग कार्य कब प्रारम्भ किया गया तथा उक्त मार्ग पर कुल कितना व्यय किया गया ?

मोटर मार्ग को यातायात हेतु कब तक खोल दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

वर्ष 1999 में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया।

अब तक 55.00 लाख व्यय हुआ है।

आगामी वित्तीय वर्ष तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के वि0ख0 कर्ण प्रयाग अन्तर्गत वन क्षेत्र धार–डुग्गी मैखूरा मोटर मार्ग की स्वीकृति

25–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या वन मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्ण प्रयाग के अन्तर्गत धार–डुग्गी मैखूरा मोटर मार्ग जो कि वन क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ता है स्वीकृति हेतु शासन के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उक्त के संदर्भ में क्या कार्यवाही की गयी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

जी हाँ।

राज्य सरकार के प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत हल्का मोटर मार्ग हेतु 2.77 है0 वन भूमि के हस्तान्तरण की स्वीकृति कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान कर दी गयी है, लोक निर्माण विभाग द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करने के पश्चात् भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में औपचारिक शासनादेश जारी कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के सतपुली–व्यासघाट मोटर मार्ग के गंगोली गाँव में नयार नदी पर क्षतिग्रस्त झूला पुल का निर्माण

26–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के सतपुली–व्यासघाट मोटर मार्ग के स्थान गंगोलीगाँव में नयार नदी पर झूला पुल कब स्वीकृत हुआ था ?

इस पुल के निर्माण हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी तथा अब तक कितना धनराशि व्यय की गई हैं ?

क्या यह सत्य है कि निर्माणाधीन उक्त झूला पुल का एक पहिया पहली वर्षात में ही क्षतिग्रस्त हो गया था, और तब से इस स्वीकृत झूला पुल का निर्माण नहीं हो पाया है ?

यदि हाँ, तो इसके प्रति कौन उत्तरदायी है और इस झूला पुल के अवशेष निर्माण कार्य को कब तक पूर्ण करवाए जाने की सम्भावना है ?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मार्च 1991 में स्वीकृत किया गया।

स्वीकृत लागत रू0 34.66 लाख तथा वर्ष 1993 तक व्यय रू0 32.21 लाख।

जी हाँ।

सितम्बर 1993 में अप्रत्याशित बाढ़ में एक एबटमेन्ट क्षतिग्रस्त हो गया।

प्रकरण की जाँच करायी जा रही है अवशेष निर्माण कार्य की स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलित है।

उत्तरांचल भवन दिल्ली एवं राज्य अतिथि गृह (नैनीताल क्लब) नैनीताल के अनुरक्षण एवं रख–रखाव पर विगत तीन वर्षों में हुए व्यय एवं आमदनी

27–श्री नारायण पाल–

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि 'उत्तरांचल भवन' दिल्ली, राज्य अतिथि गृह, (नैनीताल क्लब), नैनीताल के अनुरक्षण एवं रख–रखाव पर विगत तीन वर्षों में कितना व्यय हुआ है तथा कक्षों के किराये के रूप में कितनी आय हुई है ?

क्या सरकार दिल्ली में नया अतिथि गृह बनाने जा रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

'उत्तरांचल भवन' दिल्ली एवं राज्य अतिथि गृह, (नैनीताल क्लब) नैनीताल के अनुरक्षण एवं रख–रखाव पर विगत तीन वर्षों में कुल रुपये 2,14,11,623.00 (रु0 दो करोड़ चौदह लाख ग्यारह हजार छः सौ तेईस मात्र) व्यय तथा कक्षों के किराये के रूप में रुपये 46,78,124.00 (रु0 छियालिस लाख अठ्हत्तर हजार एक सौ चौबीस मात्र) की आय हुई है।

उत्तरांचल निवास नई दिल्ली के निर्माण/पुनर्निर्माण हेतु योजना बना ली गई है।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के वि0स0 क्षेत्र धारचूला मुन्स्यारी में सेराघाट से मुन्स्यारी तक के मार्ग का डामरीकरण

28—श्री गगन सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र धारचूला मुन्स्यारी में सेराघाट से मुनस्यारी तक के मार्ग का डामरीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

वित्तीय वर्ष 2006—07 तक डामरीकरण कार्य पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

29—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

30—अनिल नौटियाल—

(प्रथम गुरुवार के अतारांकित 04 में स्था0)

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तरकाशी के बड़कोट में पौंटी पुल के निर्माण की घोषणा का क्रियान्वयन

31—प्रीतम सिंह पंवार—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के मनेरी नामक स्थान पर दिनांक 10 फरवरी, 2004 को मुख्यमंत्री जी द्वारा बड़कोट में पौंटी पुल निर्माण की घोषणा की गयी थी ?

यदि हाँ, तो पौंटी पुल का निर्माण कब तक करा लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी गढ़वाल में जाखणीधार के अन्तर्गत टिपरी—कांडीखाल सड़क निर्माण की स्थिति

32—श्री किशोर उपाध्याय—

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत कराने का कष्ट करेंगी कि जनपद टिहरी गढ़वाल, विकास खण्ड जाखणीधार के अन्तर्गत टिपरी—कांडीखाल सड़क को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ?

यदि हाँ, तो सड़क का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

कार्य प्रगति में।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के वि0ख0 नौगाँव के अन्तर्गत बन्द पड़े डामटा–काण्डी–खनाटी मोटर मार्ग पर यातायात का आवागमन

33–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड व नौगाँव अन्तर्गत डामटा–काण्डी–खनाटी मोटर मार्ग लम्बे समय से बन्द पड़ा हुआ है ?

यदि हाँ, तो उक्त मोटर मार्ग को आवागमन के लिए कब तक खोल दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

मार्ग यातायात के लिए खुला है।

प्रश्न नहीं उठता।

सत्रावसान के उपरान्त आगामी सत्र हेतु प्रश्न प्राप्त किए जाने हेतु अपनायी गयी प्रक्रिया के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, आज प्रश्नकाल में एक अल्पसूचित प्रश्न, तीन तारांकित प्रश्न तथा 31 अतारांकित प्रश्न आये यह स्थिति क्यों पैदा हुई है ? इस विषय पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ। मान्यवर, 25 तारीख को महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा सत्रावसान किया गया था और जैसी कि सूचना सचिव विधान सभा द्वारा प्रेषित की गयी और सत्रावसान का परिणाम नियमावली के नियम 18 के अनुसार सत्रावसान का प्रभाव जब सभा सत्रावसित हो जाय तो सभी लम्बित सूचनायें, वक्तव्य और चर्चायें व्यपगत हो जायेंगी और आगामी सत्र के लिए फिर से सूचनाएं दी जायेंगी।

मान्यवर, इस सत्रावसान के कारण इन व्यपगत सूचनाओं के लिए कार्यवाही होगी, इसके सम्बन्ध में किस प्रकार से कार्यवाही की जानी चाहिए, इसके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा प्रक्रिया सम्बन्धी जो निदेश जारी किये गये हैं, उनके निदेश संख्या–26 में है कि–"सत्रावसान की तिथि तक जितने भी तारांकित अथवा अतारांकित प्रश्न उत्तर हेतु स्वीकार किये जा चुके हों और जो सत्र के दौरान सदन में अनुत्तरित रह गये हों तथा सत्रावसान के फलस्वरूप व्यपगत हो गये हों उन सब के लिखित उत्तर सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा सत्रावसान की तिथि से एक माह के अन्दर प्रश्नकर्ता सदस्यों के पास सीधे प्रेषित किये जा सकते हैं और ऐसी दशा में उनकी एक प्रति विधान सभा सचिवालय को भी भेजी जायेगी। और इसका दूसरा खण्ड कहता है कि "यदि ऐसे प्रश्नों का उत्तर सत्रावसान की तिथि के एक महीने के भीतर प्रश्नकर्ता को न मिले और वे उन प्रश्नों को पुनः पूछना आवश्यक समझें तो नये सिरे से उन प्रश्नों

को पुनः लिखकर उनकी सूचना विधान सभा सचिवालय को भेजे सकेंगे। मान्यवर, 25 तारीख को सत्रावसान की तिथि निर्धारित हुई उक्त सभी सूचनायें व्यपगत हुई, एक माह के अन्दर सरकार से उत्तर आ जाना चाहिए था और यदि उत्तर नहीं आता तो हम पुनः पुनर्जीवित कर सकते थे, लेकिन 25 तारीख को सचिव, विधान सभा द्वारा अधिसूचना जारी हुई कि "सत्रावसान के पश्चात् आगामी सत्र हेतु प्रश्न की सूचना तत्काल ग्रहण की जायेगी। अतः इस प्रकार मा0 सदस्य दिनांक 26 फरवरी, 2005 से प्रश्नों की सूचना दे सकेंगे। मान्यवर, व्यपगत सूचनायें उत्तरित होनी चाहिए थी, यदि हमें उत्तर प्राप्त न हो तो उसको पुनर्जीवित कर सकते थे, लेकिन वह भी अवसर नहीं दिया गया। मान्यवर, नियमावली के नियम-30 के अनुसार "तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की लिखित सूचना सदस्य द्वारा सचिव को कम से कम पूरे 20 दिन पूर्व दी जायेगी।" मान्यवर, 25 तारीख को सत्र आहूत हुआ और 5 मार्च को पत्र जारी हुआ कि "दिनांक 21 मार्च, 2005 को सत्र आहूत किया जा चुका है, यह अधिसूचना जारी हुआ। मान्यवर, अब 26 फरवरी से 21 मार्च के बीच में जो समय बचता है वह मात्र 20 दिन का है, अर्थात् हमने वह सूचनायें लगाई होती तो वह 21 मार्च तक सूचनायें नहीं आतीं और यही कारण है कि अतारांकित-तारांकित प्रश्न नहीं आ पा रहे हैं। मान्यवर, अल्पसूचित प्रश्न जो 15 दिन के भीतर लेते हैं अब उसे तारांकित-अतारांकित में परिवर्तित कर रहे हैं। मान्यवर, पहले तो सत्रावसान की तिथि तथा सत्र आहूत करने की अधिसूचना के मध्य दिया जाने वाला एक माह का समय नहीं दिया गया और दूसरा तारांकित व अतारांकित प्रश्न की सूचना देने हेतु निर्धारित समय नहीं दिया गया। मान्यवर, 2 बिन्दुओं पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ, यदि सत्रावसान नहीं होता और सदन चलता रहता तो इतनी कार्यवाही में जो परेशानियां पैदा हुईं, जो धन अपव्यय हुआ उससे बचा जा सकता और माननीय सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर देने में जवाबदेही हो सकती।

*श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, पहले भी ऐसा हुआ है। जब तारांकित प्रश्न स्वीकार हो जाता है तो वह हाउस की प्रापर्टी बन जाता है।

श्री अध्यक्ष–

प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश की व्यवस्था का उद्देश्य ही यह है कि माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का अधिकाधिक निस्तारण हो जाय। इस दिशा में प्राविधानित व्यवस्था के साथ-साथ यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि आगामी सत्र हेतु समुचित संख्या में प्रश्न प्राप्त हो जायें। चूँकि 31 मार्च, 2005 से पूर्व बजट सत्र सम्भावित था अतः उनके द्वारा प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश 26 के अन्तर्गत लिखित प्रश्नों के उत्तर भेजे जाने हेतु समय नहीं दिया गया इसकी पृष्ठभूमि में मंतव्य यही था कि उपलब्ध समय में वर्तमान सत्र के लिए अधिकाधिक प्रश्न प्राप्त हो जायें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मेरी आपत्ति यह है कि सत्रावसान 25 को हुआ इसकी पुनरावृत्ति न की जाये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, तारांकित प्रश्न स्वीकार होता है, यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है। कौन स्वीकार हुआ और कौन अस्वीकार पता भी नहीं चलता है। अभी मुझे चिट्ठी मिली कि आपका प्रश्न विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त हो गया है। मान्यवर, अन्तिम क्षणों में प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है, इस पर आपका दिशा निर्देश जरूरी है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मुझे सम्बन्धित विभाग तो नहीं पता।

श्री अध्यक्ष–

नियमों में विस्तीर्णता के आधार पर प्रश्न निरस्त किए जाने की व्यवस्था है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, यह प्रश्न बड़ा भी नहीं था इसमें मैंने पूछा था कि....................।

श्री अध्यक्ष–

इसको विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त किया गया है।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 301 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से श्री प्रकाश पन्त, श्री बलबीर सिंह नेगी, श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्रीमती आशा देवी, श्री महेन्द्र भट्ट, श्रीमती विजय बड़थ्वाल तथा श्री बिशन सिंह चुफाल की सूचनाओं को नियम 301 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाऐं अस्वीकार की जाती हैं।

उत्तरांचल राज्य सहकारी विपणन संघ लि० देहरादून में प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के निर्वाचन हेतु पर्वतीय क्षेत्र के प्रतिनिधित्व को कम करके मैदानी क्षेत्र को अधिक प्रतिनिधित्व देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, उत्तरांचल के समस्त (13) जनपदों से सहकारिता क्षेत्र की शीर्ष सहकारी संस्था ''उत्तरांचल राज्य सहकारी विपणन संघ लि० देहरादून'' की प्रबन्ध कमेटी हेतु 13 प्रतिनिधि/सदस्य निर्वाचित होने हैं। उप निबन्धक, सहकारी समितियाँ उत्तरांचल द्वारा दिनांक 5–3–2005 को दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण में प्रकाशित विज्ञप्ति में जनपद चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं चम्पावत की चार सीटों को काटकर जनपद हरिद्वार, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर एवं देहरादून में एक–एक सीट बढ़ा दी गई है। उत्तरांचल के राजस्व जनपदों को समान व पर्याप्त प्रतिनिधित्व न दिये जाने व उपेक्षापूर्ण रवैये से पर्वतीय क्षेत्रों में व्यापक आक्रोश व्याप्त है। उक्त प्रकाशित निर्वाचन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र की विषय भौगोलिक, आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए नवगठित राज्य के प्रत्येक जनपद को प्रतिनिधित्व दिया जाना न्यायिक दृष्टिकोण से उचित एवं आवश्यक है। अतः अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय, तात्कालिक व लोक महत्व की सूचना को नियम 301 के अन्तर्गत लेकर सरकार को प्रभावी निर्देश निर्गत करने की कृपा करें।

जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट के अन्तर्गत जिला पंचायत पैदल मार्ग चौरपाल–नागघूणा–रैतोला के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत जिला पंचायत पैदल मार्ग चौरपाल–नागघूणा–रैतोला की दुर्दशा की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस सी0सी0 मार्ग के निर्माण हेतु मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी ने अपने पत्रांक 10415 दिनांक 11–12–2002 द्वारा आदेश दिये हैं जिस पर अपर मुख्य अधिकारी जिला पिथौरागढ़ द्वारा मार्ग के निर्माण हेतु 10.08 लाख रुपये का आगणन तैयार किया जो जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को प्रेषित किया गया। वर्ष 2003–2004 में सी0सी0 मार्ग बनाने में विकास निधि से दो लाख एवं विभाग से तीन लाख रुपये व्यय किये गये। 3 कि0मी0 के इस पैदल मार्ग के बीच में एक कि0मी0 सी0सी0 मार्ग बनाकर मरम्मत की गयी। मार्ग के दोनों ओर शेष 2 कि0मी0 भाग को छोड़ दिया। यहाँ यातायात का कोई साधन नहीं है। पहाड़ी ढलान का मार्ग होने के कारण इसकी हालत बहुत ही खराब है। वर्षा से इतने गहरे गड्ढे बन गये हैं कि इस मार्ग पर चलना मुश्किल है। स्थानीय जनता को, स्कूल के बच्चों को और ढुलाई का साधन घोड़ों के आने–जाने में अत्यन्त कठिनाई है। अतः मेरा अनुरोध है कि उक्त मार्ग की चौरपाल–नागघूणा–रैतोला तक के पूरे तीन कि0मी0 मार्ग की सी0सी0 मरम्मत तुरन्त करायी जाये, प्रकरण सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित है, जनहित से जुड़ा है, महत्वपूर्ण है। अतः इस पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूँ।

प्रबन्ध समिति इण्टर कालेज योगसैण, रामपुर वि0ख0 चौखुटिया जनपद अल्मोड़ा के प्रान्तीयकरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, प्रबन्ध समिति इण्टर कालेज योगसैण, रामपुर विकास खण्ड चौखुटिया जनपद अल्मोड़ा को वर्ष 2000 में इण्टर की मान्यता (वित्तविहीन) मिल गई थी, चूँकि पर्वतीय क्षेत्रों में वित्तविहीन कालेजों को चलाने में अत्यन्त कठिनाई होती है और उक्त कालेज इस क्षेत्र का एक मात्र इण्टर कालेज होने के कारण छात्रों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। पूर्व विधायक स्व0 श्री विपिन त्रिपाठी जी के द्वारा माह जुलाई, 2004 को मा0 मुख्यमंत्री जी को प्रान्तीयकरण के लिए उक्त विद्यालय के सन्दर्भ में अवगत किया गया था लेकिन सात माह व्यतीत हो जाने के बावजूद विद्यालय का प्रान्तीयकरण नहीं हो पाया है जिससे छात्र–छात्राओं का भविष्य अधर में है और क्षेत्र की जनता में भारी रोष व्याप्त है। अतः इस सूचना के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।

जनपद रुद्रप्रयाग में वि0ख0 ऊखीमठ के अन्तर्गत ब्यूंगगाड़ में क्षतिग्रस्त पैदल पुल के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती आशा देवी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद रुद्रप्रयाग में विकास खण्ड ऊखीमठ के अन्तर्गत ब्यूंगगाड़ में विनाशकारी भू–स्खलन से क्षतिग्रस्त पैदल पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में लाना चाहती हूँ। महोदय जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत ब्यूंगगाड़ में 15–16 जुलाई, 2001 को विनाशकारी भू–स्खलन से ग्राम पंचायत ब्यूंग के अन्तर्गत ब्यूंग गदेरे पर लो0नि0वि0 द्वारा निर्मित पैदल पुल पूर्णतया बह गया था, जो कि ग्राम सभा ब्यूंग, जुरानी, गैखण्डा, धानी, खाट, खड़िया आदि गाँवों का मुख्य सम्पर्क मार्ग है। ग्रामीण जनता तथा क्षेत्र के समस्त छात्र–छात्राओं को विद्यालय आने–जाने में अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रीय जनता एवं जन–प्रतिनिधियों द्वारा उक्त पुल के निर्माण के सन्दर्भ में कई बार शासन–प्रशासन से माँग करने के उपरान्त भी अभी तक उक्त पैदल पुल का निर्माण नहीं किया गया है, जिससे क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के तत्कालिक प्रश्न पर सदन की आज की कार्यवाही स्थगित कर चर्चा कराने की माँग करती हूँ।

जनपद चमोली के प्राथमिक विद्यालय में चलाई जा रही मध्याह्न भोजन योजना में धन की व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद चमोली के प्राथमिक विद्यालय में चलाई जा रही मध्याह्न भोजन योजना में शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों को इस मद में कई माह से धन नहीं दिये जाने के कारण अभिभावकों एवं शिक्षकों में व्याप्त आक्रोश की ओर दिलाना चाहता हूँ। महोदय, विद्यालयों में धन की व्यवस्था न होने पर मध्याह्न भोजन का वितरण बाजार से राशन उधार लेकर किया जा रहा था, जो अब बन्दी की कगार पर पहुँच चुकी है। भोजन बनाने वाले रसोईया का वेतन भी कई माह से नहीं दिया गया है। वर्तमान में समय में यह योजना जनपद में पूरी तरह बन्दी की कगार पर पहुँच चुकी है। अतः महोदय इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की माँग करता हूँ।

विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जनपद पौड़ी के जाखणीखाल–व्यासघाट मोटर मार्ग को यातायात हेतु खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल में जाखणीखाल–व्यासघाट मोटरमार्ग का निर्माण कार्य वर्ष 1982 में प्रारम्भ किया गया था। 1997 तक 23 वर्षों में

विभिन्न योजनाओं के तहत केवल 14–1/2 (साढ़े चौदह कि0मी0) मोटर मार्ग 85.75 लाख रुपये खर्च किये गये। 23 वर्षों की लम्बी अवधि के बाद भी मोटर मार्ग में यातायात नहीं चल रहा है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता कई कि0मी0 पैदल चलने के लिए विवश है। मोटर मार्ग को यातायात के लिए खोले जाने के लिए जनता द्वारा कई बार आन्दोलन किये गये। लेकिन विभाग द्वारा इसमें कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए उचित कार्यवाही की मांग करती हूँ।

जनपद पिथौरागढ़ के तहसील मुन्स्यारी के मल्ला भैंसकोट भोरियागाड़ा में उत्पन्न पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जनपद पिथौरागढ़ के तहसील मुन्स्यारी के मल्ला भैंसकोट भोरियागाड़ा पेयजल स्रोत सूख जाने से भोरियागाड़ा में 50 परिवार अनुसूचित जाति के लोगों के सामने पेयजल की गम्भीर समस्या बनी हुई है। पेयजल को लेकर ग्रामीणों द्वारा कई बार विभाग को दूसरे स्रोत से पेयजल की योजना बनाये जाने हेतु सुझाव भी दिया गया लेकिन विभाग द्वारा अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी। दो किलोमीटर की दूरी से ग्रामीण पीने के लिए पानी ढो रहे हैं। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।

जनपद पिथौरागढ़ के बेरीनाग, काली विनायक, पुराना थल तथा तडीगाँव मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद पिथौरागढ़ के बेरीनाग, काली विनायक, पुराना थल तथा तडीगाँव मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री जीवन पाठक एवं अन्य निवासीगण, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

उत्तरकाशी नगर को तीर्थ नगरी घोषित करने तथा नगर में तीर्थ सुधार अधिनियम लागू किए जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तरकाशी नगर को तीर्थ नगरी घोषित करने तथा नगर में तीर्थ सुधार अधिनियम लागू किये जाने के सम्बन्ध में श्री महावीर चौहान एवं अन्य निवासीगण जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद नैनीताल के विकास खण्ड भीमताल के अन्तर्गत ज्योलीकोट अथवा बल्दियाखान में शीतगृह निर्माण किए जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद नैनीताल के विकास खण्ड भीमताल के अन्तर्गत ज्योलीकोट अथवा बल्दिया खान में शीतगृह निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री किशन सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद नैनीताल के विकास खण्ड भीमताल, ग्राम सभा देवीधूरा में ग्राम जमीरा से बल्दियाखान जीप मार्ग का निर्माण किए जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद नैनीताल के विकास खण्ड भीमताल, ग्राम सभा देवीधूरा में ग्राम जमीरा से बल्दियाखान जीप मार्ग का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदीश चन्द्र एवं अन्य निवासीगण, जनपद नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

नये जनपद कोटद्वार की स्थापना के सम्बन्ध में याचिका

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से नये जनपद कोटद्वार की स्थापना के सम्बन्ध में श्री भारत सिंह रावत एवं अन्य निवासीगण जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूँ।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, चमोली के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर कार्यवाही की प्रगति

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, नियम 64 के अन्तर्गत मैंने स्वयं और माननीय सदस्य श्री अनिल नौटियाल एवं श्री गोविन्द लाल शाह द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी, चमोली द्वारा बेसिक शिक्षा समिति की बैठकों में नहीं बुलाने तथा जिला शिक्षा परियोजना समिति में प्राथमिक तथा नवीन जूनियर हाई स्कूलों के चयन में संस्तुति तथा प्रस्तावों को न मानने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार हनन की सूचना दी थी। इसमें उत्तर आया था कि परीक्षण कराया जायेगा। तो क्या इसका परीक्षण हो गया है ?

श्री अध्यक्ष–

इसका परीक्षण कराया जा रहा है।

दून विश्वविद्यालय विधेयक, 2005

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से दून विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि दून विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से दून विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करती हूँ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 56 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, इनमें से (1) श्री काशी सिंह ऐरी तथा श्री पुष्पेश त्रिपाठी (2) मो0 शहजाद, चौ0 यशवीर सिंह, श्री तसलीम अहमद तथा हरीदास (3) श्री अनिल नौटियाल की सूचना को नियम–56 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ तथा इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री हरीदास एवं श्री नारायण पाल की सूचना को माननीय सदस्यों को नियम–56 में सुनने का आग्रह किया है, मैं उन्हें भी नियम–56 में सुन रहा हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकार की गई।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे उत्तरांचल राज्य में शक्ति फार्म, दिनेशपुर, खटीमा, रुद्रपुर, गदरपुर आदि क्षेत्रों में पाकिस्तान से आये हुए जो वर्तमान में बांग्लादेश है वहाँ से कुछ लोग यहाँ पर आये थे। इनमें से नमःशूद्र, पोद या पौण्ड्र एवं माझी या केवट को, जो कि वहाँ अनुसूचित जाति में आते थे और इन जातियों को भारत के अन्य राज्यों में, जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, मणिपुर, त्रिपुरा में, आज भी अनुसूचित जाति में आते हैं और उन्हें आरक्षण का लाभ मिलता है। यहाँ पर 2–2 बार इस विधान सभा में सर्वसम्मति से इन्हें अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए प्रस्ताव किया गया था।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने 1979 में, जो आज हमारे उत्तरांचल राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हैं, ने इन परिस्थितियों को ध्यान

में रख कर जो सुविधाएं अनुसूचित जाति के लोगों को स्कूलों में प्रदत्त हैं, उनके बराबर छात्रवृत्ति इस समुदाय के लोगों को देने की बात कही थी, जो आज भी मिल रही है। मान्यवर, अभी झारखण्ड राज्य ने राज्य स्तर पर 19 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया है और शामिल करने के साथ ही इनका प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। मान्यवर, ये जातियां आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत कमजोर हैं।

उन्होंने इनको अपने राज्य में अनुसूचित जाति में शामिल किया है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने कई–कई बार दिल्ली में इस समस्या को लेकर धरना दिया और आपके माध्यम से भी कई बार सरकार से अनुरोध किया। मैं और माननीय प्रेमानन्द महाजन जी 2 महीने पहले इस सम्बन्ध में माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिले थे। हम दोनों लोग करीब 6 महीने पहले इस मामले को लेकर दिल्ली में गिरफ्तार भी हुए थे। जब हम गिरफ्तार हुए तो वहाँ पर वासुदेवाचार्य जी, जो सांसद हैं, वह भी हमें मिले थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने राज्य सरकार से इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी है लेकिन इसके विपरीत केन्द्रीय समाज कल्याण मंत्री श्रीमती मीरा कुमार ने वासुदेवाचार्य जी को एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा है कि हमने राज्य सरकार से इसकी जानकारी मांगी है लेकिन राज्य सरकार ने इसकी कोई जानकारी नहीं दी है। मान्यवर, आज हमने नियम 311 के अन्तर्गत अपनी बात को रखना चाहा और विगत 3 साल से कई बार हमने इस बात को रखने की चेष्टा की। आज आपने नियम 56 में इसे सुनने का अवसर प्रदान किया, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। यह लाखों लोगों की समस्या है। ऊधमसिंह नगर तथा नैनीताल के लाखों लोग इससे प्रभावित होंगे। ये लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत कमजोर हैं। मेरा अनुरोध है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि उत्तरांचल राज्य में इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करें। यह लाखों लोगों की मांग है।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, मैं भी इस सूचना पर बोलना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में अध्ययनरत बंगाली समुदाय की उप जातियों नमःशूद्र, पोद या पौण्ड्र एवं माझी या केवट को प्रदेश के अनुसूचित जाति का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में हमारे द्वारा दी गयी नियम 311 की सूचना को आपने नियम 56 में सुनने की अनुमति प्रदान की इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि यह विषय लोक महत्व का है।

मान्यवर, बहुत संवेदनशील है, तात्कालिक है। यह चार–पाँच लाख लोगों की समस्या है। यह केवल मैं आपको उत्तरांचल की बात बता रहा हूँ। ऐसे तो पूरे भारत वर्ष में कई करोड़ लोग इन जातियों के होंगे। महोदय, प्रदेश के ऊधमसिंह नगर के तहसील गदरपुर, किच्छा, सितारगंज व खटीमा में बंगाली समाज के अनुसूचित जाति के उपजाति नमःशूद्र पौण्ड्रा जाति के लोग रहते हैं। माननीय मंत्री जी हँस रहे हैं। इनके क्षेत्र में भी यह लोग हैं। भारत वर्ष के विभिन्न प्रदेशों पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा, आसाम, गोवा

में इन जातियों को पूर्व से ही अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है। और अभी हाल ही में करीब 2–3 महीने पहले झारखण्ड, जो नवगठित राज्य है, ने भी इन जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दे दिया है। मान्यवर, हमारे पूर्व के माननीय नेताओं द्वारा हमारे हक के लिए 1952 से आन्दोलन धरना प्रदर्शन ऊधमसिंह नगर से लेकर देहरादून, दिल्ली में जन्तर–मन्तर में किया जाता रहा है।

मान्यवर, हमारे नेता सदन जो पूर्व में अर्थात् 1989 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उनके प्रयासों से संविधान की धारा 341/342 के आधार पर बंगालियों की उपजातियों नमः शूद्र, पोद या पौण्ड एवं मांझी या केवट जाति के प्रदेश के अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं के समान उच्च माध्यमिक तक छात्रवृत्ति अनुमन्य किया था जो आज भी इन जातियों के बच्चों को मिल रहा है। परन्तु इंजीनियरिंग और मेडिकल में प्रवेश की समस्या है। उनको इनमें आरक्षण की सुविधा नहीं प्राप्त है। मान्यवर, प्रदेश के विधान सभा द्वारा सन् 2001 व 2002 में इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किये गये। महोदय, इस सम्बन्ध में 1967 में संसदीय ज्वाइंट कमेटी द्वारा भी उपरोक्त को अनुसूचित जाति माना व संस्तुति दी। महोदय, हमारी सरकार इस मुद्दे को भारत सरकार से सम्बन्धित कर टालना चाहती है। यह प्रदेश सरकार का दायित्व है कि इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए क्योंकि यह इनके घोषणा–पत्र में भी इस बात का वादा जनता से किया था कि हम आपको आरक्षण दिलवायेंगे। सरकार बार–बार यह बात कहती है कि हमने केन्द्र सरकार को संस्तुति भेजी है किन्तु मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि नवगठित राज्य झारखण्ड सरकार द्वारा दिनांक 18 व 23 नवम्बर को कैबिनेट मीटिंग करके लेंव बागदी, पुनाई पुष्पनामित, झोरा, मदगोप, बैरागी पाइका, कादर, मीनिया, पोरगा, खंगार कुरामी, घटवार, नमः शूद्र, बियार खेतारी और कोल्ह इस प्रकार से कुल 19 जातियों को अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग में किस प्रकार से सूचीबद्ध कर दिया ? जब झारखण्ड सरकार अपने प्रदेश में रहने वाले लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा दे सकती है तो उत्तरांचल क्यों नहीं दे सकता है ? मान्यवर, वर्तमान में तो केन्द्र में भी इन्हीं की पार्टी की सरकार है, वहाँ भी इस मुद्दे को परसू किया जा सकता है और त्वरित कार्यवाही की जा सकती है। तात्कालिक रूप से इन जातियों को मेडिकल और इंजीनियरिंग में प्रवेश की सुविधा प्रदान की जाए। साथ ही केन्द्र सरकार से वार्ता कर इन जातियों को इनका हक दिलाया जाए।

*श्री हरीदास–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने नियम 56 के अन्तर्गत बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि सरकार की तरफ से यह जवाब आ जायेगा कि भारत सरकार का मसला है।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि एक बार इस सदन से प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया जाय, क्योंकि ये बंगाली समाज अनुसूचित जाति के दर्जे में ले लिया जाय, यह प्रस्ताव यहाँ से जाना चाहिए। मैं इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर बल देते हुए सदन से मांग करता हूँ कि नियमों को निलम्बित करते हुए इस पर चर्चा करायी जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

मान्यवर, सभी माननीय सदस्यों को पूरी जानकारी है कि भारत की संविधान की धारा 341 के अनुसार यह अधिकार किसको प्राप्त है। मान्यवर, इसमें स्पष्ट उल्लेख है। मान्यवर, सबसे लेटेस्ट अगस्त, 2002 को भारत सरकार के सामाजिक एवं न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय को राज्य सरकार ने अपनी संस्तुति भेजी कि बंगाली समुदाय के जो नमः शूद्र, पोद या पौन्ड एवं माझी या केवट जितने भारतीय नागरिकता प्राप्त हो चुके हैं जो वर्ष 1950 से 1971 के बीच उत्तरांचल में आये हैं उत्तरांचल की अनुसूचित जाति में शामिल किये जायं। इसमें लगातर प्रयास किया जा रहा है, यह हमारी चिंता है।

मान्यवर, नैनीताल सीट पर इन लोगों की बहुत संख्या है। मान्यवर, सब जानते हैं माननीय तिवारी जी जब पार्लियामेन्ट में थे तो उन्होंने इस बारे में पूरा प्रयास किया और पूरी ताकत इस समुदाय के विकास में लगायी, और इसके बाद उत्तरांचल में वर्ष, 2002 में पुनः प्रयास किया। हम पुनः फिर प्रयास करेंगे कि इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर इसको स्वीकार किया जाय।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, हम यहाँ पर लगातार कई वर्षों से सुन रहे हैं कि इसका प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है। मान्यवर, यह प्रस्ताव दो बार केन्द्र सरकार को भेजा जा चुका है, यह हमारी जानकारी में भी है। यहाँ पर बार–बार यह आ रहा है कि स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की अनुशंसा कर एक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा। मान्यवर, आप झारखण्ड सरकार से इसकी जानकारी ले सकते हैं। मान्यवर, अभी दो–तीन महीने पहले आपको याद होगा कि जो जैन समाज के लोग पिछड़े वर्ग का दर्जा लेने माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गये तो क्या भारत सरकार से पूछ लिया था, कि क्या भारत सरकार की संस्तुति के आधार पर किया गया ?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, संविधान के ऊपर कोई भी राज्य सरकार कार्यवाही नहीं कर सकती है। यह संविधान की धारा 341 में भी है। संविधान के इतर किसी भी राज्य सरकार को कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। मान्यवर, जो हमारे अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत है यही निर्णय दे सकते हैं।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं खुद से महसूस कर रहा हूँ कि शायद हमने गलत पढ लिया हो या गलत सुना हो कि जैन समुदाय के लोगों को पिछड़े वर्ग का दर्जा दिया गया, तो मैं जानकारी लेना चाहता हूँ कि यह हवा में तो नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, जैन समुदाय अल्पसंख्यक है, ओ0बी0सी0 नहीं है।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, अल्पसंख्यक का जब दर्जा दिया गया है तो भारत सरकार से कुछ निर्णय हुआ था, तो थोड़ा सा मुझे बता दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नारायण पाल, माननीय हरीदास, माननीय प्रेमानन्द महाजन को सुनने के पश्चात् और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस सूचना की ग्राह्यता पर सुनने का अवसर दिया। मान्यवर, यह एक ऐसा विषय है जिस पर न तो कोई चर्चा होनी चाहिए थी और न कोई राजनीतिक विवाद होना चाहिए था और राज्य बनने के साथ ही इसका फैसला हो जाना चाहिए था, पर दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। मान्यवर, एक अन्तर्राष्ट्रीय शहर को अस्थाई राजधानी घोषित करके उस शहर के साथ भी अन्याय किया गया और उत्तराखण्ड की जनता की भावनाओं का भी अनादर किया गया। मान्यवर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह तथ्य मैं पहले भी सम्मानित सदन में कह चुका हूँ। मान्यवर, सन् 1994 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया। तत्कालीन कैबिनेट मंत्री माननीय रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में कौशिक समिति घोषित हुई, उसमें 5 कैबिनेट मंत्री थे, उसके सदस्य सचिव उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव थे और संयोजक तत्कालीन उत्तराखण्ड विकास विभाग के सचिव थे। मान्यवर, सर्वेक्षण करके, लोगों की राय लेकर और लोगों की राय एक जगह बैठकर नहीं ली। मान्यवर, उस समिति की चार बैठकें हुईं, जो कि अल्मोड़ा, पौड़ी, काशीपुर और लखनऊ में हुईं। चार बैठकें करके समाज से जुड़े हुये विभिन्न लोगों की राय लेकर व्यापक प्रचार-प्रसार करके अपनी संस्तुति कौशिक समिति ने दी, 65 फीसदी से ज्यादा लोगों की राय में गैरसैंण प्रदेश की राजधानी बननी चाहिए और यही संस्तुति कौशिक समिति ने की और उसको उत्तर प्रदेश की विधान सभा में रखा गया।

मान्यवर, यह तत्कालीन उत्तर प्रदेश की विधान सभा में रखा गया और बिना किसी संशोधन के उसको स्वीकार किया और उसको स्वीकार करने के पश्चात् भारत सरकार को भेजा गया। उस समय तत्कालीन भारत सरकार जिसने कि हमारा राज्य बनाया और राज्य बनाने के साथ ही जन भावनाओं पर गौर करती, और राज्य के साथ ही राजधानी का चयन भी गैरसैंण के लिए हो जाता। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक अन्तर्राष्ट्रीय शहर जिसको ज्यादा से ज्यादा एक पर्यटक नगर के रूप में विकसित करना चाहते हैं। यह वाणिज्यिक राजधानी बन सकती है, यहाँ पर राजधानी बना कर पूरे उत्तरांचल की भावनाओं का अनादर किया गया और इस शहर के लोगों पर भी अन्याय किया गया। मान्यवर, जो आधारभूत सुविधायें हैं वह वहीं हैं, अस्थायी राजधानी होने के कारण लोगों का दबाव बढ़ गया है। उससे यहाँ का आम नागरिक बहुत परेशान है। मान्यवर, पूरे प्रदेश की जनता के साथ अन्याय हुआ है। मान्यवर, तत्कालीन सरकार ने

एक बीच का रास्ता निकाला और जनभावनाओं से बचने के लिए एक आयोग गठित कर दिया गया। मान्यवर, हिन्दुस्तान में यह पहला मामला होगा कि राजधानी के चयन हेतु एक आयोग गठित किया गया।

मान्यवर, कांग्रेस ने अपने घोषणा–पत्र में कहा था कि हम राजधानी का मसला 24 घन्टे के अन्दर हल कर लेंगे, स्थायी राजधानी गैरसैंण कर देंगे। यह जनता की उम्मीद थी। मगर ऐसा नहीं हुआ। इस सरकार ने उस गलती का सहारा लेकर उसी आयोग को पुनर्जीवित कर दिया, एक ऐसा मसला जो पहले से तय हो गया। मान्यवर, आज तक राजधानी का मसला लटकाया जा रहा है। यह सरकार फैसला क्यों नहीं कर रही है ? मान्यवर, जहाँ इस प्रदेश की जनता ने इस राज्य को बनाने के लिए शहादतें दी हैं, कुर्बानियां दी हैं उसमें 42 से ज्यादा लोग शहीद हुए। राजधानी के लिए बाबा मोहन उत्तराखण्डी ने अपनी शहादत दी। मान्यवर, राजधानी का मसला उत्तराखण्ड की जनता लगातार उठाती रही है।

मान्यवर, प्रदेश की स्थाई राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। लेकिन सरकार इस जन भावना के अनुरूप अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए आयोग के कार्यकाल को बढ़ाती जा रही है। कितना पैसा आयोग पर खर्च किया जा चुका है और यदि पहले कोई बात नहीं हुई होती, कोई राय न आई होती तो हम कहते कि चलो आपने आयोग बना दिया, लेकिन पहले से ही राय है उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी ने गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात कही थी। मान्यवर, सारी बातें स्पष्ट हैं लेकिन सरकार को यह दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार राजनीति कर रही है। स्व0 विपिन चन्द्र त्रिपाठी जी की मृत्यु के पश्चात् जब वहाँ पर चुनाव हुए द्वाराहाट में, तो द्वाराहाट गैरसैंण से लगा हुआ है। उसमें दोनों बड़ी पार्टियों के सांसदों ने भाजपा और कांग्रेस दोनों के सांसदों ने, बयान दिया कि राजधानी का फैसला जल्दी होना चाहिए, गैरसैंण को राजधानी बनाना चाहिए। अखबारों में उन्होंने ये बयान दिये क्योंकि उस समय वहाँ पर चुनाव होना था। मान्यवर, राजधानी के मुद्दे को राजनीतिक फायदे का मुद्दा बनाकर दोनों पार्टियां इससे खेल रही हैं क्योंकि सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है।

मान्यवर, एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ आपकी पीठ से निर्देश हुए थे। जब यहाँ विधान सभा में आग लगी, बेंच टूटी थी तो यहाँ के माननीय सदस्यों ने कहा था कि आखिर हम कब तक असुरक्षा में अस्थाई राजधानी में बैठेंगे। तो मान्यवर, पीठ ने निर्देश दिया था कि स्थाई विधान सभा बननी चाहिए, लेकिन मान्यवर, इस आदेश का पालन नहीं हुआ। यह सरकार पीठ के निर्देशों का पालन करने में नाकाम रही है। जब पीठ के निर्देशों के अनुसार विधान सभा बनेगी तो यह स्थाई राजधानी में बनेगी।

श्री अध्यक्ष–

इसमें आपका भी सहयोग चाहिए होगा।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, हमसे जितना भी हो सकेगा हम उसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे लेकिन निवेदन है कि सरकार आपकी पीठ के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है। मेरी मांग है कि गैरसैंण को राजधानी बनाया जाय। मान्यवर, 65 फीसदी जनता चाहती है कि गैरसैंण को राजधानी बनाया जाये। मान्यवर, गैरसैंण राजधानी उत्तराखण्ड आंदोलन का ही एक हिस्सा है। इसे राज्य की अवधारणा से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। अगर सरकार ऐसा करेगी तो यह राज्य के लोगों के साथ अन्याय होगा। वहाँ राजधानी बनाने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जगह के दृष्टिकोण से, पानी के दृष्टिकोण से, यातायात के दृष्टिकोण से गैरसैंण उपयुक्त स्थान है। लेकिन सरकार को यह बात समझ में नहीं आती है। सरकार जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और मान्यवर, शायद सरकार की यह भी मंशा है कि इस मुद्दे पर कुछ और शहादतें हों। यदि समय पर इसका फैसला नहीं किया गया तो सरकार के खिलाफ विद्रोह हो जायेगा। आज सरकार निर्णय लेने में सक्षम नहीं है तो हमने इसलिए कार्य स्थगन का प्रस्ताव रखा है।

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी भी यहाँ पर हैं। इस विषय पर सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा कराई जाये। यह विषय अविलम्बनीय, लोकमहत्व का है, प्रदेश के भविष्य से, प्रदेश के विकास से जुड़ा हुआ है। तो यह विषय जो इतना अविलम्बनीय है, तात्कालिक है, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि सदन की कार्यवाही को स्थगित कर चर्चा कराई जाय। इससे सरकार को भी समझ में आ जायेगा, सरकार को भी सारे तथ्य मिल जायेंगे और सरकार को इससे फैसला लेने में मदद मिलेगी। मान्यवर, हम केवल चर्चा करने के लिए यह कार्य स्थगन का प्रस्ताव नहीं लाये हैं बल्कि हम दिल से, भावनाओं से इसे यहाँ पर लाये हैं। इसलिए आग्रह है मान्यवर, कि सरकार की ओर से भी इस पर कार्यवाही स्थगित कर चर्चा करा ली जाय तो पता चल जायेगा कि कितने लोग गैरसैंण राजधानी बनाये जाने के पक्ष में हैं, सर्वसम्मति से नहीं तो बहुमत से तो यह पास हो ही जायेगा, ऐसा हमारा विश्वास है, धारणा है। मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूँ कि सदन की कार्यवाही इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर स्थगित कराकर चर्चा कराई जाय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने नियम 56 के अन्तर्गत मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

मान्यवर, मैं अपने आप को माननीय काशी सिंह ऐरी जी से संबद्ध करता हूँ और सत्ता के मद में चूर इस सरकार को यह याद दिलाना चाहता हूँ। श्रीमन्, यह इस सरकार का चुनाव घोषणा–पत्र है, यह कांग्रेस पार्टी का घोषणा–पत्र है इसमें एक नहीं तीन–तीन जगह राज्य की स्थाई राजधानी के लिए लिखा गया है। सबसे पहले इस सरकार ने, इस पार्टी ने अपने घोषणा–पत्र में लिखा है कि जैसे ही सरकार आयेगी उसके 6 महीने बाद स्थाई राजधानी का चयन कर लेंगे। इसके बाद मान्यवर, कांग्रेस ने इसमें लिखा कि

भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी का विवाद खड़ा किया है और भाजपा ने कहा कि देहरादून अस्थाई राजधानी है और स्थाई राजधानी कहाँ होगी इसके लिए दीक्षित आयोग का गठन कर दिया जो कि छलावा है। इन्हीं सब बातों को लेकर यह पार्टी जनता के बीच में गई और जनता द्वारा इस पार्टी को बहुमत भी दिया गया और यह भी कहा कि दीक्षित आयोग जनता को भ्रमित कर रहा है और इसमें यह भी साफ–साफ लिखा है कि राज्य की राजधानी आन्दोलनकारियों की भावनाओं के अनुरूप केन्द्र में बनाई जायेगी। कांग्रेस ने भी माना कि राजधानी गैरसैंण में ही बनेगी तो फिर क्यों बार–बार दीक्षित आयोग का कार्यकाल इस सरकार द्वारा बढ़ाया जा रहा है?

मान्यवर, जैसा कि पूर्व में माननीय काशी सिंह ऐरी जी ने सब कुछ कह ही दिया है, यह बात ठीक है कि गैरसैंण में अभी अवस्थापना सुविधायें नहीं हैं। लेकिन मान्यवर, इस राज्य की मांग है इसीलिए उठाई गई थी कि उत्तराखण्ड में 75 प्रतिशत भू–भाग जो आज भी मूलभूत आवश्यकताओं और सुविधाओं से वंचित है, उन्हें सुविधायें मिलेगी इसलिए यह मांग उठाई गई थी। श्रीमन्, उत्तराखण्ड की 65 फीसदी जनता ने गैरसैंण को अपने राज्य की राजधानी माना है और स्वीकार किया है। अगर गैरसैंण बनती है तो मान्यवर, जो मूल अवधारणा जनता की थी, वह पूरी होगी। मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि नैनीताल शहर जिसे अंग्रेजों ने 1939 में बसाया था वह उससे पहले एक जंगल था और धीरे–धीरे उस शहर का विकास हुआ। मान्यवर, किसी शहर को बसाने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। यदि गैरसैंण राजधानी बनी तो उसके जो चारों तरफ 5 हजार ग्राम सभायें हैं उन्हें निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। मान्यवर, गैरसैंण राजधानी बनने से निश्चित रूप से आंदोलनकारियों की भावनाओं को और उनकी शहादत को सम्मान मिलेगा।

अतः इस अविलम्बनीय, तात्कालिक और लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हमारे सम्मानित साथी श्री काशी सिंह ऐरी जी बहुत अनुभवी और पुराने सदस्य हैं, उनको पूरा ज्ञान है। पुष्पेश त्रिपाठी जी पढ़े लिखे सदस्य हैं। आप अपने घोषणा–पत्र भी लाए, ताकि हमें आईना दिखा सकें। आपने बहुत अच्छा किया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हो जाने के फलस्वरूप उत्तरांचल राज्य का गठन के उपरान्त उत्तरांचल राज्य की अस्थायी राजधानी देहरादून में स्थापित की गयी और स्थायी राजधानी के सम्बन्ध में निर्णय उत्तरांचल सरकार द्वारा नवनिर्वाचित सरकार के गठन के बाद लिए जाने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया था। राजधानी के स्थल चयन के सम्बन्ध में नव निर्वाचित सरकार के गठन के पूर्व उत्तरांचल विधान सभा के प्रथम सत्र 2001 में एक अल्पसूचित प्रश्न उठाया गया था जिसके उत्तर में कहा गया था कि उत्तरांचल राज्य की राजधानी के लिए एक उपयुक्त स्थल के चयन का प्रकरण शासन के विचाराधीन है। इसी उद्देश्य से एक सदस्यीय आयोग का गठन कार्यालय ज्ञाप संख्या 162/एक–4/2001 दिनांक 11–01–2001 के द्वारा किया गया और सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति

श्री वीरेन्द्र दीक्षित, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए थे और उत्तरांचल राज्य के बाहर के थे, राजधानी स्थल चयन के सम्बन्ध में निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाये जाने के दृष्टिकोण से उन्हें एकल सदस्यीय आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया। आयोग के गठन के बाद शासन द्वारा आयोग से अपेक्षा की गयी कि वह छः माह के भीतर अपना प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत करेगा और निम्नांकित बिन्दुओं पर अनिवार्यतया अपने अभिमत का समावेश करेगाः–

1. राजधानी के प्रस्तावित स्थलों से सम्बन्धित पक्षों का अभिमत।
2. राजधानी के प्रस्तावित स्थल की उत्तरांचल राज्य के विभिन्न क्षेत्रों/स्थानों से दूरी तथा संचार व यातायात सुगमता।
3. प्रस्तावित स्थल पर राजधानी निर्माण किए जाने की दशा में सम्भावित वित्तीय भार।
4. प्रस्तावित स्थल की भू–गर्भीय संरचना, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उपयुक्तता, सतत् एवं पर्याप्त जल उपलब्धता, उपलब्ध क्षेत्र की पर्याप्तता तथा अन्य अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं की उपलब्धता।
5. राज्य गठन के जारी आदेश में आयोग को यह भी निर्देश दिए गए कि आयोग उपरोक्त कार्यों के लिए सम्बन्धित विषयों के विशेषज्ञों यथा–पर्यावरण, नगर नियोजन, वित्त, भू–गर्भ आदि की सहायता ले सकता है।
6. आयोग को यह भी निर्दिष्ट किया गया कि उपरोक्त उल्लिखित बिन्दुओं के अतिरिक्त वह युक्ति संगत बिन्दु, जिन्हें वह उचित समझे, पर भी अभिमत व्यक्त कर सकेगा।

एकल सदस्यीय आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति श्री वीरेन्द्र दीक्षित द्वारा 19–04–2001 के पत्र द्वारा सूचित किया गया कि विभिन्न स्रोतों/वर्गों से इस आशय की बातें सामने आ रही हैं कि आयोग का गठन राज्य में चुनावों के बाद निर्वाचित सरकार के गठन के पश्चात् किया जाना चाहिए। उक्त स्थिति के मद्देनजर रखते हुए तद्नुसार उन्होंने शासन को सुझाव दिया कि आयोग के कार्य को विधान सभा चुनावों तक लम्बित कर दिया जाय तथा नवनिर्वाचित सरकार के गठन के उपरान्त आयोग को पुनः पुनर्गठित किए जाने पर विचार किया जाय। न्यायमूर्ति वीरेन्द्र दीक्षित के अनुरोध पर गठित आयोग को स्थगित कर दिया गया। दिनांक 28 नवम्बर, 2002 को पूर्व में स्थगित आयोग को पुनर्गठित कर दिया गया और उपयुक्त राजधानी स्थल चयन के सम्बन्ध में आयोग के समक्ष वही शर्तें रखी गयीं जो पूर्व में गठित आयोग के समक्ष रखी गयी थीं। इस आयोग को 6 माह का समय दिया गया था। छः माह के समय में दीक्षित आयोग को स्थायी राजधानी हेतु उपयुक्त स्थल के चयन के सम्बन्ध में कुल 236 सुझाव प्राप्त हुए। इनमें गैरसैंण के पक्ष में 112 सुझाव, देहरादून के पक्ष में 24 सुझाव, कालागढ़ के पक्ष में 23 सुझाव, रामनगर के पक्ष में 10 सुझाव, आई०डी०पी०एल०, ऋषिकेश के पक्ष में 08 सुझाव, अन्य विभिन्न स्थानों के लिए 56 सुझाव तथा राजधानी से सम्बन्धित 18 सुझाव प्राप्त

हुए। गैरसैंण क्षेत्र के सुझावों की अधिकता को देखते हुए आयोग द्वारा गैरसैंण का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 15 से 18 अक्टूबर, 2003 के मध्य किया गया। स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उपलब्ध स्थानों का भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई देहरादून से भू तकनीकी सर्वेक्षण हेतु सम्पर्क स्थापित किया गया जिनके द्वारा दिनांक 27 दिसम्बर, 2003 को गैरसैंण स्थित स्थानों की भू तकनीकी रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई। राजधानी स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थलों के क्रम में ऋषिकेश स्थित आई0डी0पी0एल0 का भी सर्वे किया गया, रामनगर का भी सर्वे किया गया और राजधानी के लिए जो नाम उभर कर आ रहे हैं उन सब की फीजिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार करने हेतु डा0 आर0 शंकर, आर्किटेक्ट एवं प्लानिंग विभाग, आई0आई0टी0, रुड़की को आयोग द्वारा 20 सितम्बर, 2004 को पत्र प्रेषित किया गया।

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तरांचल राजधानी स्थल आयोग ने अपने अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 23–03–05 द्वारा शासन को राजधानी स्थल चयन में हो रहे विलम्ब के सम्बन्ध में अवगत कराया कि आयोग को तकनीकी व्यक्तियों की राय पर निर्भर होना पड़ रहा है। आयोग का प्रयास है कि राजधानी हेतु समुचित भूमि उपलब्ध हो ताकि उसमें रहने वाले लोग स्वस्थ जीवन जियें, पर्यावरण को बनाये रखते हुए, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए शहर की अर्थव्यवस्था फले–फूले तथा शहरी आबादी को वायु एवं जल के प्रदूषण की समस्या का सामना न करना पड़े। आयोग को यह भी ध्यान रखना है कि राजधानी की ओर आबादी के बढ़ने की प्रवृत्ति रहती है, अतः भू–तकनीकी, पीने के पानी की उपलब्धता, सीवरेज के निस्तारण हेतु स्थान की उपलब्धता, यातायात के विभिन्न साधनों से राजधानी तक पहुँचने की व्यवस्था आदि विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों की राय आवश्यक है। राजधानी के स्थान हेतु जनता की राय की भी अपनी महत्ता है लेकिन तकनीकी बिन्दुओं पर समझौता नहीं किया जा सकता है। यदि दो स्थानों में फीजिबिलिटी के विचार के उपरान्त ज्यादा भिन्नता नहीं है तो उनमें जनता की राय वाले स्थान को वरीयता दी जानी चाहिए। विशेषज्ञों की राय लेने में आयोग की वरीयता जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर बोर्ड आदि सरकारी विभाग के लिए है और जब वे यह कार्यवाही नहीं करेंगे तभी स्वायत्तशासी संस्थाओं अथवा प्राइवेट पार्टियों को विशेष राय देने का कार्य सौंपा जा सकेगा।

भू–तकनीकी रिपोर्ट में दिये गये सुझावों के अनुसार गैरसैंण क्षेत्र को निर्माण कार्यों के अनुकूल न बताते हुए इन क्षेत्रों का भू–तकनीकी सर्वेक्षण किये जाने का सुझाव प्राप्त हुआ। विस्तृत सर्वेक्षण जी0एस0आई0 द्वारा भी अध्ययन कराया जायेगा। भू–तकनीकी सर्वेक्षण इतना आसान नहीं होता। दिनांक 10 सितम्बर, 2004 को भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण देहरादून द्वारा प्रारम्भिक रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई जिसमें इन क्षेत्रों के विभिन्न पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए अध्ययन करवाये जाने की आवश्यकता बताई गई जो अन्तिम फीजिबिलिटी रिपोर्ट होगी, इस हेतु उनके द्वारा दो वर्ष का समय लगना बताया गया। इसी कार्य हेतु आई0आई0टी0, रुड़की से भी सम्पर्क स्थापित किया जिन्होंने इस कार्य हेतु 6 से 9 माह का समय लगना बताया। भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण, देहरादून से पुनः अनुरोध किया कि वे इस कार्य को शीघ्र सम्पादित कर दें किन्तु उन्होंने अपने

पत्र दिनांक 25-10-2004 द्वारा समय सीमा कम करना सम्भव नहीं बताया। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, देहरादून इकाई द्वारा गैरसैंण व उसके समीपवर्ती क्षेत्रों की भू-तकनीकी रिपोर्ट मूल रूप से अंग्रेजी में प्राप्त हुई। श्री अजय भट्ट जी द्वारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अंशों में तकनीकी भाषा का प्रयोग किया गया जिसे आम आदमी को समझने में कठिनाई हो रही है। चूँकि यह मामला अत्यधिक भावनात्मक एवं उत्तरांचल की जनता से जुड़ा है इसलिए इस रिपोर्ट को हिन्दी भाषा में भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट का हिन्दी रूपान्तरण भी प्राप्त हो गया। मुझे लगता है कि शायद उन्हें हिन्दी रिपोर्ट प्राप्त भी हो गई होगी। राजधानी का मसला है, और पूरे प्रदेश की भी इसमें जिज्ञासा है, सब अपने-अपने ढंग से सोच रहे हैं।

मान्यवर, इन सभी विवरणों के अनुसार आयोग द्वारा जनभावनाओं का आदर करते हुए और सभी तकनीकी पक्षों को दृष्टिगत रखते हुए कार्य किया जा रहा है और इसमें हमें आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी होगी।

श्री काशी सिंह ऐरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने पूरा विवरण सुनाया, जो पहले भी सुना था इसके लिए आभारी हैं यह रिपोर्ट समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ ली थी। हमारी भावना थी कि सरकार इसको स्वयं स्वीकृत करती और इस पर कोई फैसला लेती। इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया इसलिए हम इस सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के सभी माननीय सदस्यों ने सदन का बहिर्गमन किया।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री काशी सिंह ऐरी, श्री पुष्पेश त्रिपाठी और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री सहजाद-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम 56 के अन्तर्गत बोलने का मौका दिया। मान्यवर, कलियर शरीफ दरगाह विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर दुनिया के सभी धर्मों के लाखों अनुयाइयों की आस्था है। मान्यवर, जिलाधिकारी प्रशासन के रूप में काम करते हैं पहले यहाँ पर, शासन द्वारा जो व्यवस्था देख रहे थे, उनको हटाकर अब उत्तरांचल वक्फ बोर्ड यह देख रहा है। मान्यवर, पहले जब जिलाधिकारी, हरिद्वार इसका प्रशासन देख रहे थे तो दरगाह के पास करोड़ों रुपये जमा हो गया था, लेकिन अब कुछ दिन पहले दरगाह वक्फ बोर्ड ने इसे अपने चार्ज में ले लिया है, अब इसका प्रशासन वक्फ बोर्ड देख रहा है। जिस दिन से बोर्ड ने यह चार्ज संभाला है उस दिन से यहाँ की व्यवस्था चरमरा गयी है। यहाँ पर वार्षिक मेला हर साल लगता है। मेले में करीब दस से 15 लाख आदमी आते हैं। इस मेले में पाकिस्तान से भी आदमी आते हैं। मेले के ठेके होते हैं। वक्फ बोर्ड ने जिस तरह से ठेके की व्यवस्था की, उससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है। मान्यवर, जिलाधिकारी, हरिद्वार, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण को शपथ-पत्र और बैंक ड्राफ्ट दिया गया इसके बावजूद भी नीलामी की व्यवस्था उत्तरांचल वक्फ बोर्ड कार्यालय में की गयी

और उस क्षेत्र के कुछ लोगों को बुलाया और जो ठेके के इच्छुक थे उन लोगों को व्यवस्था के नाम पर बाहर ही रोक लिया गया। मान्यवर, जो नीलामी हुई उसमें 8 से 10 प्रतिशत चीजों को छोड़कर अन्य में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई। मान्यवर, इसमें एक लाख का बैंक ड्राफ्ट व 30 लाख रु0 जिलाधिकारी हरिद्वार को शपथ-पत्र में दिया गया था, उस पार्टी को अन्दर नहीं घुसने दिया गया व पार्टी विशेष परिवार विशेष को कलियर शरीफ वक्फ बोर्ड के कार्यालय में जाने दिया गया, इसकी मेरे पास पक्की सूचना है। मान्यवर, धार्मिक स्थल के क्षेत्रों की पूरी व्यवस्था चरमरा गयी है, इससे जनता में सुखद संदेश नहीं जा पायेगा, जनता में बोर्ड के प्रति रोष है। मान्यवर, दरगाह पर बोर्ड का सात प्रतिशत हिस्सा होता है, लेकिन बोर्ड पूरी दरगाह पर कब्जा करने की कोशिश में है।

मान्यवर, हरिद्वार से लेकर यहाँ बैठा दिया, किस एक्ट के अनुसार इस व्यवस्था को रखा जा रहा है ? मान्यवर, इसे मुख्य कार्यपालिका अधिकारी देखता है और आज मुख्य कार्यपालिका अधिकारी को कोई पता नहीं है। मुख्य कार्यपालिका अधिकारी ठेके करेंगे और कोई मौजूद नहीं है। मान्यवर, एक खुले पण्डाल में ठेके किये जाने चाहिएं, तो एक करोड़ से ऊपर ठेके जायेंगे, लेकिन आज 31 लाख में ठेके दे दिये गये और जिनकी रेटिंग नहीं हुई उनको पेंडिंग कर दिया, एक मेरठ की कमेटी को ठेका दे दिया। अगर यही रहा तो हरिद्वार में जनता विरोध करेगी। मैं माँग करूँगा कि इन सभी ठेकों को खत्म करते हुए हरिद्वार में पण्डाल लगाकर नीलामी किया जाये और वहाँ की व्यवस्था डी0एम0 हरिद्वार के हवाले किया जाये और व्यवस्था सही मिले मेरी यही भावना है।

*श्री तसलीम अहमद–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, हमारे उत्तरांचल में धार्मिक स्थल मेले के रूप में हैं, जैसे हरिद्वार में कलियर दरगाह है, वहाँ बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं, लेकिन कलियर जैसे दरगाह और भी हैं जहाँ मेले लगते हैं, उन पर इस तरह जनता की नजर रहती है वह इसलिए कि वह अपनी भावनाओं के अनुसार प्रसाद चढ़ाते हैं और वहाँ की व्यवस्था पर भी नजर रखते हैं और इससे पहले कई साल से वहाँ पर जो इंतजाम चलता रहा उस पर भी कुछ लोग शंका करते रहे कि यहाँ की आमद या जो आमदनी है वह बहुत बड़ी है और यहाँ की जो व्यवस्था है वह सही नहीं है, इस पर पूरा खर्चा नहीं हुआ है, तो आज उत्तरांचल में वक्फ बोर्ड जो इन दरगाहों को, पूरे उत्तरांचल की सम्पत्ति को देख रहा है, जनप्रतिनिधि उसके अन्दर होते हैं और जो वहाँ की व्यवस्था और वहाँ की आमद समान हो, इसलिए कहीं भी मेलों में नीलामी होती है, जहाँ चढ़ावा है, वहाँ के ठेके दिये जाते हैं और उसकी जानकारी भी ज्यादातर वहाँ के लोगों को होती है, किस तरीके से यहाँ का इंतजाम किया जायेगा। मान्यवर, यह परम्परा गलत है कि दरगाह में उस ठेके को न करके देहरादून में हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, वहाँ पर खुले ठेके होने चाहिए, नीलामी होनी चाहिए ताकि जनता में एक अच्छा संदेश जाये। हम से कुछ लोग मिले और उन्होंने कहा कि हमें 3.00 बजे का टाइम दिया था और 6.00 बजे तक हमें वहाँ घुसने नहीं दिया। मान्यवर, इसमें घपला हुआ है। जो ठेके छोड़ दिये गये हैं, इसमें कहते हैं कि उन्हें नीलामी पर 10 प्रतिशत अधिक ले लें। इससे पता चलता है कि और भी ज्यादा बढ़ सकता है, ये दो लोग हैं श्री बडटे आलम और मुहम्मद फारूक, ये लोग कहते हैं कि 10 प्रतिशत अधिक लेकर हमें ठेके मिल जायं। हमने कहा कि इन ठेकों को निरस्त किया जाये जिससे आम जनता में दरगाह पर विश्वास बने। मान्यवर, मेरा यह कहना है कि वहाँ पर खुली नीलामी हो जिससे कि जनता में अच्छा संदेश जायेगा। मान्यवर, मैं यही माँग करता हूँ।

श्री हरीदास–

मान्यवर, आपने मुझे नियम 56 पर बोलने का अवसर दिया मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। मान्यवर, इस दरगाह में सबसे प्रसिद्ध मेला लगता है इसमें सरकार की तरफ से वक्फ बोर्ड बनाया गया है। इस पर वहाँ की जनता का विश्वास नहीं है उन्होंने जो वहाँ पर घोटाला किया उसकी जाँच होनी चाहिए इसको हिन्दू और मुस्लिम सभी मानते हैं, पूरे देश के लोग वहाँ पर आते हैं। एक बार हम तय कर रहे थे कि इसके लिए अपनी निधि से पैसा दें, हमें जब पता चला कि वह पैसे में घोटाला कर रहे हैं और आगे इसमें क्या करेंगे ? इसमें सरकार को सोचना होगा। मान्यवर, सरकार बार–बार पारदर्शिता की बात करती है। इसमें पारदर्शिता बनाये रखने के लिए इसकी मजिस्ट्रेट जाँच करायें। मैं सरकार से पुनः अनुरोध करता हूँ कि इसकी मजिस्ट्रेट जाँच होनी चाहिए। मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की आज की कार्यवाही को रोककर चर्चा कराये जाने की माँग करता हूँ और मैं भाई शहजाद से अपने को सम्बद्ध करता हूँ।

(श्री चौधरी यशवीर सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

इसमें आपके हस्ताक्षर नहीं हैं।

श्री हरीदास–

मान्यवर, चौधरी जी के हस्ताक्षर हैं।

*चौधरी यशवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम 56 पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मान्यवर, निश्चित रूप से सहजाद भाई ने जो बात कही वह सही है वहाँ पर जाँच अधिकारी डी0एम0 को बना दिया जाये। मान्यवर, मेरे पास 90 हजार, 50 हजार, 25 हजार, इस तरह से 10 लाख के ड्राफ्ट हैं इन्हें मैं आपके पास भेज रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

फोटो कापी हैं या ड्राफ्ट।

चौधरी यशवीर सिंह–

मान्यवर, ड्राफ्ट हैं। मान्यवर, मैं इसमें जाँच की माँग करता हूँ, इसमें जाँच होनी चाहिए।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, यह विश्व प्रसिद्ध दरगाह है। मान्यवर, इस्लाम में दिया है कि पहले पिरान कलियर जाते हैं फिर अजमेर शरीफ जाते हैं। मैं शायद सही कह रही हूँ। तो मान्यवर, यह पिरान कलियर इतना पवित्र स्थान है। इसमें सभी धर्मों, केवल मुसलमान ही नहीं सभी धर्मों के लाखों अनुयायी जाते हैं। इसकी पवित्रता बनी रहे इसके लिए सरकार गम्भीर है आज सदन में दरगाह पिरान कलियर के सम्बन्ध में एक प्रश्न आया। मुझे इससे काफी कष्ट है, वेदना है। कम से कम हमारे दरगाह, मंदिर, गुरुद्वारे तो पूर्ण रूप से पवित्र होने ही चाहिए।

मान्यवर, मेरा पास लॉ ऑफ वक्फ है। मान्यवर, हम जहाँ इबादत करते हैं, जिसे हम पवित्र स्थान मानते हैं उसके विषय में बात आई है। हरिद्वार के सभी माननीय विधायकों ने इसकी कार्य प्रणाली पर अनास्था दिखाई है, लेकिन मान्यवर, इस विषय में राज्य सरकार के अधिकार सीमित हैं इसमें केन्द्र सरकार ने राज्यों के लिए "डायरेक्शन्स बाई स्टेट गवर्नमेन्ट" दिये हैं भारत सरकार के कानून के अन्तर्गत इसे बनाया गया है। इसमें दिया हुआ है कि "सब्जेक्ट टू ऐनी डायरेक्शन्स इश्यूड बाई द सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट अंडर सेक्शन 96, द स्टेट गवर्नमेन्ट मे फ्राम टाईम टू टाईम गिव टू द बोर्ड सच जनरल और स्पेशल डायरेक्शन्स ऐज द स्टेट गवर्नमेन्ट थिंक्स फिट एण्ड इन द परफॉरमेन्स ऑफ इट्स फंक्शन्स, द बोर्ड शैल कम्प्लाई विद सच डायरेक्शन्स।" मान्यवर, इसमें भारत सरकार के द्वारा हमें डायरेक्शन्स दिये गये हैं। यह सही है कि इसमें भारत सरकार ने हमारे अधिकार सीमित कर दिये हैं लेकिन सारी सीमाओं के बाद जैसा मैंने उल्लेख किया है, मुझे नहीं पता परिस्थितियाँ क्या हैं, लेकिन पिरान कलियर दरगाह के बोर्ड पर उँगली उठी है। जैसा मैंने कल कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी अविश्वास की छाया में एक घंटे भी नहीं रह सकते हैं। हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें समर्थन दिया। आज आपने प्रश्न उठाया है, यद्यपि हमारे अधिकार सीमित हैं फिर भी इस सम्बन्ध में जैसी कि आपने माँग की है हम जिलाधिकारी को इसकी जाँच के आदेश देते हैं।

श्री सहजाद–

मान्यवर, क्या जिलाधिकारी दरगाह के प्रशासक होंगे ? क्योंकि अभी वहाँ कोई प्रशासक नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, यह काम हम नहीं कर सकते हैं। यह तो भारत सरकार के नियमों के अनुसार होगा। हम ऐसा कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। (व्यवधान) हम यहाँ बहुत सारी बातें नहीं कह सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री तसलीम अहमद जी, श्री सहजाद जी, श्री हरीदास जी, चौधरी यशवीर सिंह जी एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम 56 की सूचना पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, यह बहुत ही संवेदनशील मसला है वहाँ पर जो कर्मचारी हैं उन्हें एक तरफ तो सरकार रोजगार देने की बात करती है और दूसरी तरफ जो वहाँ के रोजगार प्राप्त कर्मचारी हैं उनको जबरदस्ती जानबूझकर बेरोजगारी की ओर धकेलने का प्रयास किया जा रहा है।

मान्यवर, मैं बात कर रहा हूँ जनपद चमोली के दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की जो सिमली में स्थापित है। मान्यवर, यह यू०पी०एस०आई०डी० द्वारा वहाँ के ग्रामीणों से लगभग 500, 700 नाली जमीन लेकर के वहाँ पर उद्योगों की स्थापना के लिए विभिन्न विभागों को आवंटित की गई और उद्योग लगा लेकिन उसकी हालत आज बहुत खराब हो गई है। सन् 2000–2001 में 2 ढाई करोड़ की लागत से इस उद्योग की स्थापना की गई थी और इस उद्योग में लगभग 68 ग्रामीण क्षेत्रों से दूध लाकर वहाँ पर एकत्रित करना होता था, जिन लोगों को इसके द्वारा रोजगार मिला था, वह आज बन्द है तथा बन्द की कगार पर है। यहाँ पर लगभग 30 कर्मचारी से अधिक कार्यरत हैं जिनको लगभग 3 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिनमें से 11 कर्मचारी नियमित हैं 7 संविदा पर हैं और 12 कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी हैं तथा 6 कर्मचारी प्रबन्धकीय समिति के अन्दर हैं, जिनको अभी 3 महीने से वेतन नहीं मिला है जब कि यह दुग्ध संघ इन्हीं कर्मचारियों की ही वजह से चल रहा है, संचालित हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में इस बात को लाना चाहता हूँ कि जब इसकी स्थापना की गई थी, उस समय 1400 लीटर दूध गाँवों से एकत्रित किया जा रहा था और यह इन 2–3 सालों में घटकर मात्र 5 से 600 लीटर तक आ गया है। इससे पूर्व जब यह उद्योग स्थापित हुआ था उस समय 2500 लीटर दूध पूरे चमोली जनपद में, बाजार में बेचा जाता था और आज जो उसकी सीमा है वह मात्र 1600 लीटर की हो गई है जो कि इस दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के माध्यम से बेचा जा रहा है।

मान्यवर, यहाँ पर एक महिला डेयरी भी इसी संघ द्वारा संचालित की जा रही है। लेकिन आज उस महिला डेयरी में एक भी व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है। एक मात्र जो इस संघ के प्रबन्धक हैं उन्हीं के माध्यम से यह संचालित हो रही है। अभी जब मैं वहाँ पर गया था तो पता चला कि जो वहाँ पर प्रबन्धक हैं वह भी माह में 4 या 5 ही दिन वहाँ पर आते हैं जिससे वहाँ पर अव्यवस्था की स्थिति आ गई है। एक बात और आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इस दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड का पूरा का पूरा अनुबन्ध मदर डेयरी के साथ किया गया है जब इसी संघ के माध्यम से दूध एकत्रित कर बाजार में बेचा जा रहा था तो फिर मदर डेयरी के साथ अनुबन्ध करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई ? मान्यवर, मुझे तो लगता है कि एक साजिश के तहत यह अनुबन्ध किया गया है। जो यह सिमली में उद्योग लगा है उसे बन्द करने की साजिश की जा रही है। आज भी मैंने टेलीफोन से वहाँ पर बात की तो पता चला कि इस उद्योग के अन्दर श्रीनगर से दूध क्रय करके मंगाया जा रहा है और उसे बाजार में बेचा जा रहा है।

मान्यवर, बाजार में जो दूध बेचा जा रहा है, उसकी कीमत 20 रुपये से 22 रुपये तक है। जिन महिला डेरियों के माध्यम से यह कार्य किया जा रहा है, उनको 10 रुपये से 12 रुपये तक की कीमत दी जा रही है और पिछले कुछ माह से उनको यह कीमत भी अदा नहीं की गयी है। जिससे ये लोग भुखमरी की कगार पर आ गये हैं। मान्यवर, इतना कम उत्पादन होने के कारणों की जाँच की जानी चाहिए। मान्यवर, बाजार में यह दूध आंचल नाम से बेचा जा रहा है। मैंने इसके दुकानदारों से सम्पर्क करके जानना चाहा कि क्यों इसकी बिक्री में कमी आयी ? तो उन्होंने बताया कि इस दूध की गुणवत्ता पहले अच्छी थी आज इसकी गुणवत्ता में कमी आयी है इसके साथ ही यह भी बताया कि जो लोग यहाँ पर दूध लाते हैं, उनको उचित दाम नहीं दिया जाता है। उन्होंने बताया कि उनको 9 से 12 रुपये तक का भुगतान किया जा रहा है। आज के इस कम्पटीटिव युग में कई ऐसे उत्पादक बाजार में आ गए हैं जो मेरठ और मुजफ्फर नगर से लाकर 17–18 रुपये में चमोली और बद्रीनाथ, केदारनाथ में दूध बेच रहे हैं। इस दूध की कीमत कम होने के कारण भी काफी असर पड़ा है। जब मैं इस उद्योग में गया तो बताया गया कि 2300 लीटर दूध यहाँ पर चौखुटिया से मंगाया जा रहा था और समितियों के माध्यम से इस डेरी में दूध आ रहा था। अभी मेरी टेलीफोन पर वार्ता हुई तो उससे पता चला कि यह बन्द हो गया है। आज श्रीनगर से दूध आ रहा है। मुझे लग रहा है कि यह सब एक साजिश के तहत हो रहा है।

एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हम उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि उद्योगों को बढ़ावा देने की कोई मंशा सरकार की है। सहकारी संगठनों के दूध प्लान्ट में, मशीनों में तथा विद्युत पैनलों में खराबी आ गयी है। जिससे खतरे का भय बना रहता है। आज सहकारी दुग्ध संघ, चमोली की स्थिति खराब हो गयी है। यह बन्द हो गया है। सरकार से दुग्ध संगठनों को कोई आर्थिक मदद नहीं मिल रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे संज्ञान में एक और बात आयी थी, इस दुग्ध डेरी के माध्यम से करीब 500–600 लोगों को, जिनमें महिलाएं भी शमिल हैं, को रोजगार मिला था। एक साजिश के तहत इनका रोजगार बन्द किया जा रहा है। जिस समिति से सहकारी समिति, सिमली में दूध आता था, आज वह बन्द होने की कगार पर है। जो वाहन वहाँ पर दूध एकत्र करने के लिए भेजे जाते थे, वह आज नहीं भेजे जा रहे हैं। कई बार स्थिति यह भी आयी कि वहाँ पर दूध खराब होने की कगार पर पहुँच गया। मान्यवर, मैं एक बार पुनः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर, चूँकि यह कई लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ मामला है, चर्चा कराए जाने की माँग करता हूँ। सरकार द्वारा पहाड़ों पर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कही जाती है। मुझे लगता है कि सरकार की मंशा पहाड़ों को उद्योग विहीन करने की है। इस पर अवश्य चर्चा करायी जाए चूँकि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नौटियाल जी विदित होंगे कि चमोली दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, सिमली एक सहकारी व्यवसायिक संस्था है। और जितनी भी दुग्ध उत्पादन डेरी हैं वे सभी व्यवसायिक संस्थाएं हैं। कोई–कोई दुग्ध उत्पादन डेरियाँ लाभ पर भी होती है। कहीं–कहीं पर न लाभ न हानि की स्थिति में होती हैं। इसमें एक नियम

इनको चलाने का भी होता है कि जो वह लाभ अर्जित करेंगी उसी लाभ से वेतन का भुगतान किया जायेगा। यह चिन्ता की बात है कि सिमली सहकारी व्यवसायिक संस्था बहुत लम्बे समय से लाभ की स्थिति में नहीं है इसी कारण दुग्ध संघ सिमली में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन भत्ते समय से भुगतान करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही हैं। सारी सहकारी संस्थायें पूरे पर्वतीय क्षेत्र में श्रीनगर से लेकर अन्य सभी पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्रदान कर रही हैं। इन सहकारी संस्थाओं को जीवित रखना अति आवश्यक है, यह स्वरोजगार के लिए वरदान है।

पहले पर्वतीय क्षेत्र में दूध की कमी होती थी किन्तु अब सहकारी संघों के माध्यम से दूध की कमी नहीं रह गई है। श्रीनगर में एक जमाने में दूध की बहुत कमी थी लेकिन आज कोई कमी नहीं है। दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 सिमली को क्यों घाटा हो रहा है, यह चिन्ता की बात है। दुग्ध संघ चमोली में पूर्व की देनदारियों को दृष्टिगत रखते हुए उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन द्वारा दुग्ध संघ सिमली को 5.00 लाख रुपये का अल्प अवधि ऋण उपलब्ध कराया गया है जिससे दुग्ध संघ सिमली द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान माह फरवरी, 2005 तक कर दिया जाए। दुग्ध संघ सिमली में निरन्तर हो रहे घाटे को दृष्टिगत रखते हुए उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन लि0 हल्द्वानी की वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक दिनांक 15–03–05 में दुग्ध संघ सिमली को अवशीतन केन्द्र के रूप में संचालित कराते हुए जनपद चमोली में दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों का विपणन दुग्ध संघ, श्रीनगर के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार दुग्ध संघ सिमली में दुग्धशाला के क्षमता अनुरूप कार्य न कर पाने के कारण होने वाली हानि को नियंत्रित किया जा सकेगा। इस व्यवस्था से जनपद चमोली के उपभोक्ताओं को वर्ष पर्यन्त उनकी माँग अनुसार समस्त प्रकार के दूध एवं दुग्ध पदार्थ उपलब्ध कराये जा सकेंगे। जिससे दूध एवं दुग्ध पदार्थों के विक्रय वृद्धि से दुग्ध संघ, सिमली को लाभ होगा।

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, मुझे ऐसा प्रतीत होता है और वहाँ की जनता को भी यह आभास हो रहा है कि सहकारी संघ लि0, सिमली को बन्द करने का सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर, पहले यह लाभ की स्थिति में थी। पहली एवं दूसरी तारीख को वहाँ पर तहसील में धरना प्रदर्शन भी किया जाना है। मान्यवर, यह पहले लाभ की स्थिति में कैसे थी, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है।

मान्यवर, पूर्व में इसके जो अध्यक्ष रहे, उनसे मेरी वार्ता हुई उन्होंने अवगत कराया कि पहले जो कार्य शुरू कराया था तो एक–दो वर्षों तक अच्छी स्थिति में यह था। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या आप इसकी जाँच करायेंगे ? मान्यवर, वहाँ पर जो प्रबन्धक हैं वे नियमित रूप से नहीं बैठ पा रहे हैं। लोगों की आशंका है कि यह भी एक इसका कारण है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप लिखित रूप में दें तो इस पर जाँच करायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

(अब हम उठते हैं 3:15 बजे तक के लिए)

(भोजनावकाश)

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 3:30 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपराह्न 3:30 बजे पुनः आरम्भ हुई)

उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्री तथा अधिकारियों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2005

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्री तथा अधिकारियों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, इससे जो कठिनाईयाँ आईं। जो विधायकों से सम्बन्धित उपलब्धियों और पेंशन को पारित किया था। इसमें माननीय मंत्रीगण, नेता सदन, अध्यक्ष जी और माननीय नेता विरोधी दल की रिट्रास्पैक्टिव डेट से कटौती होने की बात आई। उत्तर प्रदेश में इस सम्बन्ध में एक्ट नहीं है, उन्होंने नियमों में संशोधन किया है। हमने इसमें कहा कि 500 रुपये भत्ता लिया जाये, 15 हजार से अधिक नहीं। मान्यवर, इसमें चूक हुई जिसे सुधारा गया है।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसमें छोटी सी चूक हो गई है जिसे हमने सुधारा है। श्रीमन्, नेता सदन ने अपने बजट भाषण में कहा कि 12 वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2008–09 तक राजस्व घाटा शून्य करने की संस्तुति की गई है। यह तय किया है ताकि राजकोषीय घाटा शून्य हो। मान्यवर, चूँकि यह विधेयक विधान सभा के प्रथम सत्र में आया था। इसके सभी उपबन्ध माह अप्रैल, 2004 से लागू रहेंगे, इसकी धारा 13 में प्राविधान किया है। 500 रुपये प्रति दिन जेब खर्च अनुमन्य किया गया था अर्थात् 15 हजार रुपये महीना है। जो हमारे सम्मुख सदन में पिछले सत्र में रखा गया था उस समय जो धनराशि आहरित की गई, मंत्री परिषद् सम्मानित सदस्यों के माध्यम से, वह 15 हजार से कहीं ज्यादा है अर्थात् अप्रैल, 2004 से जनवरी, 2005 के मध्य का है उसकी वसूली की जाय। मान्यवर, यह इसके पश्चात् विधेयक का रूप धारण करेगा। मान्यवर, मार्च 2005 के मध्य जो इस विधेयक का न्यून हो गया उसका क्या होगा ? मंत्रियों ने जो अतिरिक्त धनराशि आहरित की है उसकी वसूली की जाय। यह संवैधानिक संकट दिख रहा है।

मान्यवर, चूँकि पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा माननीय मंत्रीगणों को अनुमन्य फुटकर खर्च की सीमा को उत्तर प्रदेश मंत्री नियमावली, 1997 में संशोधित कर विहित किया गया है। हमारे यहाँ जो यह विधेयक रखा गया और चूँकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 के अनुसार जो नियमावली थी वह यहाँ लागू हो गयी। मान्यवर, पहली बार जब संशोधन किया गया था तब नियमावली में संशोधन नहीं किया गया था। सरकार जल्दबाजी में यह विधेयक लायी है। को-आपरेटिव एक्ट में भी ऐसा ही किया गया था। मैं माननीय मंत्री जी से इस बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपको विदित ही है कि सम्मानित विधायकगणों द्वारा यह माँग की जाती रही कि उत्तर प्रदेश में वेतन, भत्ते आदि में वृद्धि कर दी गयी है तो उत्तरांचल में भी इसे लागू किया जाये। जब बजट प्रस्तुत हो रहा था तब माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी माननीय सदस्यों द्वारा यह निवेदन किया गया था। सभी की माँग थी इसलिए सर्वसम्मति से ये विधेयक लाया गया है। इसके द्वारा माननीय मंत्रियों पर उनके खर्चे में प्रतिबन्ध लगाया गया है, लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं कि उनसे वसूली की जाये। उन पर बाध्यता कर दी गयी है। एक्ट को डिलीट करके नियमावली में संशोधन कर दिया गया है। आपको यह कहने का अधिकार है कि इसे उसी समय क्यों नहीं किया। ठीक है उस समय नहीं किया गया था। आप जैसे माननीय सदस्य काफी अधिक दूरी से आते हैं तो जो आवश्यकता है उतना तो यहाँ राज्य सरकार के सीमित आर्थिक आधार के कारण वह व्यवस्था हम नहीं कर पा रहे हैं। पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में आज भी न्यून लाभ ही यहाँ हम दे पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्री तथा अधिकारियों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्री तथा अधिकारियों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (प्रथम संशोधन), विधेयक, 2005

(विधेयक संख्या वर्ष 2005)

उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्री तथा अधिकारियों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन अधिनियम, 2005) (वर्ष 2005 की अधिनियम संख्या 13) में अग्रत्तर संशोधन के लिए–

विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में उत्तरांचल राज्य विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित–

1. संक्षिप्त नाम–यह अधिनियम उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्री तथा अधिकारियों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

2. उत्तरांचल अधिनियम संख्या 13 वर्ष 2005 की धारा 13 का निकाला जाना–"उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्री तथा अधिकारियों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 13 निकाल दी जायेगी।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्री तथा अधिकारियों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्री तथा अधिकारियों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष, 2005–2006 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपना बजट भाषण और इस निर्वाचित सरकार का चौथा बजट भाषण सदन में प्रस्तुत किया गया और इससे पूर्व 10 जनवरी को महामहिम श्री राज्यपाल जी ने इस सदन में अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया। श्रीमन् जैसी कि परम्परा है कि महामहिम श्री राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की एक वर्ष की नीतियों का उल्लेख उसमें होता है। इस अभिभाषण में और माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण में अनेकों विसंगतियाँ हैं। मैं अभी उनका बिन्दुवार उल्लेख करूँगा। उससे पूर्व जो यह बजट भाषण इस सदन में प्रस्तुत किया गया उससे जानकारी मिली कि हमारा प्रदेश 82 अरब 79 करोड़ 48 लाख 7.9 हजार रुपये के कर्जे में दब गये हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सदन में अवगत कराया कि आयोजनोत्तर मद में 4713 करोड़ और आयोजनोत्तर व्यय में 1725.06 करोड़ रुपये प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने इस बजट भाषण में, निधि में जो समेकित निधि है, के घाटे का उल्लेख किया है। उसके सम्बन्ध में कहना चाहूँगा कि समेकित निधि में 8706.52 करोड़ व्यय दिखाया गया है तथा 8223.66 करोड़ रुपया कुल प्राप्तियाँ दिखाई गई हैं। इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अनुमानित व्यय 482.86 करोड़ रुपये है और इस अनुमानित घाटे को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया कि इस घाटे को कम करने

की कोशिश करेंगे यह कहना उनकी मजबूरी हो गई थी और वह मजबूरी इसलिए है कि जब 12वें वित्त आयोग ने अपनी संस्तुतियाँ प्रदान की तो उसके साथ यह शर्त भी लगा दी कि वर्ष 2008 और 2009 में इस घाटे को शून्य होना चाहिए। इस शर्त के बाद ही 12वें वित्त आयोग ने अपनी संस्तुतियाँ दीं। और इसके साथ ही यह भी कहा कि राजकोषीय वित्त एवं प्रबन्धन अधिनियम लागू करना होगा। उसे पारित कराना होगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इतने अनुभवी हैं कि उन्होंने जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, शब्दों की बाजीगरी और आंकड़ों की जादूगरी इस बजट में है। मान्यवर, कुल व्यय में समेकित निधि की प्राप्तियों का जो उल्लेख किया गया वह 8223.66 करोड़ रुपये और 2004 में जो समेकित निधि की पुनर्योजित अनुमान था वह 7554.99 करोड़ रुपये था जो कि प्राप्तियाँ थीं। इस प्रकार 668 करोड़ का अन्तर इसमें था और वही व्यय में यह अन्तर लगभग-लगभग रहा है। हमारा व्यय जो इस वर्ष अनुमानित है वह 8706.52 करोड़ और वर्ष 2004-2005 में पुनर्योजित अनुमानों में जो व्यय था, वह 8225.90 करोड़ का था।

मान्यवर, हमारी प्राप्तियाँ तो उसके अनुसार बढ़ी नहीं लेकिन घाटा अपनी जगह स्थिर हो गया है। रेशियो देखें तो घाटा बढ़ा ही है। 482.86 करोड़ का घाटा समेकित निधि में दर्शाया गया है। इसके साथ ही जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण और माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण में काफी विसंगतियाँ हैं। दोनों में सामन्जस्य मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। सम्भवतः नेता सदन अपने उत्तर भाषण में इसका स्पष्टीकरण देंगे।

मान्यवर, उद्योग विभाग के बारे में कहना चाहता हूँ, यह विभाग माननीय नेता सदन के अधीन है। उद्योग विभाग के बारे में माननीय नेता सदन ने अपने बजट भाषण में कहा है "प्रदेश में रोजगार-परक उद्योगों के विकास के लिए बिजली, सड़क, पानी इत्यादि मूलभूत सुविधाओं के विकास के साथ उत्कृष्ट औद्योगिक आस्थानों के विकास का कार्य किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत देहरादून, हरिद्वार, पन्तनगर, कोटद्वार, सितारगंज आदि स्थानों पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। हरिद्वार में लगभग 2 हजार एकड़ क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, जिसमें 500 इकाईयों को 750 से अधिक भू-खण्ड, जिसका कुल क्षेत्रफल 630 एकड़ है, आवंटित किए गए हैं। महामहिम राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा था कि "हरिद्वार औद्योगिक क्षेत्र में 500 इकाईयों को 750 से अधिक भू-खण्ड, जिसका कुल क्षेत्रफल 630 एकड़ है, आवंटित किये गये हैं।" इस प्रकार मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी 2000 एकड़ क्षेत्र की बात कर रहे हैं और महामहिम राज्यपाल जी ने 630 एकड़ की बात कही है। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में आगे कहा है "द्वितीय चरण की भी 135 एकड़ भूमि 15 औद्योगिक इकाईयों को आवंटित की जा चुकी है जिसमें बड़े औद्योगिक घराने भी सम्मिलित हैं, जिससे इस आस्थान में लगभग रु0 2100 करोड़ की पूँजी निवेश एवं लगभग 29000 रोजगार सृजित होना अनुमानित है।" इस सम्बन्ध में महामहिम श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा है "इस औद्योगिक क्षेत्र में 2000 करोड़ से अधिक पूँजी निवेश की

इकाईयों की स्थापना के फलस्वरूप 27000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा।" मान्यवर, दोनों में अन्तर है। माननीय मुख्यमंत्री जी 29000 रोजगार सृजित होने की बात कर रहे हैं लेकिन महामहिम श्री राज्यपाल सिर्फ 27000 रोजगार सृजित होने की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय पंत जी, कई माननीय सदस्यों को बोलना है, इसलिए अब आप समाप्त करें।

श्री प्रकाश पंत--

मान्यवर, कृपया बता दें कि कितना समय निर्धारित किया है ?

श्री अध्यक्ष--

दलीय नेताओं के लिए 15 मिनट तथा माननीय सदस्यों के लिए 7 मिनट निर्धारित किये गये हैं।

श्री प्रकाश पंत--

मान्यवर, मैं संक्षेप में अपनी बात कहूँगा। जो अन्तर है, मैं उसको इंगित कर रहा हूँ। मान्यवर, पंतनगर के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि "पन्तनगर में लगभग 3400 एकड़ भूमि में से 1500 एकड़ भूमि प्रथम चरण में विकसित की जा रही है, जिसमें 136 औद्योगिक इकाईयों को आवंटन किया जा चुका है।" महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में लिखा है, मान्यवर, इसमें कोई विसंगति नहीं है। "कोटद्वार में ग्रोथ सेंटर की स्थापना 100 एकड़ भूमि में की जा रही है, जिसके लिए रू0 10 करोड़ का प्राविधान है।" यह माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण में उल्लिखित है। महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में कहा गया कि "कोटद्वार में एक वृहद ग्रोथ सेन्टर की स्थापना लगभग 100 एकड़ भूमि में रू0 16.85 करोड़ की लागत से की जा रही है।" इस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं कि इसके लिए 10 करोड़ का प्राविधान है और महामहिम राज्यपाल जी बता रहे हैं कि यह 16.85 करोड़ रुपये का लागत से की जा रही है। वर्ष 2004-05 के महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में उल्लिखित था कि 2347 गाँवों का विद्युतीकरण करेंगे। लेकिन इस बार के महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी द्वारा जो बातें कही गई उनका अनुपालन सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। अभिभाषण में 500 पम्पसैटों के ऊर्जीकरण की बात कही है लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने मात्र 350 नलकूपों के ऊर्जीकरण की बात कही है। इसी प्रकार से राज्य में कुल पेयजल के लिए 39967 बस्तियाँ चिन्हित की गईं जिन्हें पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। वर्ष 2004-2005 के लिए 384 बस्तियों का लक्ष्य निर्धारित किया है किन्तु वर्ष 2004-2005 में मात्र 219 बस्ती ही लाभ प्राप्त कर सकीं। मान्यवर, भाषण में लक्ष्य निर्धारित नहीं है बजट भाषण में ग्रामीण पेयजल के लिए 2004-05 में 23 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था जिसे घटाकर 2005-06 में 22 करोड़ कर दिया गया है। इससे यही परिलक्षित होता है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितनी

चिंतित है। मान्यवर, इसी प्रकार से पिथौरागढ़ में रई झील निर्माण के लिए काफी लम्बे समय से बात की जाती रही है कि इसके निर्माण के लिए बजट का प्राविधान किया जा रहा है लेकिन आज तक नहीं हो पाया। इसी प्रकार से नैनी सैनी हवाई पट्टी के विस्तारीकरण हेतु बजट में कोई उल्लेख नहीं है। पिथौरागढ़ में बेस चिकित्सालय के लिए बजट में कोई प्राविधान नहीं है। इसी प्रकार से पिथौरागढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मार्गीय सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु बजट में कोई उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार बहुत से विषय हैं।

श्री अध्यक्ष--

कृपया समाप्त करें।

श्री प्रकाश पंत--

ठीक है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत--बहुत धन्यवाद।

श्री हरीदास--

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए बहुत--बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार द्वारा पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही जाती है लेकिन वह कहीं नजर नहीं आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की विषम समस्या है। पेयजल की समस्या मैं समझता हूँ कि हमारे पूरे प्रदेश में है। चाहें तो आप सर्वे करा लें जगह--जगह हैण्ड पम्प खराब पड़े हुए हैं उनके रख--रखाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, सिंचाई का क्षेत्र जो हरिद्वार का सबसे अधिक समृद्धिशाली क्षेत्र है, कृषि के लिहाज से, वहाँ पर नलकूपों की कमी के कारण फसलों का उत्पादन ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है आज किसान परेशान है। हरिद्वार कृषि उत्पादन के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है लेकिन सिंचाई की कमी है, नलकूप नहीं लग रहे हैं। जब से मैं यहाँ सदन में आया हूँ एक भी नलकूप वहाँ पर नहीं लगा है। इससे पहले वहाँ पर वर्ष में तीन--चार या कहें पाँच--छः नलकूप अवश्य लग जाते थे लेकिन जब से मैं विधायक बना हूँ सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नये नलकूपों के लिए नहीं गया। आज वहाँ पर ट्यूबवेल की कमी है। ट्यूबवेल लगाये जाएँ। मान्यवर, इसी प्रकार से उर्दू अध्यापकों की बात हमारे सहजाद भाई ने की। मान्ययवर, सरकार कहती है कि 267 उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति की गई है लेकिन मेरी निश्चित जानकारी में है कि हरिद्वार में एक भी उर्दू शिक्षक की नियुक्ति नहीं की गई है।

मान्यवर, अनुसूचित जाति के बच्चों की शादी के लिए जो पहले पाँच हजार रुपये का प्रविधान था, उसको बढ़ाकर 10 हजार रु0 कर दिया गया है, इसके लिए आपको बधाई है। और हम सरकार की इस बात के लिए प्रशंसा करते हैं कि सरकार ने इसे दुगुना किया। परन्तु मान्यवर, हम चाहते हैं कि इसकी राशि को और बढ़ा दिया जाय। मान्यवर, इसमें अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति जो दोगुनी की गयी है, इसका हम स्वागत करते हैं। मान्यवर, अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों के लिए जो छात्रावास बनाये जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसमें, जैसे जनजाति के बच्चों को निःशुल्क भोजन

दिया जाता है, वैसे ही अनुसूचित जाति के बच्चों को भी दिया जाना चाहिए। मान्यवर, रोजगार के लिए जो अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों के लिए रु0 6 करोड़ 33 लाख की व्यवस्था की गयी है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। यह राशि कम से कम 50 करोड़ रु0 होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इसमें दुबारा संशोधन किया जाय और इस राशि को बढ़ाया जाय। इस बजट में आश्रम पद्धति के विद्यालयों की बात कही गयी है। माननीय मंत्री जी छबरोड़ा में गये थे तो उन्होंने डेढना गाँव में 100 बीघा जमीन पर विद्यालय बनाने की बात कही। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा हुए लगभग डेढ़ साल व्यतीत हो गया है और दूसरा भी एक करोड़ 10 लाख का प्रस्ताव इस बजट में रखा गया है, यह राशि बहुत कम है इसको बढ़ाया जाना चाहिए।

मान्यवर, जब मैं दिसम्बर, 2004 में अल्मोड़ा जनपद भ्रमण पर था तो मुझे हमारे समाज के लोगों द्वारा जानकारी दी गयी कि 12 फरवरी, 2004 को श्री हरिप्रसाद टम्टा हरिजन पद्धति स्कूल की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, यह केवल घोषणा है इसमें एक टोक का प्राविधान रखा गया है। मान्यवर, इस समय जो बजट आया है मैं चाहता हूँ कि इस समय यह आश्रम पद्धति स्कूल बनाया जाय। मान्यवर, आरक्षण के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया है। मान्यवर, प्रदेश की कैबिनेट में जहाँ पर जन... के हित में बड़े-बड़े फैसले लिये जाते हैं, वहाँ पर भी आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया है। जबकि इसका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए था। किसी अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधि को कैबिनेट मंत्री बनाया जाना चाहिए। इससे इस जाति के लोगों को लाभ पहुँचेगा। मान्यवर, यह सरकार दलितों को संरक्षण देने की बात करती है परन्तु डनेरा गाँव का मसला मेरी संज्ञान में आया। यहाँ पर दलितों की बहू की डोली को नीचे गिराया गया और पीटा गया तो यह सरकार दलितों की कैसे रक्षा कर रही है। यह सरकार दलितों को कैसे बचायेगी। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार दलितों की रक्षा करने के लिए होती है, पहले भी जब हम छोटे-छोटे बच्चे थे तो कांग्रेस की सरकार दलितों के हितों की सरकार होती थी, लेकिन आज नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से इस सरकार को अवगत कराता हूँ कि दलित समाज के लोगों की जानमाल की रक्षा की जिम्मेदारी इनको लेनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, यह बजट तो दोबारा बनाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत कमियाँ हैं और मैं इस बजट भाषण के विरोध में खड़ा हूँ, बजट भाषण को दोबारा से बनाकर दोबारा सदन में लाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

कृपया समय का ध्यान रखें, मैं माननीय विधायकों को 7 मिनट का समय दे रहा हूँ।

श्री मदन कौशिक--

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय कण्डारी जी ने बजट का विरोध किया उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, मा0 प्रकाश पंत जी ने आर्थिक परिवेश की बात कही, तो मैं इतना कहना

चाहता हूँ कि 2001–02 मे जो विशुद्ध घाटा था वह 99 करोड़ था और वह घाटा प्रति वर्ष इस प्रकार बढ़ा कि अब वह घाटा 9 हजार करोड़ का हो गया है। लगातार 2004–05 में 1234 करोड़, 2001–02 में 268 करोड़ ऋण था, लेकिन 2002–03 में 1100 करोड़ का ऋण लिया गया। वर्ष 2002–03 में 2200 करोड़ और 2004–05 में 1700 करोड़, इस प्रकार 9 हजार करोड़ से भी अधिक हो गया। इस ऋण का ब्याज लगभग 1300 करोड़ रुपये से अधिक बैठेगा और अपना राजस्व इसके ब्याज के रूप में चला जायेगा। वर्तमान स्थिति में अच्छा लग रहा होगा, सभी सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि विकास योजना भली–भाँति हो रही है। लेकिन जिस प्रकार से कर्जा लिया जा रहा है, जब 2007–08 के बाद यह कर्जा देंगे तो जितना राजस्व आयेगा वह सब ब्याज के रूप में चला जायेगा, तो उस समय प्रदेश की स्थिति क्या होगी ? यह चिन्ता का विषय है।

मान्यवर, अभी हमारे सत्ता पक्ष के सभी मित्र बड़े खुश हुए कि हमने लगभग 27 सौ करोड़ रुपये जो प्लान बजट अनुमोदित कराया है। मैं कहना चाहता हूँ यह तो ठीक है कि कराया है। वर्ष 2002–03 में अनुमोदित परिव्यय 1400 करोड़ था और एक वर्ष में एक हजार करोड़ का व्यय भी नहीं कर पाई। सरकार वर्ष 2003–04 में 1200 करोड़ से अधिक खर्च नहीं कर सकी जबकि 1700 करोड़ का परिव्यय था और 2004–05 में 1800 करोड़ का परिव्यय था और सरकार फरवरी तक 1100 करोड़ भी खर्च नहीं कर पाई। ऐसी स्थिति में सरकार ने 2700 करोड़ की प्लान बजट अनुमोदित कराया वह भी खोखला ही साबित होगा। मान्यवर, जब योजनायें नहीं हैं तो निश्चित रूप से एक तरफ से कर्ज लेते जा रहे हैं जो हमको मिल रहा है वह खर्च नहीं हो रहा है तो जो वर्तमान स्थिति है वह चिन्ता का विषय है, क्योंकि अभी नवोदित प्रदेश है, आज अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आने वाले समय में ब्याज देंगे तो उस समय वास्तव में स्थिति बड़ी भयावह नजर आयेगी। मान्यवर, शिक्षा में कहा कि आने वाले दो वर्षों में सौ प्रतिशत शिक्षित कर देंगे। मान्यवर, 72 प्रतिशत शिक्षित लोग इस प्रदेश में हैं, ऐसी कौन सी योजना है किस प्रकार से 2 वर्षों में शिक्षा देंगे।

मान्यवर, किस तरह से दो वर्षों में सम्पूर्ण शिक्षा प्राप्त करेंगे इस तरह का प्लान इस बजट में नहीं रखा है। मान्यवर, संस्कृत विश्वविद्यालय की बात अच्छी बात है इसके लिए दो करोड़ दिये गये। पहले हमारे जो हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट संस्कृत विद्यालय हैं उनके बारे में विचार किया जाता उनकी आज स्थिति यह है कि वहाँ पर अध्यापक नहीं रखे जा रहे हैं, किसी में एक टीचर है तो किसी में दो हैं। उनमें अध्यापक रखने की व्यवस्था इस बजट में नहीं कही गई है, उनको पंचम् वेतनमान भी नहीं दिया गया है। मान्यवर, उत्तरांचल राज्य पूरे देश की संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जहाँ विश्वविद्यालय में सारी व्यवस्थायें होंगी और उनको संस्कृत के हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट विद्यालयों को समाप्त कर दिया जायेगा तो इसका क्या फायदा होगा ?

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं होमगार्डों के बारे में बताना चाहता हूँ। मान्यवर, होमगार्ड करीब 7 हजार हैं इनमें से दो हजार से ज्यादा को ड्यूटी पर नहीं रखा जाता है। अगर इनको कहीं न कहीं नौकरी देंगे तो उनके परिवार पलेंगे, उनको नौकरी नहीं दी जा रही है। मान्यवर, इनके लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मान्यवर, कानून व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूँ, आज प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब है इस पर गम्भीरता से विचार नहीं कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक होनी चाहिए। पेयजल के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ, पेयजल की स्थिति भी बड़ी खराब है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जाइये, अन्य सदस्यों को भी बोलना है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इसी के साथ मैं बजट भाषण का विरोध करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर, मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण से ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य के अन्दर जिस वर्ग का हमको विकास करना है इसमें उनको उपेक्षित किया गया है। मान्यवर, यह बजट असंतुलित बजट है। राज्य के बेरोजगारों और महिलाओं के उत्थान के लिए कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं की गई। राज्य की प्रति व्यक्ति आय में गत चार वर्षों में लगभग 3819 रुपये की वृद्धि का बखान तो किया गया लेकिन प्रति व्यक्ति कर्ज, राज्य पर कर्ज, ब्याज और खर्च को क्यों छिपाया जा रहा है आवश्यकता से अधिक खर्चों के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति चरमरा गई है। मान्यवर, राज्य में फिजूल खर्ची अधिक है इस पर अंकुश लगाना चाहिए। मान्यवर, वार्षिक योजना को 3000 करोड़ रु0 से भी अधिक किए जाने के संकल्प की बात की गई है किन्तु बजट का सदुपयोग कैसे हो, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में कैसे सुधार हो इसके लिए एक योजना बनाये जाने की आवश्यकता है।

मान्यवर, जितना बजट हमारे राज्य में लग रहा है यदि ईमानदारी से उसका उपयोग हो तो निश्चित तौर पर हम विकास की ओर अग्रसर होंगे। इसलिए इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार ने उल्लेख किया है कि राज्य में ऋण जमा अनुपात में 30.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मान्यवर, यह स्थिति तब है जब राज्य के अन्दर पूँजीपतियों को अधिक ऋण दिया जा रहा है, उद्योगपतियों को, बाहर के लोगों को अधिक ऋण दिया जा रहा है और जो राज्य के आमजन हैं, उनकी उपेक्षा की जा रही है। उनकी स्थिति जैसी पहले थी वैसी ही आज भी है। इसलिए बैंकों को निर्देशित किया जाना चाहिए कि आमजन के लिए ऋण प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाये।

अवस्थापना सुविधाओं के लिए वर्ष 2005–2006 में 450 किलोमीटर नये मार्गों का तथा 930 किलोमीटर पुनःनिर्माण एवं सुधार तथा 79 सेतुओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। मान्यवर, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज जब इन मार्गों का नवनिर्माण हो रहा है इसमें भी भेदभाव हो रहा है और यह जो बजट है यह कुछ ही जनपदों तक सीमित रह गया है। अधिकांश जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको भी मार्गों की सुविधा मिलनी चाहिए ताकि वहाँ कृषि पशुपालन आदि कार्यों को बढ़ावा मिल सके। कृषि उत्पादों के दाम भी काश्तकारों को अच्छे मिलेंगे।

श्री अध्यक्ष–

मानीनीय राणा जी चिन्तन कर रहे हैं।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, इससे लोगों का रुझान कृषि व बागवानी में बढ़ेगा। बेरोजगारी इससे दूर होगी और उत्तरांचल से जो पलायन हो रहा है, वह भी रूकेगा। सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। नवनिर्मित विद्युत परियोजनाओं में 5307 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, 4480 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु आवंटन एवं 100 मेगावाट से कम क्षमता की 15 परियोजनाओं के आवंटन की प्रक्रिया प्रगति पर है। सरकार द्वारा बनायी जा रही परियोजनाओं पर कहना चाहूँगा कि जल विद्युत परियोजनाओं से हमारे राज्य की जो आमदनी होगी उसमें निश्चित तौर पर बढ़ोत्तरी होगी, लेकिन क्या हम सोच रहे हैं कि जिस क्षेत्र में परियोजनाओं का निर्माण हो रहा है वहाँ के स्थानीय जो काश्तकार हैं, उनका हम क्या करने जा रहे हैं क्या उनको बेघर करके हमारा राज्य खुशहाल हो पायेगा ? स्थानीय लोगों को हम कितने प्रतिशत इन योजनाओं में रोजगार दे पा रहे हैं। मान्यवर, सरकार द्वारा नीति तय की जानी चाहिए कि इन परियोजनाओं में 80 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देना चाहिए और जिस क्षेत्र में ये परियोजनाएं बन रही हैं उन क्षेत्र के निवासियों को, विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत की दरों में छूट दी जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, राज्य में सिंचाई की नवीन परियोजनाओं के माध्यम से 15 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को हम तभी पा सकते हैं जब नयी गूलों और नहरों का निर्माण हो। वर्तमान में अधिकांश कार्य पूर्व में निर्मित नहरों और गूलों पर ही हो रहा है। जिससे भष्ट्राचार को बढ़ावा मिल रहा है। इसको रोका जाना चाहिए। मान्यवर, राज्य में रोजगार देने के लिए एक नीति बनाई जानी चाहिए। मान्यवर, औद्योगिक विकास के क्षेत्र में कहा गया कि प्रदेश में रोजगार परक उद्योगों के विकास के लिए बिजली पानी और सड़क मूलभूत सुविधाओं के विकास के साथ उत्कृष्ट औद्योगिक आस्थानों के विकास का कार्य किया जा रहा है। मान्यवर इसका लाभ

केवल पूँजीपतियों और बाहरी लोगों को मिल रहा है। रोजगार भी बाहरी लोगों को ही मिल रहा है। पर्वतीय क्षेत्र में भी उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए। और उन्हें विशेष छूट और सब्सिडी दी जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

पंवार जी कृपया समाप्त करें।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मात्र दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर लूँगा। मान्यवर, राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योग के क्षेत्र में विकास की बात कही गई है यह तभी संभव हो पायेगा जब सरकार इनके विकास के लिए, बढ़ावा देने के लिए लाभार्थियों को प्रशिक्षण दें, उनके विपणन का प्रबन्ध करें। इस विषय में सरकार को गंभीरता से कार्य करना चाहिए। मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में नित नई–नई योजनाएँ बनाई जा रही हैं, जिसे शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए किया जा रहा है। नये अंग्रेजी पाठ्यक्रम को लागू करने की योजना की है तो क्या कभी सरकार ने यह भी सोचा कि जो आपके विद्यालयों में अध्यापक हैं क्या वे इतने प्रशिक्षित हैं कि वे इस पाठ्यक्रम को पढ़ा पायेंगे ? इससे निश्चित ही शिक्षा के स्तर में गिरावट आयेगी। मान्यवर, मेरा एक सुझाव है कि सरकार शिक्षा का निजीकरण कर दे। क्योंकि जो पैसा हम विद्यालय के भवन स्टाफ और अध्यापकों पर खर्च करते हैं और बच्चों को देते हैं उसे निजीकरण से राजस्व प्राप्ति भी हो सकेगी। इससे निश्चित तौर पर शिक्षा के स्तर में सुधार आयेगा।

श्री अध्यक्ष–

पंवार जी, कृपया आप समाप्त करें । आप काफी बोल चुके हैं।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं अन्त में इस बजट का विरोध करता हूँ। धन्यवाद।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मैं इस बजट भाषण में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, जो बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है वह असंतुलित है। बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहूँगा बहुत कुछ मैं कल बोल चुका हूँ। मैं इसे असंतुलित बजट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस प्रदेश में कर्जा ही कर्जा हो रहा हो और लगभग–लगभग जो मैं देख रहा हूँ जो इस वर्ष का 944.52 हजार करोड़ रुपये का कर्ज आज की तारीख में इस प्रदेश के ऊपर है जब मैंने इसका ब्याज देखा तो वह भी लगभग इतना ही है, बस थोड़ा अन्तर रह गया है वह 891.33 हजार करोड़ रुपये का है दोनों के दोनों एक हजार के आस–पास पहुँच गये हैं। जितना हमारे ऊपर कर्ज है उतना ही ब्याज भी आ गया है। हम कल्पना कर सकते हैं कि इस प्रदेश की वर्तमान स्थिति क्या चल रही है ? इसको रोकने के प्रयास होने चाहिए, कर्ज कम करने का प्रयास होना चाहिए वर्ष 2003–04 तक तो आपने मूल धन वापस किया भी। वह 1531.16 हजार करोड़ दिया, परन्तु अब उसे घटा दिया वर्ष 2004–2005 में इसे 570 करोड़ का किया और इस वर्ष मात्र 428.40 हजार करोड़ कर दिया है। इस प्रकार

से कर्ज और ब्याज प्रदेश के ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। इस प्रदेश के अन्दर, यह स्थिति है, वैसे हर प्रदेश में ऐसी स्थिति होती ही है लेकिन हमारे प्रदेश में जो यह विकराल रूप से बढ़ रहा है उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। आज नॉन प्लान और प्लान की बात यदि मैं करूँ और उसकी स्थिति देखें तो 2000 करोड़ से ज्यादा का डिफरेंस है। 2004-2005 में जो प्लान और नॉन प्लान का पैसा था उसे यदि देखा जाय तो उसकी स्थिति यह है कि मान्यवर, 2004-2005 में प्लान में 2819.91 करोड़ रुपया था और नॉन प्लान में 5048 करोड़ रुपया था। इस वर्ष नॉन प्लान में 200 करोड़ की वृद्धि कर दी गयी है। नॉन प्लान में पैसा क्यों बढ़ रहा है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। यदि प्लान में पैसा लगाने के बारे में सरकार नहीं सोचेगी तो इस प्रदेश की स्थिति उत्तर प्रदेश से भी भयावह हो जाएगी। सरकार ने 2700 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना, योजना आयोग से स्वीकृत करा ली है, इसमें से कितना रुपया सरकार खर्च कर पाएगी, मैं इसमें नहीं जाना चाहता।

मान्यवर, राज्य सेक्टर के बारे में कहना है। जितना पैसा जिला योजना के लिए आता है, वह पूरा खर्च नहीं हो पाता। जनपद चमोली के लिए पिछले वर्ष जितना रुपया जिला योजना में आया था, फरवरी अन्त तक देखें तो इसमें पैसा नहीं दिया गया है। यदि इसकी औसत देखें तो फरवरी अन्त और मार्च प्रारम्भ तक मात्र 60-65 फीसदी पैसा दिया गया है। अब सबकी नजर 31 मार्च पर है। 31 मार्च को आप कितना विकास कर पायेंगे, यह चिन्तनीय विषय है। मैं चाहूँगा कि सरकार इस विषय में सोचे। इतना ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेकाधीन कोष है, यह सही है कि सिद्धान्ततः इसका वितरण होना चाहिए। इसे 3-4 करोड़ रुपये तक होना चाहिए। लेकिन इस विवेकाधीन कोष में 15 करोड़ से अधिक व्यय है। ऐसी कौन सी विपदा आ गयी है कि 15-20 करोड़ रुपये खर्च करना पड़ा। जिन क्षेत्रों में विपदा आती है, वहाँ इस कोष का पैसा पहुँच ही नहीं पाता है। मैं तो चाहूँगा कि विवेकाधीन कोष का चिट्ठा भी यहाँ पर रखा जाय। विवेकाधीन कोष के पैसे का दुरूपयोग हो रहा है। यह चिन्ता का विषय है, सरकार इस तरह से लोगों के पैसे का दुरूपयोग कर रही है। इसीलिए मैंने कहा था कि यह असंतुलित बजट है। मान्यवर, मैं सड़कों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ, मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित विषय है। पोखरी से हरिशंकर चौण्डरौला कनकचौरी तक मोटर मार्ग के निर्माण के लिए आन्दोलन चल रहा है। मेरे पास उसकी चिट्ठी है, माननीय मंत्री जी ने कहा कि उसको अपनी जेब में रखिए। मान्यवर, आपका 300-350 करोड़ का बजट है। चमोली जनपद में सिंचाई में झूलापुल क्षतिग्रस्त है। ऊर्जा में आपने कुटीर ज्योति की बात कही, वहाँ पर लोगों में आक्रोश है, बिजली तो नहीं मिली लेकिन 3-4 हजार रुपये के बिल उनके आ गये हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इन बिलों को माफ किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय भट्ट जी, कृपया समाप्त करें।

श्री महेन्द्र भट्ट-

मान्यवर, अभी तो मैंने शुरू किया है। औद्योगिक विकास के बारे में कहना है, उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार यहाँ पर उद्योग लगाए

जाने चाहिए। मान्यवर, शिक्षा के बारे में कहना है, मान्यवर, जनता इण्टर कॉलेज कांडा मैखुरा, जो माननीय सदस्य श्री अनुसूया प्रसाद मैखुरी जी का गाँव पड़ता है। मान्यवर, जनता इण्टर कॉलेज कांडा मैखुरा स्ववित्त मान्यता प्राप्त है, वहाँ पर पद सृजित हैं, लेकिन शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। एक अन्य राजकीय इण्टर कॉलेज वैरासकुण्ड में गणित, विज्ञान का पद सृजित नहीं है जबकि हाई स्कूल में गणित विज्ञान विषय हैं। मान्यवर, आपने हरिद्वार में संस्कृत अकादमी का गठन किया है। रामनगर में आपने संस्कृत के माध्यमिक विद्यालयों को जोड़ा है। उत्तरांचल की जनता चाहती थी कि उत्तरांचल में संस्कृत विश्व विद्यालय का नाम श्री बद्री केदार संस्कृत विश्व विद्यालय रखा जाय। सब लोगों की माँग थी कि इसका केन्द्र बद्री केदार के बीच होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी यहाँ पर नहीं हैं। मैं चाहूँगा कि सरकार इस पर सोचे। मान्यवर, अन्त में कहना चाहता हूँ, प्रोद्योगिकी मंत्री जी भी यहाँ पर नहीं हैं, मैं अनेकों वर्षों से कह रहा हूँ।

मान्यवर, हमारे पोखरी विकास खण्ड में अनुसूचित जाति की बहुत बड़ी आबादी है वहाँ पर उन लोगों द्वारा आई0आई0टी0 खोलने की माँग बहुत लम्बे समय से की जा रही है। कृपापूर्वक मैं आशा करता हूँ कि सरकार बजट में इसकी व्यवस्था करेगी। जिस प्रकार से सरकार ने हल्द्वानी और रूद्रपुर में मेडिकल कॉलेज बना दिया है उसी प्रकार से सरकार देर से ही चेती। गढ़वाल क्षेत्र में श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के लिए बजट की व्यवस्था की और अभी ऋषिकेश में एक एम्स की स्थापना के लिए बजट का प्राविधान अवश्य करेगी।

*डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया। बजट में सरकार की आगे की योजनाओं और रणनीतियों का उल्लेख है कि सरकार विभिन्न सेक्टरों के विकास करने जा रही है। अध्यक्ष जी, आप मुझे पाँच या दस मिनट का समय देंगे लेकिन यदि आप 10 घण्टे का समय भी दें तो सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए तो कम पड़ेंगे। मान्यवर, उत्तरांचल का सकल घरेलू उत्पाद इस समय 6.19 दर्ज किया गया है जो भविष्य में अगले पाँच साल में बढ़कर 8 प्रतिशत होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और सरकार इस लक्ष्य को पाने के लिए कटिबद्ध है। विकास के काफी कार्य हुए है जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है। सरकार की उपलब्धियों को दृष्टिगत रखते हुए प्लानिंग कमीशन ने 2700 करोड़ का वार्षिक परिव्यय निर्धारित किया है। इसके लिए हम उसे धन्यवाद देते हैं। 12 वें वित्त आयोग द्वारा 12 हजार 194 करोड़ रुपये उत्तरांचल के लिए निर्धारित किये गये हैं। यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मान्यवर, बैंकिंग के क्षेत्र में ऋण जमा अनुपात की लगातार वृद्धि हो रही है जो अब बढ़कर 30.9 प्रतिशत हो गई है। बैंक ऋण के द्वारा हमारे छोटे और मझोले उद्योगों और बड़े उद्योगों को भी यहाँ पर स्थापित करने में मदद मिलेगी। हमारे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। अगले दो साल में सरकार कृषि क्षेत्र के लिए ऋण तीन गुना करने जा रही है। इससे सीमान्त कृषकों को फायदा होगा। इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि कृषि बीमा योजना पूरे प्रदेश में लागू हो जाएं तो जो फसलों का नुकसान होता है उससे हमारे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसान भाई प्रभावित नहीं होंगे। उनका नुकसान कवर हो जायेगा यह बीमा योजना कृषकों के लिए लाभप्रद भी होगी। व्यापार कर में अगर पूरे देश में देखें तो 22 प्रतिशत एनुअल ग्रोथ रेट हम प्राप्त कर पाये जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

मान्यवर, आजकल पूरे देश में वैट का मुद्दा चल रहा है सरकार ने व्यापारियों की माँग को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया। जब तक उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होगा तब तक यहाँ भी लागू नहीं होगा। साथ ही मेरे संज्ञान में यह बात भी आई है कि यहाँ के व्यापारियों के हितों को देखते हुए सरकार वैट का अलग से भी प्रारूप बनाने जा रही है। और यदि देश का पहला राज्य होगा जो वैट का अलग से प्रारूप बना रही है। मान्यवर, सड़कों के क्षेत्र में भी सरकार द्वारा काफी सराहनीय कार्य किया गया है। नई–नई सड़कों का निर्माण हो रहा है दूरस्थ स्थानों के लिए भी सम्पर्क मार्गों का निर्माण किया जा रहा है किन्तु राष्ट्रीय राज मार्गों की स्थिति अभी भी ठीक नहीं है इनमें सुधार की आवश्यकता है सरकार इस पर ध्यान देगी ऐसा मेरा विश्वास है। मान्यवर, ऊर्जा के क्षेत्र में भी उत्तरांचल ने काफी प्रगति की है लगभग 24–24 घण्टे आज उपभोक्ताओं को बिजली मिल रही है किन्तु लाईन मैनों के कम होने के कारण बिजली की कहीं–कहीं पर कमी हो जाती है बिजली सुचारु रूप से लोगों को नहीं मिल पाती है। यदि सरकार मीटर रीडर और लाईन मैनों की संख्या में वृद्धि कर दे तो बिजली की जो कमी है वह कम हो जायेगी सरकार इस पर ध्यान देगी। सिंचाई के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है पिछली बार भी इस सदन में नलकूपों की व्यवस्था की बात कही गई थी कुछ नलकूपों की मंजूरी मिल भी गई है। इस तरफ भी जरूर सिंचाई मंत्री जी ध्यान देंगे। मान्यवर, अण्डर वाटर मैनेजमेंट पर भी हमें ध्यान देना होगा। मान्यवर, प्रदेश सरकार सी0बी0एस0ई0 बोर्ड का पैटर्न अपनाने जा रही है, यह बहुत अच्छी बात है, परन्तु मैं चाहता हूँ कि हमारी बोर्ड की परीक्षाएं भी सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के साथ होनी चाहिए। मान्यवर, अक्सर यह होता है कि आई0आई0टी0, मेडिकल आदि परीक्षाएं जब होती हैं उस समय हमारे यहाँ परीक्षाएं चल रही होती हैं और हमारे बच्चों का इस परीक्षा के लिए समय नहीं मिल पाता है, वे बोर्ड की परीक्षा के दौरान ही यह परीक्षा देते हैं। यदि परीक्षाएं सी0बी0एस0ई0 के समय पर ही हो जायं तो इससे हमारे बच्चों को इसमें भाग लेने तथा तैयारी का भी समय मिल जायेगा। मान्यवर, पन्त नगर इंजीनियरिंग कॉलेज में एम0एस0सी0 बायो टैक विषय है, यह बहुत ही अच्छा विषय है मैं चाहता हूँ इसमें बायो टैक, बी.टैक, एम.टैक आदि विषयों को चलायेंगे तो यह अच्छा रहेगा।

मान्यवर, स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि बी0पी0एल0 परिवारों को धनराशि उपलब्ध करायी, वह अच्छी बात है। मान्यवर, आज ही सुपरस्पेशलिस्ट डाक्टरों की विज्ञप्ति निकली है, यह बहुत अच्छा है। यदि ये स्पेशलिस्ट डाक्टर यहाँ नियुक्त हो जाते हैं तो यहाँ की जनता को दिल्ली आदि जगह नहीं जाना पड़ेगा। प्रदेश में तीन चार मेडिकल कॉलेज खुले हैं। मान्यवर, हर मेडिकल कॉलेज में इकोलॉजी कार्डियोलॉजी आदि सुपर स्पेशलिस्ट होने चाहिए। मान्यवर, नगर विकास विभाग ने पहली बार 50 करोड़ की नीति बनायी है, यह बहुत अच्छा कदम है। मान्यवर, पर्यटन के क्षेत्र में हमें बहुत गर्व होता है। पूरे देश में पर्यटन के रूप में उत्तरांचल सबसे अग्रणी माना जाता

है और प्रदेश को कोई पुरस्कार भी इस क्षेत्र में मिले हैं इसके लिए माननीय पर्यटन मंत्री जी को बधाई है। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि जसपुर में हाइवे मोटल खुले, इसके लिए जगह भी नियत कर दी गयी है। मान्यवर, गरीबों के लिए इस सरकार ने कई कल्याणकारी घोषणाएं की हैं। मान्यवर, गरीबों के लिए जो 250 रु0 किया गया है, यह एक अच्छा कदम है। मान्यवर, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को जो आवास बनाने की बात कही गयी है, यह स्वागत योग्य कदम है।

मान्यवर, चीनी उद्योग गन्ने का पेमेंट करीब–करीब पूरे प्रदेश का हो गया है। मान्यवर, आज जरूरत है इन चीनी मिलों को आधुनिक बनाने की। पुरानी चीनी मिलों में लेबर कास्ट लगभग 300 और 400 रु0 आता है, जबकि आधुनिक चीनी मिलों में यह कास्ट मात्र 150 रु0 और 250 रु0 तक आती है। इसकी तरफ सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न बार–बार उठ रहा है कि विकास खण्ड में डेवलपमेन्ट के लिए निधि घोषित की गई, यह भी अच्छी बात है, वहाँ विकास की जरूरत है, उसको किस तरह से किया जायेगा क्योंकि आज छोटी विधान सभा होने की वजह से आज विधायिका के सामने बहुत बड़ी समस्या है, आज अगर बाहर जाते हैं तो यह स्थिति बन रही है कि हर कोई कहता है कि विधायिका क्या है ? विधायिका का स्थान अपनी जगह नहीं रहेगा तो अव्यवस्था बनेगी, हमारे प्रदेश में इसकी ओर भी ध्यान होना चाहिए, विधायिका हर चीज से ऊपर होनी चाहिए, इसके लिए निवेदन करूँगा। आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। मान्यवर, बजट भाषण अन्य वर्षों की तरह सामान्य सी एक पुस्तक में लिखी गई कहानी मात्र लगती है, क्योंकि जैसे कि इस नये राज्य की कल्पना पर्वतीय राज्य के रूप में सभी लोगों ने की थी और परिस्थितियों के अनुसार इस राज्य का विकास हो ऐसी सब की भावना थी, लेकिन तीन साल के बाद यह चौथे बजट में भी यहाँ नजर नहीं आया कि जो पर्वतीय क्षेत्र के अवस्थापना की असुविधायें पानी, बिजली, सड़क वह यथावत् बनी हुई है। मान्यवर, जैसे कि पूर्व में वक्ताओं ने कहा कि योजनायें बनी हैं वह योजनायें इस तरह की बनी है कि आज एक विधेयक दून विश्वविद्यालय, पूर्व में पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, निश्चित रूप से इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि हमारे राज्य में इस तरह के विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। मान्यवर, देहरादून एक इण्टर नेशनल सिटी है, अगर यह राज्य न बनता तो सम्भवतः यहाँ पर ऐसे विश्वविद्यालयों के लिए प्रयास तब भी किया जाता। अगर यह हमारे पर्वतीय अंचल पर किसी सुदूर स्थान पर, जो कि बहुत सुन्दर हैं, बनता। मान्यवर, यह कहकर कि सुदूर क्षेत्र में हम ऐसी व्यवस्था करने में अक्षम रहेंगे यह कहना बेईमानी होगी। सत्ता पक्ष के मा0 मंत्री कई बार विदेशों की यात्रा करके लौटे हैं और उन्होंने स्वीट्जरलैण्ड और अन्य यूरोपीय कंट्री की सुविधाओं को देखा है तो वास्तव में क्यों नहीं हमारें पर्वतीय अंचल में भी इस तरह व्यवस्था हो सकती है? मान्यवर,

आपने कम समय दिया है इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूँगी। मान्यवर, बजट भाषण में भी हमने कहा था कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था और अन्य सुरक्षा और संरक्षण की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने किसी भी बजट में उनके लिए कोई प्राविधान नहीं रखा है। जो महिला सशक्तिकरण की योजनायें हैं वह भारत सरकार द्वारा दी गई योजनायें हैं। उनका क्रियान्वयन भी भली-भाँति नहीं हो रहा है। मान्यवर, प्रदेश सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए सुख सुविधाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। मान्यवर, महिलाओं को मातृत्व का ईश्वर प्रदत्त अधिकार मिला है वह भी सुरक्षित नहीं है। आज भी बीस में से एक महिला की पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वत से गिर कर या प्रसव काल में मृत्यु होती है, इस तरह की घटनायें आये दिन होती रहती हैं। इस बजट में क्या ऐसे स्थानों में सुपर गाइनिक स्पेशलिस्ट डाक्टरों की नियुक्ति की जायेगी जहाँ पर कि महिला प्रसव के दौरान जा सके ? मान्यवर, मैं कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को सुरक्षित प्रसव अधिकार से वंचित रखा गया है। यह सर्वमान्य विदित है कि 50 प्रतिशत महिलायें गाँव में रहती हैं उनके जीवन रक्षण की कोई सुविधा वहाँ पर नहीं है।

यातायात के सम्बन्ध में कहना चाहती हूँ माननीय मंत्री जी ने कई जगह सड़कों की निर्माण की कार्यवाही शुरू की होगी, इसमें अधिकांश सड़कों का निर्माण मैदानी क्षेत्र में हो रहा है। पर्वतीय क्षेत्र में 20-25 कि0मी0 अब भी पैदल चलकर लोग मोटर रोड तक आते हैं, हम पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए क्या कर रहे हैं? इस बजट में पर्वतीय गाँवों के विकास के लिए क्या किया गया है ? जैसे कई योजनायें हैं कल्याण योजना, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए सरकार प्रयासरत है। तीन साल से भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। क्या उनको शोषण से बचाने के लिए उनका संरक्षण और अधिक किया जा रहा है? क्या ऐसी योजनाओं पर विचार किया जा रहा है? जिससे इन जातियों का सामाजिक स्तर बढ़े। मैं कहना चाहती हूँ कि तीन वर्ष बाद भी सरकार इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु कोई प्रयास नहीं कर पायी। क्या यह सरकार विकास की ओर जा रही है? यह प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए बनाया गया था। यहाँ पर तमाम जंगल और प्राकृतिक सम्पदा है, उस पर आधारित जो भी विकास हो सकता है इसी मनोभावना से इस राज्य का निर्माण हुआ था। मान्यवर, जब हम पूर्ववर्ती अविभाजित राज्य उत्तर प्रदेश में थे, जिस तरह का विकास तब हो रहा था उसी प्रकार का आज भी हो रहा है। एक विशेष तरह का विकास हमारे पर्वतीय क्षेत्र में होना चाहिए, वह नहीं दिखायी दे रहा है। मैं कहना चाहती हूँ कि 62% हमारे उत्तरांचल में वन हैं। यहाँ पर यातायात हेतु सड़कों के निर्माण के लिए भारत सरकार से एन0ओ0सी0 लेनी पड़ती है, उसमें काफी समय लगता है। यहाँ की जनता का क्या कसूर है कि उन्होंने इन जंगलों को संरक्षित किया और आज उनकी मूलभूत सुविधा इन जंगलों के कारण अवरुद्ध हैं।

मान्यवर, यह एक विचारणीय प्रश्न है। हमें इसकी सुख-सुविधा मिलनी चाहिए। हमने पूरे विश्व के पर्यावरण सन्तुलन में एक अहम भूमिका निभाई है। हमारी जनता ने वनों का संरक्षण किया है लेकिन आज राष्ट्रीय पार्कों के कारण हमारी ही जनता को

यातायात की सुविधा नहीं मिल पा रही है। मेरे क्षेत्र में राजाजी राष्ट्रीय पार्क है जिसके मध्य से 55 गाँवों के लिए एक सड़क जाती है, उसका डामरीकरण नहीं हो पा रहा है। इसमें ऑब्जेक्शन यह है कि यह सड़क राष्ट्रीय पार्क से होकर जाती है। मान्यवर, 50–55 गाँव ऐसे हैं जिनके एक तरफ राष्ट्रीय पार्क है और दूसरी तरफ खाई या जंगल है और इन गाँवों के लिए एक मात्र सड़क है जो पार्क से होकर जाती है। यह सड़क जर्जर अवस्था में है। मान्यवर, गंगा भोगपुर मल्ला और तल्ला दो गाँव हैं। इनको पूर्व में भूस्खलन के कारण विस्थापित किया गया था आज ये दोनों गाँव राष्ट्रीय पार्क के घेरे में आ गये हैं वहाँ की पेयजल योजना क्षतिग्रस्त है, उसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। वहाँ के अधिकारी इसके लिए एन0ओ0सी0 नहीं दे रहे हैं जिस कारण मान्यवर, पेयजल योजना बाधित है। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि इस तरह की जो हमारी कठिनाईयां हैं उसके बारे में पहल करें और केन्द्र सरकार से कहे कि हमारी जनता को इसका लाभ मिलना चाहिए । हमने जंगलों का संरक्षण किया है। हमें रसोई गैस में 50 प्रतिशत की छूट दिलाने के लिए प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जाये। इससे पूरे उत्तरांचल की जनता को लाभ होगा और जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं उसके बारे में भी केन्द्र सरकार को लिखा जाये। सरकार को इस प्रकार की कार्यवाही करनी चाहिए।

अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें। काफी समय दे दिया है।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, पूर्व में पुल, सड़क और एम्स जिसके लिए केन्द्र सरकार ने धन स्वीकृत किया था आज एम्स की बहुत ही आवश्यकता है। ऋषिकेश के पशुलोक में एम्स बनना था। जो कि उत्तरांचल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसका कार्य चार दीवारी करके वहीं पर छोड़ दिया गया है। मेरा अनुरोध है कि इसको बनाने के लिए केन्द्र सरकार से कहा जाये या अपने संसाधनों से हमारी सरकार स्वयं एम्स को बनाये, क्योंकि जो हमारे दूर–दराज के ग्रामीण क्षेत्र के लोग इलाज के लिए चण्डीगढ़ या दिल्ली जाते हैं उनको यह सुविधा यहीं मिल जायेगी। ऐसा ही एक पुल जो हरिद्वार–बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाया जाना है सवा साल से अधिक हो गया है लेकिन उसका कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हो पाया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगी कि उसका कार्य शीघ्र प्रारम्भ करा दिया जाय। ऐसे ही 7–8 पुल हरिद्वार–कोटद्वार–नजीबाबाद रोड़ पर बन रहे हैं आजकल उनका काम भी कुछ कम हो गया है मेरा अनुरोध है कि इसे शीघ्र पूर्ण करा लिया जाय। मान्यवर, इसके अतिरिक्त मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोई भी महाविद्यालय नहीं है। मैंने बार–बार अनुरोध किया है कि वहाँ पर एक महाविद्यालय होना चाहिए क्योंकि वहाँ से बच्चों को पढ़ने के लिए ऋषिकेश या देहरादून आना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें। आप 15 मिनट बोल चुकी हैं।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं वहाँ पर एक महाविद्यालय के लिए सरकार से माँग करती हूँ। आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। चूँकि यह

बजट जनहित में नहीं है विशेष कर पर्वतीय क्षेत्र के हित में बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं इस बजट का विरोध करती हूँ।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बजट भाषण पर चर्चा का अवसर प्रदान किया।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, सबसे पहले तो मैं माननीय तिवारी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उस कार्य के लिए जिसमें मुख्यमंत्री पद का प्रभाव नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व का प्रभाव है जो 2700 करोड़ रुपया योजना आयोग से उनके द्वारा लाया गया वह उनके व्यक्तित्व का ही प्रभाव है। जो हमारे प्रदेश को यह पैसा मिला यह एक बहुत अच्छी बात है। मैं इसके लिए उन्हें हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। बजट पर बोलने का मौका आपने मुझे दिया और यह भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उत्तरांचल में जो नेता सदन हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर मुझे अगाध भरोसा है उनका बहुत ईमानदार व्यक्तित्व है और हमारे जो ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख हैं वह भी बहुत ईमानदार हैं। मैं इस बात को सदन में कहना चाहता हूँ। दोनों लोग बहुत ईमानदार हैं। लेकिन यह बात सत्य है कि जिस बजट पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसके लिए 31 मार्च से आगे का जो बजट है उसे जिले–जिले के अधिकारी खुर्द–बुर्द करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। यह मेरा विश्वास है और विश्वास के साथ मैं इस बात को कह सकता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी यह धारणा है कि कभी भी कोई व्यक्ति या राज्य पैसा लाने से या कमाने से धनवान नहीं बन जाता है वह पैसे का संचय करेगा तब ही वह धनवान बन पायेगा। एक बात और रखना चाहता हूँ कि मैंने इसके लिए बहुत प्रयास किये, मुख्यमंत्री जी से भी मिला और आपके माध्यम से भी कई बार कहा, उस तथ्य को सामने रखा और लोकायुक्त के यहाँ भी मैंने उसके लिए शपथ–पत्र रखा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्दर सितारगंज में 6 करोड़ की सड़कें बनी हैं। ऐसा कल किसी माननीय विधायक जी के प्रश्न के उत्तर में मैंने यह देखा तो सरकार ने उत्तर दिया है कि ये सड़कें कम्प्लीट हो गई हैं। मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूँ कि आप किसी के भी माध्यम से यदि वे सड़कें यदि वहाँ पर दिखा दें तो मैं विधायकी से इस्तीफा दे दूँगा। मान्यवर, हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं और उपलब्धियों की बात कर रहे हैं। जो 6–6 करोड़ की सड़कें हैं जिनका पता किसी को भी नहीं है। एक और आश्चर्यजनक घटना आपके सामने रखना चाहता हूँ। मान्यवर, नलई से पसई तक की एक सड़क के लिए मैंने बहुत प्रयास किए। ठेकेदार ने इसके रूट और एलाइनमेंट बदल दिए थे। मेरे प्रयास करने के बाद उस पर 14 लाख रुपये का जुर्माना पड़ा। लेकिन अभी 1 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ यह फैसला हुआ कि यह जो सड़क बनी है, यह गलत बनी है। वहाँ के डी0एम0 और एस0डी0एम0 से लिखवा दिया कि हमारे कहने पर ठेकेदार ने यह सड़क बनायी है। जिस

पर 14 लाख रुपये का जुर्माना था, उसको 45 हजार कर दिया गया और मण्डी परिषद् से उसका भुगतान करा दिया गया। आप इसकी जानकारी कर लें, अगर यह गलत होगा तो इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी और मैं पूरे सदन में इसके लिए माफी मागूँगा।

मान्यवर, आज हम बजट की बात कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि हम जन कल्याणकारी योजनाओं को चला रहे हैं। मान्यवर, मैं तो विरोधी दल का विधायक हूँ, यदि प्रयास नहीं करूँगा तब भी जिला योजना में तो पैसा मिल ही जाएगा, बिना प्रयास किये विधायक निधि तो मिलेगी ही। कुछ तो रूटीन में काम हो रहे हैं। मान्यवर, आज 30–35 प्रतिशत पैसा जिला पंचायत अधिकारी ले रहे हैं, पॉलिटिकल लोग भी इसमें शामिल हैं। जिस राज्य में इतना भ्रष्टाचार है, वहाँ पर 2700 करोड़ तो क्या यदि 27000 करोड़ रुपये भी ले आएं तो विकास नहीं हो सकता है। विकास की बात करना असत्यता के अलावा और कुछ नहीं है। मान्यवर, नजीर और उदाहरण हमारे सामने रहते हैं। हम बी0जे0पी0 की सरकार पर आरोप लगाते हैं। मैं तो सोचता हूँ कि हमें विरासत में क्या मिला और हम विरासत में क्या देंगे। बी0जे0पी0 के शासनकाल में कहा गया कि जनता कनेक्शन ले तो महीने में सिर्फ 10 रुपये का बिल आएगा। लेकिन आज जनता कनेक्शन में 4–5 हजार रुपये का बिल आ रहा है। सरकार जनता को लाभ देने और सुकून देने के लिए बनी है। यदि जनता कनेक्शन के धरातल पर जाएं तो आप आश्चर्य में पड़ जाएँगे। माननीय अध्यक्ष जी, पहले 2012 तक उद्योगों में छूट थी, लेकिन इसको 2007 कर दिया गया है। सरकार सितारगंज को इंडस्ट्री जोन बनाने जा रही है। लेकिन 2007 तक इसको इंडस्ट्री जोन बनाया जाना संभव नहीं है। सरकार को प्रयास करना चाहिए कि इसको 2012 तक बढ़ाया जाय। मैंने सुना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको 2012 तक बढ़ाना चाहते हैं।

विवेकाधीन कोष की बात अभी यहाँ पर आयी कि 15 करोड़ रुपये विवेकाधीन कोष से खर्च किए गए। यह विवेकाधीन कोष कहां पर बांटा गया है, सितारगंज को यह पैसा क्यों नहीं मिला ? माननीय मुख्यमंत्री जी यह पैसा सिर्फ उन लोगों को दे रहे हैं, जो उनकी पार्टी के हैं। इसके लिए उनका विवेक ज्यादा काम करता है कि यह हमारी पार्टी के लोग हैं। हम दूसरी पार्टी के हैं, इसलिए हमको नहीं मिलेगा। मान्यवर, 200 लोगों की फौज लाल बत्ती की है। लाखों–करोड़ों रुपये इसमें खर्च हो रहा है। आप योजना आयोग से कितना ही पैसा क्यों न ले आए यदि उसे अनाप–शनाप खर्च करेंगे तो प्रदेश का विकास नहीं होगा।

मान्यवर, कोई भी व्यक्ति राज्य अतिथि यहाँ पर बन जाता है हजारों लोग राज्य अतिथि यहाँ बन जाते हैं। आखिर राज्य अतिथि की परिभाषा क्या है ? माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ पर स्टोर क्रेशर के उद्योग में लगे लोग परेशान हैं उन पर बहुत जुर्माना लगा दिया गया, क्या वे लोग चोर थे? क्या सरकार द्वारा कोई फॉरेस्ट विभाग का कर्मचारी/अधिकारी भी कभी सस्पैंड किया गया। इस बारे में मैं सरकार से जानना चाहता हूँ। मान्यवर, फिर भी इतना जरूर कहूँगा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा मेरे क्षेत्र में काफी काम किया गया है बार्डर स्कीम के तहत अभी 7 करोड़ रुपये सड़कों के निर्माण हेतु उपलब्ध हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी मेरे क्षेत्र में काम किया गया है। लेकिन यह तो

रूटीन के काम है। पूर्व में वहाँ पर महिला चिकित्सालय नहीं था अब वहाँ पर एक महिला चिकित्सालय खुल गया है कुछ काम अवश्य हुए हैं जिन्हें मैं उदाहरण के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ईमानदार हैं किन्तु नीचे से बहुत लूटखसोट मची हुई हैं उस पर अंकुश कौन लगायेगा ? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात हम करते है और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि यह बात असत्य हो जाएं तो सदन में आना छोड़ दूँगा, सरकारी क्षेत्र का भ्रष्टाचार किस तरह से रूकेगा।

अध्यक्ष–

मान्यवर, अब समाप्त करें।

श्री नारायण पाल–

ठीक है। समाप्त कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आपने बोलने का अवसर दिया बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण के प्रारम्भ में ही भारत निर्माण में उत्तरांचल निर्माण का नारा दिया है और इसके लिए अधिकाधिक समन्वयात्मक सहयोग व संसाधन प्राप्त करने की बात कही गई है। केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में उच्च पदों पर कार्य किये, अपने अनुभवी मुख्यमंत्री से प्रदेशवासियों को बड़ी–बड़ी आशाएं हैं। परन्तु मान्यवर, हर वर्ष जम्मू कश्मीर तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए बड़े–बड़े आर्थिक पैकेज घोषित किये जाते हैं और मध्यवर्ती हिमालय के राज्यों की उपेक्षा की जाती है तो निराशा सी होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि 11वें वित्त आयोग की संस्तुतियों का उत्तरांचल को कोई लाभ नहीं मिला था। योजना आयोग से भी आठवीं और नौवीं योजनाओं में हिमाचल प्रदेश की तुलना में केन्द्र से 2000 से 3000 करोड़ रुपये का अनुदान कम मिला था। जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्यों की भाँति उत्तरांचल भी माओवादी आतंकवादियों के शिकंजे में जकड़ता जा रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तरांचल को भी एक विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाना चाहिए था। हमें पूरी आशा है कि इसके लिए निरंतर प्रयास रहेंगे।

मान्यवर, 2005–06 में वार्षिक योजना में 870 करोड़ की वृद्धि 3000 करोड़ तक योजनागत व्यय ले जाने का संकल्प सराहनीय है, किन्तु अनुभव यह रहा है कि राज्य से संसाधन योजना को पोषित करने के लिए पूरे नहीं पड़ते। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि गत पाँच वर्षों में वास्तविक व्यय के आँकड़े उपयुक्त समय पर सदन में रखने की कृपा करें। 12वें वित्त आयोग के सम्मुख राज्य का पक्ष प्रभावी ढंग से रखना बहुत आवश्यक था जो रखा भी गया और राजस्व घाटा अनुदान के रूप में रु0 5114.85 करोड़ अतिरिक्त प्राप्त हुए फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को यह देखना पड़ेगा कि मान्यवर, हमें यह देखना होगा कि हमें अन्य हिमालयी राज्यों की तुलना में कितना केन्द्रांश मिलता है। मान्यवर, त्रिपुरा और नागालैण्ड के राज्यों का जो व्यय है उसका 90 प्रतिशत उन्हें केन्द्रांश मिलता है, जबकि पड़ोसी राज्य हिमाचल को 70 से 75 प्रतिशत तक मिलता है। मान्यवर, हमें यह देखना होगा कि इसमें हम कहाँ पर ठहरते हैं।

हिमालय प्रदेश के बराबर सहायता अवश्य मिलनी चाहिए। मान्यवर, परिवहन के क्षेत्र में बेहतर सेवायें देने के लिए सरकारी क्षेत्रों की प्राथमिकता प्रदान करते हुए आवश्यकता पड़ने पर निजी क्षेत्र की सेवा लेना भी अनुचित नहीं होगा। परिवहन निगम अक्सर घाटे में रहते हैं यही सेवा संयुक्त क्षेत्र को बढ़ावा देकर अधिक सुचारू रूप से दी जा सकती है। मान्यवर, प्रदेश में मार्ग दुर्घटनाओं विशेषकर मोटर दुर्घटनाओं की बढ़ोत्तरी चिंताजनक है, जैसाकि इस पर कल माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी चिंता जतायी थी। मान्यवर, पुरानी गाड़ियों की चैकिंग और ड्राइवरों को ट्रेनिंग का उच्चीकरण आवश्यक है। मैं मान्यवर, सड़क निर्माण में विशेषकर लोकप्रिय हिल स्टेशनों पर जाने वाला तथा आर्थिक महत्व की सड़कों में निजी सेवा को भी बढ़ावा दिया जा सकता है और अच्छी व्यवस्था की जा सकती है।

मान्यवर, ऊर्जा के क्षेत्र में 11008 मेगावाट से अधिक क्षमता की परियोजनायें निर्माणाधीन हैं या आवंटित की जा चुकी हैं इनसे 12 प्रतिशत अथवा लगभग 1200 मेगावाट बिजली उत्तरांचल को मुफ्त मिलेगी। मान्यवर, इसकी मांग पड़ोसी राज्यों विशेषकर दिल्ली में बढ़ती जायेगी। इसी प्रकार टिहरी तथा अन्य जलाशयों से पीने के पानी की पूर्ति इन राज्यों में होगी। पूर्ति और आवश्यकताओं का आंकलन कर इन राज्यों से विशेषकर दिल्ली से दीर्घकालीन समझौते करना उपादेय होगा विशेषकर देहली से दिल्ली पुलिस में उत्तरांचलवासियों का रिक्रूटमेंट, मदर डैरी में उत्तरांचल के फलों और सब्जियों को सीधे उपभोक्ताओं को बेचने की सुविधा, मेडिकल और तकनीकी संस्थाओं में उत्तरांचलवासियों को स्थान आदि कई लाभ पानी और बिजली के बदले लिये जा सकते हैं हमें इस विषय में सोच विचार कर रणनीति बनानी होगी। मान्यवर, लाइमैक्स प्रणाली अपनाने वाला उत्तरांचल पहला राज्य बन गया है। मान्यवर, चुने हुए जनप्रतिनिधि तथा बुद्धिजीवी ई-टेक सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और राज्य के प्रशासन में अपनी राय देकर भागीदारी कर सकते हैं। मान्यवर, टेलीमेडिशिन के रूप में हम विकास कर सकते हैं जिससे कि सुदूर स्थानों में भी विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध हो सकें। जिससे कि ग्रामीण जनता भी इसका लाभ उठाये।

मान्यवर, उत्तरांचल पहला राज्य होगा जो इन्टैल की साझेदारी से वाइमैक्स लागू करने वाला होगा इसके लिए नियम और शर्तों को भी जनहित में लागू करना होगा। मान्यवर, प्रदेश में औद्योगिक विकास पर अच्छा कार्य हो रहा है किन्तु रोजगार के अवसर विदेश प्रत्यक्ष निवेश की संभावना, पर्यावरण, संतुलन आदि की दृष्टि से पर्यटन पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। मान्यवर, औली की भाँति दूसरे स्थल हैं जहाँ स्काई रीज विकसित किये जा सकते हैं और विदेशी पूँजी को आकर्षित किया जा सकता है।

मान्यवर, इसके लिए आवश्यक ट्रेनिंग, आर्थिक सहायता, बैंकों से ऋण आदि का प्रवेश होना चाहिए। ट्रैकिंग की मांग बढ़ती जायेगी और इसके लिए नये रूट ढूंढकर व्यवसायिक परियोजनायें बनानी चाहिए। मान्यवर, पर्यटन निगम के दर, होटल को एक पर्यटन विकास एवं ट्रेनिंग केन्द्र की तरह चलाना होगा जिससे कि स्थानीय लोग इस क्षेत्र में आयें। मान्यवर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नैनीताल में रामजे हास्पिटल तथा भवाली सेनिटोरियम जैसे स्थानों को राज्य सहायता से विकसित कर मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा

दिया जा सकता है। मान्यवर, इसी प्रकार हरिद्वार आदि में आश्रमों की योग तथा साधना आदि के लिए बढ़ावा दिया जा सकता है। मान्यवर, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित नैनीताल की झीलों के लिए एक फेस–2 परियोजना बनाना आवश्यक है। इसी प्रकार मैं कहना चाहता हूँ कि उद्योगों की बात कही गई है उसके लिए इंडस्ट्रीयल एरिया बनाने की बात कही गई है, यदि एच0एम0टी0 जो भारत सरकार की इंडस्ट्री है उस योजना का लाभ उठाकर उसको पूरी तरह से बढ़ाया जाए और भवाली में यू0पी0 डीजिटल में कार्य नहीं हो रहा है, इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाए। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूँ और जो सुझाव दिये हैं उनको स्वीकार किये जायें।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मानननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, इसी सदन में मैंने पिछली बार एक सांख्यिकी विशेषज्ञ के किस्से का जिक्र किया था हिसाब किताब ज्यों का त्यों कुनबा डूबा क्यों ? तो जो बजट पेश किया है वह देखने में ठीक है, लेकिन फिर मैं आपके माध्यम से याद दिलाना चाहूँगा कि बजट पेश होना एक अलग बात है और उस बजट में काम होना एक अलग बात है। मान्यवर, कई माननीय सदस्यों ने कहा कि जिला योजना का बजट ही समय पर नहीं पहुँचा है उसका काम नहीं हो रहा है तो जब तक उस बजट के महत्व सरकार के पास काम करने का संकल्प शक्ति नहीं होगी और जब तक सरकार संवेदनशील होकर उस बजट के प्रॉवीजन को लागू करें और काम हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, इसको देखने की कोशिश नहीं करेगी तब वह किस्सा फिर सार्थक होगा। मान्यवर, पार्टी का कुनबा डूबे लेकिन प्रदेश का कुनबा न डूबे, तो मैं सबसे पहले यह कहना चाहूँगा कि मान्यवर, जिसकी चिंता हमारे डाक्टर जन्तवाल जी ने की है। मान्यवर, जिस दिन केन्द्र का बजट प्रस्तुत हुआ था उस दिन मैं भी दिल्ली में था, माननीय मुख्यमंत्री जी भी उत्तरांचल निवास में थे। हमने बजट पर प्रतिक्रिया जानने के लिए मुलाकात की। हमने प्रतिक्रिया इस तरह व्यक्त की कि सीमावर्ती राज्यों और बिहार को विशेष पैकेज की घोषणा हुई और हमारे राज्य को नहीं मिली, माननीय मुख्यमंत्री जी इससे सहमत थे। हमारी सरकार के मुखिया श्री नारायण दत्त तिवारी जी हैं जिनका केन्द्रीय राजनीति में बड़ा वर्चस्व है उनके रहते हमको कोई सहायता नहीं मिली तो अच्छा नहीं लगता। मेरा सुझाव यह है कि हमारे माननीय मंत्रीगण और हमारे प्रदेश के नेता सत्ता में बने रहने या सरकार बनाने के लिए ही उन्हें दिल्ली नहीं जाना चाहिए वे दिल्ली जाकर केन्द्रीय नेताओं से मिलें और ज्यादा से ज्यादा पैकेज बढ़ाने की बात कहें। मैं एक बात कहना चाहता हूँ हमारे एक वरिष्ठ नौकरशाह हैं वह कहते हैं कि मैं प्रदेश में हूँ तभी केन्द्र से बजट इतना ज्यादा आता है मैं नहीं रहूँगा तो नहीं आयेगा। ऐसे नौकरशाहों को और नेताओं को इस कार्य में लगा दें जिससे कि वह आर्थिक पैकेज लायें जिससे जनता का भी फायदा होगा।

मान्यवर, सबसे बड़ी बात यह है कि एक चिट्ठी हमको आयी कि सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठित हो गया है ऐसी जानकारी हमको मिली, उसकी बैठक की सूचना भी हमको मिली। यह चिन्ता का विषय है। मान्यवर, सीमान्त क्षेत्र में माओवादी गतिविधियाँ

बढ़ने का खतरा हो गया है, यह गतिविधियाँ क्यों पैदा होती हैं? इसके कुछ पक्ष में और विपक्ष में हो सकते हैं, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। मान्यवर, परिस्थितियाँ माओवादी विचारधारा को बढ़ाती हैं इन परिस्थितियों पर गौर करने की जरूरत है। अगर क्षेत्र में गरीबी होगी विकास नहीं होगा, तंगहाली होगी तो वह विचारधारा जल्दी लोगों को प्रभावित करेगी। इसलिए इस बात की आवश्यकता है जो नेपाल से लगे जिले हैं उन क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा जाय और इन क्षेत्रों में सुविधायें बढ़ायी जायें ताकि बाहरी गतिविधियों का प्रभाव कम होगा, पुलिस लगा देने, एस0एस0बी0 लगा देने से यह प्रभाव कम नहीं होगा। उन क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष पैकेज दिया जाये ताकि उन पर माओवादी विचारधारा का प्रभाव न पड़े। मान्यवर, पूरे बजट भाषण में सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण का जिक्र ही नहीं है। सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण आपने बनाया है।

मान्यवर, केन्द्र सरकार चिन्तित है उसने बी0ए0डी0पी0 एक योजना बनाई है। मान्यवर, अगर केन्द्र सरकार चिन्तित है तो राज्य सरकार क्यों चिन्तित नहीं है ? यह सबसे बड़े दुःख की बात है कि राज्य सरकार सीमान्त क्षेत्र के लिए चिन्तित नहीं है। इसके लिए विशेष प्रयास करना चाहिए। विशेष पैकेज देना चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष के सदस्यों को भी धन्यवाद दिया कि 12वें वित्त आयोग के समक्ष हमने अपनी बात सही ढंग से रखी। मान्यवर, 12वें वित्त आयोग ने 12194.34 करोड़ रुपये देने की संस्तुति की है लेकिन इसमें एक शर्त भी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसे स्वीकार किया है। उसमें शर्त है कि 2008–2009 तक राजकोषीय घाटा शून्य हो जाना चाहिए। यह पहली अनिवार्य शर्त है। इसके लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन विधेयक भी सदन में पारित किया जाना है। लेकिन इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। यह राजकोषीय घाटा शून्य कैसे होगा और कब यह विधेयक लाया जायेगा इसका उल्लेख नहीं किया गया है। सरकार इस दिशा में क्या काम करने जा रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जो हमारा घाटा है उसके लिए मितव्ययिता बरती जाये और अन्य उपायों के द्वारा इसे कम किया जाये। लेकिन यह कैसे होगा इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

मान्यवर, लालबत्तियों का जिक्र बार–बार आया इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही, इनकी अलग–अलग कैटेगरी बना दी गयी है। खर्च बढ़ता ही जा रहा है मैं नहीं समझता हूँ कि 12वें वित्त आयोग ने जो शर्त रखी है उसे हमें 2008–2009 में शायद पूरी नहीं कर पायेंगे। फिस्कल डिसीप्लिन कैसे लागू होगा, यह सरकार को बताना चाहिए। सम्मानित सदन को विश्वास में लेकर इसके उपायों पर विचार करना चाहिए। मान्यवर, यह मेरा मशवरा है, मेरा सुझाव है। मान्यवर, ऋण जमा अनुपात के बारे में कहा गया जिसमें दिसम्बर 2004 में ऋण जमा अनुपात 30.91 प्रतिशत हो गया है। अब इसकी हकीकत देखनी जरूरी है। मान्यवर, जब 10वां वित्त आयोग हमारे जनपद में भ्रमण पर आया तो उसके सामने प्रत्यावेदन देने का हमने थोड़ा प्रयास किया तो ऋण जमा अनुपात के बारे में हमने पता किया तो पता चला कि पिथौरागढ़ का ऋण जमा अनुपात 29 प्रतिशत है। यह ठीक ही था। जब इसका हमने विश्लेषण किया तो पता चला कि जो यह

प्रतिशत बढ़ा हुआ है यह दो मिनरल की फैक्ट्रियों के कारण बढ़ा हुआ है। यदि इन दो फैक्ट्रियों को हटा दिया जाये तो पूरे जिले का ऋण जमा अनुपात 4 प्रतिशत था। तो यह उसकी स्थिति भी यही होगी। जो बड़े–बड़े कर्जदार है बैंकों से ऋण लेने वाले की वजह से यह बढ़ा हुआ हो सकता है। लेकिन छोटे–छोटे व्यवसायी और किसानों को ऋण देकर यदि यह ऋण जमा अनुपात बढ़ता होता तो अच्छा होता। यदि यह 30 प्रतिशत इन छोटे–छोटे व्यवसायियों का और कृषकों का होता तो अर्थव्यवस्था ठीक हो रही है कहा जा सकता है। लेकिन बड़े–बड़े लोगों ने और कुछ लोगों ने ऋण लिया और प्रतिशत बढ़ गया तो छोटे तबके के लोगों का भला नहीं होगा। जो बैनी यहाँ से डेढ़ करोड़ रुपया लेकर चला गया वह लौटकर तो आयेगा नहीं अगर उसी को जोड़कर यह ऋण जमा अनुपात का प्रतिशत बनाया गया है तो यह धोखा ही होगा। अनुपात बढ़ रहा है और..... (व्यवधान)

वह ऋण जमा अनुपात में नहीं आता है वह किसी और मद में चला जाता है। हकीकत क्या है इसे वास्तव में कैसे बढ़ाया जाय, इसे गम्भीरता से सरकार को सोचना चाहिए। यदि छोटे व्यापारियों और किसानों के ऋण से यह जमा अनुपात बढ़ाया जाता तो यह निश्चित रूप से स्वागत योग्य होता।

मान्यवर, आबकारी के बारे में कहा गया कि 357.96 करोड़ की वृद्धि हुई है जो आंकड़े दिये गये हैं अच्छी बात है आमदनी बढ़ रही है लेकिन मेरा एक अनुरोध है कि सरकार को इसकी आमदनी का विकल्प ढूंढना चाहिए। धीरे–धीरे आबकारी विभाग को इसकी अपेक्षा किसी और विकल्प से आय के स्रोत उत्पन्न करने चाहिए क्योंकि इसकी वजह से कई बुराईयां और बीमारियों का जन्म होता है जिससे अन्य कई खर्चे और बढ़ जाते हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस विषय में कुछ सोचें। क्या विकल्प होगा और उससे कैसे आमदनी होगी ? परिवहन के बारे में कहना चाहूँगा कि जो वसूली करों के रूप में आमदनी हुई है, उसमें और बढ़ोत्तरी हो और माननीय नेता प्रतिपक्ष की भाषा में कहा जाय तो कितना अच्छा होता यह आमदनी और बढ़ती। मान्यवर, हमारे यहाँ जो परमिट देने की व्यवस्था है उसे बहुत जटिल बना दिया गया है। रोडों में जो छोटी–छोटी गाड़ियाँ चलती है, यह देखा जाता है लोग रिटायर होकर आते हैं और ऐसी जीप आदि लेकर उससे आमदनी का जरिया बनाते हैं या फिर कोई व्यक्ति ऋण लेकर गाड़ी खरीदता है और अपना रोजगार करता है, लेकिन जो परमिट देने में बहुत कठिनाई हमारे प्रदेश में कर दी गई है प्रक्रिया जटिल कर दी गई है, उससे यह हो रहा है कि आदमी बरेली या मेरठ जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा रहा है, रोड टैक्स वहीं पर जमा कर रहा है और गाड़ी यहाँ चलती है तो इससे जो हमारे प्रदेश का राजस्व था जो हमें मिलना चाहिए वह उत्तर प्रदेश को मिल रहा है, इसको ठीक बनाया जाय। यदि सुसंगत नियम बनेंगे तो राजस्व भी मिलेगा ऐसा हमारा आशय है।

सड़कों के बारे में कहना चाहूँगा मैंने तो माननीय मंत्री जी से व्यक्तिगत अनुरोध किया था जो रोडें स्वीकृत हैं, तो वह बनी नहीं हैं, मंत्री जी के क्षेत्र में सारी सड़कें बन गई है वह तो वी0आई0पी0 एरिया है वहाँ पर और बातें भी नहीं हैं पैसा स्वीकृत हो गया और काम शुरू। लेकिन हमारे यहाँ पर तो कहीं वन संरक्षण अधिनियम है तो कहीं पर

उससे भी ऊपर कस्तूरी मृग विहार। जो भी स्वीकृतियाँ हुई हैं, उनके लिए पैसा भी आ गया है, लेकिन सड़कें नहीं बन पा रही हैं। वैसे इस विभाग में अधिकारियों की भी बहुत कमी है। क्योंकि यदि कोई काम समय पर नहीं होता है तो उसके दूरगामी परिणाम होते हैं, कहीं पर सर्वे में देरी हो जाती है तो कहीं पर और कुछ इसमें काफी काम होता है सर्वे करना है, कागज तैयार करने हैं, नक्शा बनाना है स्पॉट इंस्पैक्शन, साइट इंस्पैक्शन, ज्वाइंट इंस्पैक्शन करना पड़ता है इसलिए इन सबको पूरा कर लिया जाय तब ही वन संरक्षण अधिनियम से छूट मिलती है।

मान्यवर, पी0एन0वी0 के बारे में कहना चाहता हूँ। एक उदाहरण दूँगा नारायण नगर डिग्री कॉलेज लिंक मार्ग स्वीकृत हुआ, यह लगभग 700 मीटर लम्बा है। यह सड़क बनाने में लगभग 3 लाख 78 हजार रुपये लगेंगे लेकिन इसके लिए पी0एन0वी0 5 लाख 85 हजार रुपया फारेस्ट को देनी होगी। सड़क बनाने की लागत तो कम है, पी0एन0वी0 में अधिक पैसा देना पड़ रहा है। मान्यवर, यह बहुत बड़ी अड़चन है। जिसकी वजह से सड़कें नहीं बन पा रही हैं। मैंने माननीय वन मंत्री जी से कहा था कि आप सरकारी फाइलों की बात न करें, बल्कि व्यक्तिगत रूचि लेकर इसके लिए प्रयास कीजिए। कस्तूरी मृग विहार को अलग करने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। यह माननीय उच्च न्यायालय में डिनोटीफाई करके हो सकता है। पी0एन0वी0 का मामला उच्चतम न्यायालय में है। आपने तीन-तीन ए0जी0जी0 वहाँ पर बैठा रखे हैं। उनसे कहिए कि कस्तूरी मृग विहार और पी0एन0वी0 का मामला सुलझाएं।

मान्यवर, ऊर्जा के बारे में कहना चाहता हूँ। पूर्ववर्ती सरकार के लोग और इस सरकार के हमारे साथी भी कहते हैं कि हम इस प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बनायेंगे। लेकिन ऊर्जा प्रदेश बनाने का जज्बा कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। यह सिर्फ घोषणाओं में और अखबारों में दिखाई देता है। उसी पुरानी कछुआ चाल से सरकार चल रही है। एक उदाहरण देना चाहता हूँ यहाँ पर बजट भाषण में कहा गया कि अभी 5307 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। 1220.60 मेगावाट की 15 परियोजनाओं के आवंटन की प्रक्रिया प्रगति में है तथा 2232.90 मेगावाट की विभिन्न श्रेणी की 26 परियोजनाएं निर्माण हेतु आवंटित हैं। लेकिन इसमें कहीं पर भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि इन योजनाओं को जल्दी बनाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ? इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम ऊर्जा विकास निधि बनाएगें,जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। सरकार ऊर्जा प्रदेश बनाना चाह रही है और उसके लिए निधि मात्र 100 करोड़ रुपये की बना रही है। 100 करोड़ रुपये में किस तरह से ऊर्जा प्रदेश बनाएंगे। मैंने पहले भी बजट भाषण के दौरान कहा था, आज भी कह रहा हूँ, विद्वानों ने कहा है कि हमारे यहाँ 40-50 हजार मेगावाट क्षमता जल विद्युत की है। हमारी सरकार कह रही है कि अभी 5307 मेगावाट की योजनाएं निर्माणाधीन हैं। इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है ? यह ध्यान देने योग्य बात हैं, सरकार को इसमें अपना इरादा दिखाना चाहिए। हमारा प्रदेश ऊर्जा प्रदेश बनने की ओर अग्रसर होता हुआ दिखना चाहिए। मान्यवर, उद्योगों के बारे में कहना चाहता हूँ। यहाँ पर जो भी उद्योग लगाये जाएँ, उनमें यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। मेरा सुझाव है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि हर जिले में जो सेवायोजन कार्यालय हैं, उनमें जो पंजीकृत बेरोजगार हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर इनमें नौकरी मिले।

मान्यवर, हमारी माँग है कि 85 प्रतिशत यहाँ के लोगों को यहाँ नौकरी मिलनी चाहिए। 15 प्रतिशत जो तकनीकी स्टाफ है वह बाहर का रखा जा सकता है। सामान्य कार्य वाले पदों में यहाँ के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। प्रत्येक जिले में बेरोजगार नौजवानों का पंजीकरण होना चाहिए और जिसका पंजीकरण हो जाए उन्हें यहाँ की नौकरियों के लिए बुलाना चाहिए। छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों की स्थापना पर्वतीय क्षेत्रों में होनी चाहिए जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। कुटीर उद्योगों को लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। मान्यवर, प्राविधिक शिक्षा के बारे में यहाँ पर बहुत कुछ कहा गया मैं चाहूँगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कनालीछीना में एक महिला पॉलिटेक्निक की स्थापना की जाए। माननीय प्राविधिक शिक्षा मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं कृपा करके नोट कर लें। इसकी माँग बहुत समय से यहाँ के लोगों द्वारा उठाई जा रही है। पिथौरागढ़ में एक बेस अस्पताल की स्थापना होनी चाहिए इस वित्तीय वर्ष में इसका शिलान्यास होना चाहिए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं कृपया वे इस तरफ अवश्य ध्यान देंगें। मान्यवर, जो बजट है उस पर बहुत से आंकड़ें गलत या सही हो सकते हैं, कम ज्यादा हो सकते है। यह कोई मायने नहीं रखता किन्तु जो बजट पारित होगा उसका सही सदुपयोग होना चाहिए यह महत्वपूर्ण है।

श्री बिशन सिंह चुफाल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट भाषण में बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, जो बजट रखा गया है उसमें सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार के अन्तर्गत जो लक्ष्य रखा गया है, 22.07 करोड़ रुपये प्राविधानित किया गया।

(5 बजकर 39 मिनट पर अधिष्ठाता श्री काशी सिंह ऐरी पीठासीन हुए।)

मान्यवर, 52 हजार व्यक्तियों को 100 दिन का रोजगार देने की बात इसमें कही है और जो मजदूरी तय की है वह 58 रुपये तय की है। मान्यवर, आज 100 रुपये से नीचे मजदूरी कहीं नहीं मिलती है।

मान्यवर, और उसमें आपका जो लक्ष्य रखा गया है 52.02 करोड़ का। मान्यवर, ये आंकड़ें फर्जी हैं, इसमें से 30 प्रतिशत पैसा सीधे मानव दिवस में चला जायेगा। मान्यवर, इस बजट भाषण में कहीं पर भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि इन तीन वर्षों में प्रदेश की आय क्या हुई और जो योजनागत का पैसा है, उसको कर्मचारियों के वेतन में दिया गया है। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन में कहा था कि आज अमरीका दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जदार देश है। परन्तु मैं कहना चाहता हूँ कि अमरीका की तो इराक के एक कुएँ (तेल) से करोड़ों रुपये की आमदनी है, इसीलिए वहाँ की प्रतिव्यक्ति आय बढ़ी है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, कर्जे को लेकर प्रदेश को चलाने की बात कही गयी है, यदि कर्जा लगातार लिया जाता रहेगा और प्रतिव्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी तो हम कर्जे में डुबते चले जायेंगे और एक समय ऐसा भी आ सकता है जब हमारा प्रदेश देश का सबसे कमजोर राज्य होगा, जब आने वाली जनता हमें कभी भी माफ नहीं करेगी।

मान्यवर, जहाँ तक शिक्षा की बात है, इस बजट में कहीं पर भी यह प्राविधान नहीं किया गया है कि दूरदराज के जो विद्यालय हैं, वहाँ पर अध्यापक नहीं हैं। मान्यवर, आज स्थिति यह है कि कई विद्यालय एक अध्यापक के द्वारा चलाये जा रहे हैं और कई विद्यालय भवन विहीन हैं। मान्यवर, डीडीहाट में एक राजकीय विद्यालय भवन विहीन है जबकि यह विद्यालय 1970 का खुला हुआ है। मान्यवर, लोक निर्माण मंत्री जी यहाँ पर बैठी हुई हैं मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि जो सड़क 1995 में स्वीकृत हुई थी, इसके रेट भी स्वीकृत हुए थे, इन क्षेत्र में पाँच ग्राम सभाएं आती है, लेकिन वन विभाग से स्वीकृति न मिलने के कारण यह सड़क नहीं बन पायी है। यहाँ की जनता ने लगभग एक माह पूर्व सम्बन्धित विभाग और जिलाधिकारी को पत्र भेजा यदि पहली अप्रैल तक कोई कार्यवाही नहीं की तो पूरे क्षेत्र की जनता आंदोलन करेगी। मान्यवर, जहाँ तक पेयजल की बात है सरकार जोरशोर से कह रही है कि हमने हैण्ड पम्प लगा दिये हैं, परन्तु ये हैण्ड पम्प दूरदराज के क्षेत्रों में नहीं लगे हैं। मान्यवर, स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहता हूँ कि सुदूरवर्ती इलाकों में आज भी डाक्टर नहीं हैं, इन क्षेत्रों में डाक्टरों की नियुक्ति होनी चाहिए। मान्यवर, इन क्षेत्रों में जो बेरोजगार फार्मासिस्ट हैं, इनकी नियुक्ति करनी चाहिए, इससे जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। मान्यवर, यह सरकार जब-जब चुनाव होते हैं चाहे पंचायत चुनाव हो या लोक सभा चुनाव, विधान सभा चुनाव डीडीहाट को जनपद बनाने की घोषणा करती है। मान्यवर, यहाँ की संघर्ष समिति जिले की माँग को लेकर आमरण अनशन पर बैठी हुई है। मैं चाहता हूँ इस बजट भाषण में इसका उल्लेख होना चाहिए था। मान्यवर, लोक सभा चुनाव के घोषणा-पत्र में डीडीहाट में पॉलिटेक्निक स्कूल खोलने की बात कही, परन्तु मान्यवर, डीडीहाट में पॉलिटेक्निक नहीं मिला। इस प्रकार सरकार का जो घोषणा-पत्र है यह सरकार का है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जनपद पिथौरागढ़ में रामगंगा और फुजकड़ दो नदी हैं, इनके कटाव से गाँव प्रभावित हैं। इन क्षेत्रों में तटबंध हो और माननीय लोक निर्माण मंत्री आपको थल क्षेत्र में दिखाया गया कि रामगंगा नदी में जो पुल है वह कभी भी जा सकता है, रामगंगा नदी दो जनपदों को जोड़ने वाला क्षेत्र है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया इसमें कहीं भी रोजगार और औद्योगिक नीति का भी उल्लेख नहीं है और कहा था कि दो लाख लोगों को प्रति वर्ष रोजगार दिलायेंगे, इस प्रकार से कोई काम नहीं हो रहा है, केवल आपके कार्यालय में बैठकर इस सरकार में आंकड़ें तय किये जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्रीमती आशा देवी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया मैं आपकी आभारी हूँ। मान्यवर, सरकार ने चौथा बजट जनता के लिए पेश किया है। मान्यवर, उत्तरांचल की जनता को माननीय सरकार और माननीय विधायकगणों पर विश्वास होता है कि हमारे लिए हर वर्ष जो बजट पेश किया जा रहा है उसमें कुछ खास योजनायें सरकार द्वारा रखी जायेंगी। माननीय विधायकगण हमारे क्षेत्रों के लिए कुछ खास योजना लेकर आयेंगे, लेकिन जो बजट यहाँ पेश किया गया है उस बजट में न तो रोजगार की कोई योजना बेरोजगारों के लिए रखी गई है और जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने हमारे सम्मानित विपक्ष के साथियों ने अपनी बातों में कहा है कि उत्तरांचल का एक

बड़ा भू-भाग पर्वतीय क्षेत्र में है, लेकिन इस बजट में पर्वतीय क्षेत्रों की घोर उपेक्षायें की गई हैं। चन्द जनपदों में इस बजट में बहुत बड़ी-बड़ी योजनायें रखी गई हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों के लिए इस बजट से सिर्फ निराशा और हताशा ही हाथ लगी है। हमारे कुछ सत्ताधारी, पक्ष के कुछ माननीय सदस्यगण माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत ज्यादा अनुभव होने का खिताब देते हैं, लेकिन यह उत्तरांचल चन्द क्षेत्रों, चन्द जनपदों का उत्तरांचल नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा भू-भाग पर्वतीय क्षेत्र में निवास करता है, लेकिन उनके लिए कोई ठोस नीति, कोई ठोस योजना इस बजट में नहीं रखी गई है।

मान्यवर, उत्तरांचल क्षेत्र के विकास के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं रखा गया है वहाँ के जो बेरोजगार युवक हैं वह मायूस हैं और उनके चेहरे मुरझाये हुए हैं। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र के नवयुवक जब पेपरों में पढ़ते हैं कि उनके लिए सरकार ने इस बजट में कोई योजना नहीं रखी है तो उनको वह संघर्ष याद आता है जो उन्होंने उत्तरांचल राज्य को लेने हेतु किया था।

मान्यवर, संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में खोला गया और दून विश्वविद्यालय देहरादून में और पेट्रोलियम विश्वविद्यालय यहाँ खोला गया। मेरा कहना है कि ऐसी कोई योजना को अगर पिथौरागढ़ में, चमोली, रुद्रप्रयाग में खोलते तो उत्तरांचल की जनता को लगता कि हमने उत्तरांचल राज्य बनाने के लिए संघर्ष किया था। मान्यवर, इस बजट की पुस्तिका में कुछ भी खास बातें नहीं हैं। हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में हर वर्ष आपदायें आती रहती हैं। हमारा टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली में हर वर्ष आपदायें आती हैं और ये जनपद इसकी आपदा भू-स्खलन की चपेट में रहते हैं। मान्यवर, इसके लिए इस बजट में कहीं भी प्राविधान नहीं किया गया है। मान्यवर, मेरा क्षेत्र पर्यटन और तीर्थाटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ देश और विदेशों से लोग आते हैं, इन क्षेत्रों के तीर्थ क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था पर्यटन विभाग और सरकार को करनी चाहिए। मान्यवर, गौरी कुण्ड केदारनाथ पहाड़ी रास्ता है। इस हेतु भी इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई। हर वर्ष वहाँ दुर्घटनायें होती रहती हैं। मान्यवर, गौरी कुण्ड में टैक्सी और मोटर बसों के लिए बड़ी अव्यवस्था होती है। मान्यवर, 2001 से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने थोड़ी बहुत व्यवस्था की थी मगर इस सरकार ने आज तक घोड़ा पड़ाव के लिए टैक्सी पार्किंग करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। मान्यवर, यात्रियों को 10-15 कि0मी0 सड़क मार्ग से पैदल जाना पड़ता है।

मान्यवर, सड़क मार्ग से उनको पैदल जाना पड़ता है। बजट में विशेष पैकेज की व्यवस्था इसके लिए यदि कर दी जाये तो विश्व से आने वाले लोग आपको धन्यवाद देंगे। जड़ी-बूटी के लिए हमारे पर्वतीय क्षेत्र में बहुत बड़े-बड़े भू-भाग है जहाँ जड़ी-बूटी उगायी जा सकती है, उनका संरक्षण किया जा सकता है। इनके संरक्षण के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। हमारे यहाँ बहुत बड़े-बड़े बुग्याल ऐसे है जहाँ जड़ी-बूटी उगायी जा सकती है। यहाँ काफी संख्या में बड़े भू-भाग है उनमें जड़ी-बूटी उगायी जा सकती है। यदि ऐसा किया जाये तो राज्य की जनता को लगेगा कि राज्य में प्रत्येक जगह कुछ न कुछ कार्य हो रहा है और लगता कि हम विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें।

श्रीमती आशा देवी–

मान्यवर, 98–99 में भूकम्प पूरे उत्तरांचल और विशेषकर उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में आया था तब भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों की 5 कैटेगरी रखी गयी थी। मान्यवर, 2001 में जो पैसा बंटा उसके बाद से आज तक उन्हें कोई पैसा नहीं बांटा गया है। थोड़ा मैं धन्यवाद दूंगी माननीय नैथानी जी को उनके समय में कुछ पैसा बांटा गया था उसके बाद से उन्हें आज तक कुछ नहीं मिला है। जनता कह रही है कि उसे उसका पैसा नहीं दिया जा रहा है। इस बजट भाषण में भी इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है।

श्री अधिष्ठाता–

समय हो गया है।

श्रीमती आशा देवी–

मान्यवर, एक मिनट और लूँगी।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती आशा देवी–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में एकमात्र महाविद्यालय रुद्रप्रयाग में है और उसमें अभी भी पी0जी0 स्तर में साइंस विषय नहीं चलाया जा रहा है इसके लिए मैं कई बार इस सदन में भी माँग कर चुकी हूँ। 3 साल बीत गये है। वहाँ के छात्रों को दूर–दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि ऐसे बिन्दू जो जनहित के हैं जिनसे लगे कि वास्तव में सरकार ने हमारे लिए कुछ किया है, ऐसे बिन्दुओं को बजट भाषण में शामिल किया जाये और मैं इस बजट का विरोध इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें पर्वतीय क्षेत्रों को नजरअंदाज किया गया है। उनका ध्यान नहीं रखा गया है इसलिए मैं इस बजट के विरोध में बोल रही हूँ। धन्यवाद।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, आपने मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, किसी राज्य का वार्षिक बजट उस राज्य की एक वर्ष की तस्वीर के साथ–साथ भविष्य को भी दर्शाता है। इस दृष्टि से देखा जाय तो बजट में नया कुछ नहीं है। अगर है तो सिर्फ शब्दों का लुभावना मकड़जाल। मान्यवर, रोजगार की चुनौती प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती है। युवाओं के हितों का ध्यान इस बजट में जितना होना चाहिए था, वह नहीं रखा गया है। मान्यवर, आशा थी कि अपने घोषणा–पत्र के अनुरूप एवं विगत वर्षों के बजट भाषण एवं अभिभाषणों में बार–बार सरकार ने 2 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही। उन 2 लाख लोगों का क्या

हुआ ? कितनों को सरकार ने रोजगार दिया इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। यह बात ठीक हो सकती है कि सरकार की मंशा लोगों को रोजगार देने की है, लेकिन क्या कागजों में 2 लाख रोजगार देने की बात कहकर रोजगार दिया जा सकता है ?

मान्यवर, आवश्यकता है सही ढंग से नीतियाँ बनाने की। मान्यवर, रोजगार के क्षेत्र में एक ठोस नीति बनाने की आश्यकता है। सरकार ने इसके लिए 50-60 उपलब्धियां गिनी ही हैं। यदि सरकार युवाओं के हित में सोचती है और उनके लिए कार्य करने की इच्छा शक्ति सरकार में होती तो विभिन्न क्षेत्रों में कई रोजगारों की सम्भावनायें हैं, उनको कैसे रोजगार प्रदान किया जाय, एक सम्यक् नीति बनाकर उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया कराये जा सकते हैं। मान्यवर, आज जरूरत है पूरे उत्तराखण्ड में छोटे-छोटे कुटीर उद्योग लगाने की। कहीं पर कृषि के क्षेत्र में फल पट्टियां विकसित की जा सकती हैं और मौन पालन और रेशम पालन और उससे रेशम उत्पादन करके रोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है मान्यवर, जो हमारे उत्तराखण्ड की पारम्परिक खेती है, उसे बढ़ावा दिया जा सकता है जिससे काश्तकारों का भला हो सके। मान्यवर, इसके अतिरिक्त पूरे उत्तराखण्ड राज्य का एक विस्तृत सर्वे कराकर पर्यटन ग्राम बनाये जाने चाहिए उन्हें विकसित किया जाना चाहिए। लेकिन खेद पूर्ण स्थिति है कि ऐसा कोई प्रावधान सरकार के इस बजट भाषण में नहीं है।

श्रीमन्, लीसा जो कि आज पूरे उत्तराखण्ड में बहुतायत है, उसका समुचित दोहन कर उसे रोजगार की सम्भावनायें तलाशी जायं तो अच्छा होगा। मान्यवर, लीसा पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर होता है, इसके लिए ग्राम पंचायतों को तारपीन, वार्निश और विरोजा तैयार करने के उद्योग लगाने को दिये जायं उन्हें प्रोत्साहित किया जाय तो मेरा अनुमान है कि प्रत्येक गाँव में चार से पाँच लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। श्रीमन्, इसी तरह से अल्मोड़ा जनपद का तांबा उद्योग आज दम तोड़ता नजर आ रहा है। जब तक शिल्पी को मूल्य निर्धारण का अधिकार नहीं मिलता तब तक वह मात्र मजदूर ही बनकर रह जायेगा और यह परम्परागत उद्योग आगे बढ़ने में अक्षम रहेगा। मेरा अनुरोध है कि शिल्पी को मूल्य निर्धारण का अधिकार दिया जाय। मान्यवर, कृषि और पशुपालन हमारे उत्तराखण्ड के पारम्परिक उद्योग और कार्य रहे हैं, जिन्हें विकसित किये जाने की आवश्यकता है, जिसके लिए सरकार को जंगलों का विकास और नई तकनीकों को आम आदमी के बीच में लाना चाहिए, जिनकी जानकारी किसानों को दी जानी चाहिए जिससे वह नई तकनीकों का लाभ उठा सके और अपना जीवन स्तर सुदृढ़ कर सके। मान्यवर, मैं अपने विधान सीभा क्षेत्र द्वाराहाट का उदाहरण दूँगा जहाँ पर विकास खण्ड चौखुटिया जो कि 75 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है, लेकिन आज वहाँ पर जितनी भी हाईड्रम योजनायें हैं वे सब खराब हो गई हैं, बन्द पड़ी हुई हैं। जितनी भी सिंचाई की नहरें थी वह टूट चुकी हैं। लेकिन उनके लिए कोई भी प्रावधान इस बजट में नहीं रखा गया है।

मान्यवर, दैनिक जरूरत की वस्तुओं के आधार पर यदि कुटीर उद्योग लगाये जायं तो अच्छा होगा लेकिन सरकार ईमानदारी के साथ संकल्प ले कि हमें विकास कार्य करने हैं। पहले भी दैनिक उपभोग की वस्तुओं की आपूर्ति कुटीर उद्योगों से ही होती थी चाहे वह सोना हो चाँदी लोहे के छोटे श्रमिक हों। यह ठीक है कि जमाने के साथ

चलना चाहिए लेकिन हमें अपनी पुरानी परम्पराओं और पुरानी परिपाटियों को भी बचाना होगा लेकिन उनमें आवश्यक सुधार लाकर एक अच्छी बात सरकार ने कही है कि प्रदेश का बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकसित करने का सार्थक प्रयास किया जायेगा। अभी केन्द्रीय बजट में भी इसके लिए प्रावधान किया गया है। लेकिन इसमें यह कहीं पर नहीं दिया है यह बायोटेक्नोलॉजी पार्क के लिए 5 करोड़ का प्रावधान तो है परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि यह कहाँ पर होगा और कैसे इसे विकसित किया जायेगा। मान्यवर, हमारा प्रदेश बायोडाईवरसिटी के क्षेत्र में काफी धनी है। लेकिन आज बदलावों के चलते ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन के कारण बहुत सी प्रजातियाँ लुप्तप्राय हो गई हैं, इनके संरक्षण का प्रयास करना होगा।

मान्यवर, इसके संरक्षण हेतु प्रयास किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी स्पेसीज हैं जिनको बचाने की बहुत आवश्यकता है। यदि सरकार पहाड़ी क्षेत्रों में एक बॉटनिकल गार्डन की स्थापना करे तो विलुप्त होती प्रजातियों को बचाया जा सकता है। इसको नेचर्स लवर और बच्चों को जानकारी देने के अलावा शोध कार्यों में मदद मिलेगी, इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। तो यह हमारे राज्य के लिए बहुत लाभदायक होगा। मान्यवर, पेयजल के बारे में कहना चाहता हूँ, पूरे प्रदेश में पेयजल की स्थिति अत्यन्त खराब है। पिछले वर्ष पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ था लेकिन इस वर्ष ऊपर वाले नारायण की कृपा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी लोगों को राहत मिली है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय त्रिपाठी जी, कृपया समाप्त करें।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, हमारे यहाँ जल संरक्षण की आवश्यकता महसूस होती है, सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। इसके साथ ही मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं को इस बजट में शामिल करने का निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 वर्ष पूर्व बागेश्वर के उत्तरैणी मेले में घोषणा की थी कि बिंता में आई0टी0आई0 खोला जाएगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बावजूद भी इस बजट भाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है। साथ ही चौखुटिया ब्लॉक में महिला पॉलिटेक्निक खोलने की घोषणा की थी जो आज तक नहीं खुल पाया है। महाकालेश्वर 10 से 15 हजार आबादी का क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर कोई अस्पताल नहीं है। यहाँ पर स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता है। यदि इसको इस बजट में शामिल कर लेंगे तो बहुत कृपा होगी। मान्यवर, द्वाराहाट में इंजीनियरिंग कॉलेज है और अब माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से यह तहसील भी बन गयी है लेकिन यहाँ का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कई अभावों से ग्रस्त है। इसका उच्चीकरण इसी सत्र में कर दें तो कृपा होगी।

मान्यवर, गगास नदी से कूना, धन्यारी, बसेरा, असगोली छत्तगुल्ला लगभग 5000 आबादी की ग्राम सभा है। लेकिन यहाँ पर गगास नदी से प्रस्तावित पेयजल योजना अभी लम्बित है। मान्यवर, पूरे उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में से बग्वाली पोखर में अण्डरग्राउन्ड

वाटर प्राप्त हुआ है, यहाँ पर लिफ्ट पेयजल योजना प्रस्तावित है। यदि इस सत्र में इसको बना दिया जाय तो इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं अपने नेता प्रतिपक्ष श्री मातबर सिंह कण्डारी जी समेत सभी माननीय सदस्यों ने जो बात कही है, उससे अपने को सम्बद्ध करता हूँ। बार–बार बात आती है कि विपक्ष के लोग तारीफ नहीं करते हैं। मैं शुरूआत तारीफ से कर रहा हूँ। एक बहुत अच्छी बात आपने बजट में रखी है, लेकिन यदि वास्तव में इसको कार्य रूप देंगे तो पता लगेगा क्योंकि देखने में यह आता है कि बजट के आकार में तो रख लिया जाता है लेकिन अगले साल वह लागू नहीं होता है। जिससे कष्ट होता है। आपने प्रदेश में संस्कृत शिक्षा के विस्तार का प्रयास किया है।

मान्यवर, कक्षा 3 से संस्कृत शिक्षा प्रारम्भ करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। अगर यह कार्यरूप ले लें तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। संस्कृत भाषा को देवताओं की भाषा भी कहा जाता है, यह देववाणी है। वास्तव में आज संसार के वैज्ञानिक भी इस बात को कह रहे हैं कि कम्प्यूटर के लिए संस्कृत भाषा ही एक उपयुक्त भाषा है। इसको बोलने का अपना एक अलग तरीका है। इसके शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक से एक बातें विद्वता की इसमें समाहित है। वास्तव में संस्कृत भाषा को तो उत्तरांचल की देव भूमि में अवश्य होना चाहिए। पिछली सरकार द्वारा संस्कृत महाविद्यालय खोलने की अनुमति हरिद्वार में दी गई थी। पिछली सरकार का सदस्य मैं स्वयं भी था और मुझे खुशी हुई कि इस सरकार ने भी इस कार्य को आगे बढ़ाया। यह बहुत अच्छी बात है। शेष तो बजट में कुछ खास नहीं है। क्योंकि जो पिछली कार्यकारी सरकार थी वह शुरूआती दौर की सरकार थी और विभिन्न समस्याओं से घिरी हुई सरकार थी, संसाधनों की कमी थी और पिछली सरकार को 11वें वित्त आयोग का भी लाभ नहीं मिल पाया था फिर भी सरकार बखूबी चली।

उस समय कर्मचारियों के तनख्वाह की समस्या थी, पेंशन भोगियों को पेंशन देने की समस्या थी और स्वतंत्रता सग्राम सेनाओं के पेंशन किस प्रकार दी जायेगी और तमाम तरह की समस्या थी जो शुरूआती दौर में किसी भी नये राज्य में होती है। इसके बावजूद भी उसका राजस्व घाटा सिर्फ 99 करोड़ रुपये ही था और यह 17 सौ करोड़ रुपये से घटाकर 99 करोड़ रुपये हम इसे लेकर आये थे।

मान्यवर, 2 मार्च को वर्तमान सरकार ने शपथ ली तो यह राजस्व घाटा साल दर साल बढ़ता जा रहा है। पहले वित्तीय वर्ष में 457 करोड़ रुपये, द्वितीय वर्ष 1761 करोड़ रुपये का बजट घाटा था। उसके बाद तृतीय वर्ष में यह घाटा 1324 करोड़ और इस वर्ष यह घाटा बढ़ कर 482 करोड़ हो चुका है। आखिर क्या कारण है जिस सरकार के पास साधनों की कमी थी उसका बजट घाटा मात्र 99 करोड़ रुपये था किन्तु अब जब कि राज्य को विशेष राज्य का दर्जा भी प्राप्त हो गया है फिर भी राजस्व घाटा साल दर साल बढ़ता

जा रहा है। (हँसी) माननीय अधिष्ठाता महोदय जी यहाँ पर बैठे, वे मेरी बात को समझ गये हैं, इसलिए हँसी आ रही है। वे मेरे किसी खास एक्शन को लेकर मुस्करा रहे हैं। क्या कारण है कि सरकार साल दर साल कर्जा लेती जा रही है और राजस्व घाटा बढ़ता जा रहा है। यह जो हँसी आ रही है उसे आप नहीं समझ सकती हैं।

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में दो–चार बातें लाना चाहता हूँ। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी ने जो कर्जा लिया था वह सिर्फ 268 करोड़ का लिया। मान्यवर, वर्तमान सरकार ने इन तीन सालों में क्रमशः 1100 करोड़, 2200 करोड़ और वर्ष 2004–2005 में 1700 करोड़ रुपये का कर्जा ले लिया और कर्जे के बाद विकास की बात करते हैं। मान्यवर, यह सरकार यह कर्जा लालबत्तियों में तेल भरने के लिए ले रही है। मान्यवर, बिजली का पैसा केन्द्र सरकार को वापस चला जा रहा है, सरकार में अफरा–तफरी मची हुई है कि आखिर इस धन को कैसे रोका जाय। मान्यवर, आज की तिथि में यहाँ पर लगभग 60 हजार करोड़ रुपये का कर्जा है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि अब आप विकास की बात करते हैं विकास में बजट का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। बजट का आकार साल दर साल बढ़ रहा है। मान्यवर, हम 17–18 महीने में सत्ता में नहीं रहे। मान्यवर, वर्ष 2001–2002 में लगभग 900 करोड़ रु० का बजट दिया और हमने साढ़े आठ सौ करोड़ रुपया खर्च किया। यदि आपके और हमारे कामों की तुलना करेंगे तो आप नगण्य काम कर रहे हैं। मान्यवर, 900 करोड़ के वार्षिक बजट में से साढ़े आठ सौ करोड़ रुपया खर्च किया जाना हमारी कार्य संस्कृति को दर्शाता है।

मान्यवर, कहने वाले कह रहे हैं कि जब से कांग्रेस की सरकार आयी है, उसने वर्ष 2002–2003 में 1400 करोड़ का बजट रखा है, उसमें से सिर्फ 1000 करोड़ का खर्च किया है, शेष 400 करोड़ कहाँ गये। वर्ष 2003–2004 में 17 सौ करोड़ का बजट रखा, उसमें से 1200 करोड़ खर्च किया 500 करोड़ कहाँ गये। वर्ष 2004–2005 में 1800 करोड़ का बजट रखा, उसमें से सिर्फ 1100 करोड़ खर्च किया शेष क्या हुआ। मान्यवर, कोई हिसाब नहीं है। वर्तमान बजट 2700 करोड़ का कर रखा है, इसमें खुश होने की आवश्यकता नहीं है। "मान्यवर, यह "या खुदा खर्चे बढ़ा यानि या खुदा खर्चे बढ़ा, पैसे लालबत्ती में जाये।" मान्यवर, यह नहीं चलेगा। मान्यवर, 11वें वित्त आयोग तक का जो पैसा है वह भी खर्च नहीं कर पाये हैं, केन्द्र ने आपसे इसका हिसाब मांगा है।

मान्यवर, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो इतना कर्जा चल रहा है, इस कर्जे पर रोक लगाने के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत गम्भीरता से विचार होना चाहिए। "ऋणम् कृत्वा घृतम् पिबेत्" की बात नहीं होनी चाहिए। मान्यवर इतना बजट आ रहा है लेकिन उसका सरकार ठीक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आज एक अतारांकित प्रश्न लगाया है, सुबह सदन में आया था। उदाहरण के लिए मैं पढ़ रहा हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

एक उदाहरण काफी है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री का जो उत्तर आया है, मैं जानता हूँ कि यह उत्तर आपकी तरफ से नहीं आया है, मैं कार्य संस्कृति के बारे में बता रहा हूँ कि आखिर कैसे कार्य किये जा रहे हैं। मान्यवर, मैंने पूछा क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगी कि जनपद अल्मोड़ा में काकड़ीघाट–शीतलाखेत मोटर मार्ग कब स्वीकृत हुआ ? तो उत्तर आया वर्ष 1980 में स्वीकृत हुआ। फिर मैंने पूछा कि आज तक इस मोटर मार्ग के शीतलाखेत तक निर्माण न होने का क्या कारण है? तो जवाब आया कि प्रश्न नहीं उठता, फिर पूछा कि क्या सरकार इसी वित्तीय वर्ष में इस सड़क का शीतलाखेत तक निर्माण करने पर विचार कर रही है तो उत्तर आया कि प्रश्न नहीं उठता। यह सड़क माननीय मंत्री जी आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि शीतलाखेत पर्यटक स्थल से जाती है। 1992 में अल्मोड़ा जिले के शीतलाखेत एवं पौड़ी के दो स्थानों को पर्यटक स्थलों में विकसित किया गया था। मान्यवर, 3–4 सालों से मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि यह सड़क आगे बढ़े। इसका उत्तर आना चाहिए क्योंकि यह आज एक अधूरी सड़क है, जिसको पूरा किया जाना चाहिए। शेष भाग कब तक पूरा करेंगे इसका उत्तर आना चाहिए था।

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, जितनी सड़क स्वीकृत थी बन गई।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह आज की नहीं 10 साल पहले की थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि "कनेक्टेविटी" कहीं नहीं है, ऐसा उत्तर क्यों आया आप विभाग से पूछें, इसकी इन्क्वारी होनी चाहिए। मान्यवर, अब पेयजल की व्यवस्था के बारे में आ रहे हैं, एक सेकेण्ड में कह दे रहे हैं कि कोसीशेर राम गंगा–चमड़खान एवं तिपोला चिलियानौला पम्पिंग योजना के लिए 2–3 साल से लगातार उठाता आ रहा हूँ। मान्यवर, जब इतना बजट आ रहा है तो यह तो छोटी–छोटी बातों की स्वीकृतियाँ जारी क्यों नहीं हो रही हैं, यह विचारणीय प्रश्न है। यह छोटी–छोटी बातें बहुत गम्भीर हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। मान्यवर, आज मैंने सदन में पूछा था कि क्या कोई उत्तर प्रदेश जाने वाले लोग रोके गये हैं, क्योंकि 6 महीने पहले सदन में उत्तर आया था कि कोई नहीं रुका। लेकिन 2 एस0ई0, 23 ई0ई0, 30 जे0ई0 को रोके हैं। रोकने का क्या औचित्य है जबकि फाइनल आवंटन हो गया है। विश्वनाथ आनन्द कमेटी ने फाइनल आवंटन कर दिया है सवाल यह है कि जो यहाँ रहना ही नहीं चाहते हैं तो रोका क्यों जा रहा है ? इसी प्रकार पुलिस के अधिकारी भी प्रदेश से बाहर से मंगाये जा रहे हैं, यहाँ के अधिकारियों को प्रोन्नति क्यों नहीं दी जाती ? मेरा मतलब है कि जिनकी उत्तरांचल के प्रति भावना ही नहीं है तो यहाँ क्यों बुलाया जा रहा है।

मान्यवर, इसी प्रकार डॉक्टर पर्वतीय क्षेत्र में ज्वाइन तो कर लेते हैं फिर छुट्टी पर चले जाते हैं, सिर्फ तन्ख्वाह लेने आते हैं। ऐसे नियुक्तियों से इस प्रदेश को क्या फायदा है।

मान्यवर, सी0एम0ओ0 से बातचीत कर ऐसे डाक्टर अपनी तनख्वाह प्राप्त कर लेते हैं। अगर सेन्टीमेन्ट्स ही नहीं है, तो उत्तरांचल का विकास नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, मैं बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन समय समाप्त हो चुका है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, बसपा द्वारा प्रश्न उठाया गया था। उस पर वक्फ बोर्ड की जाँच जिला अधिकारी को दी गई है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा होता है। क्या डी0एम0 इसकी जाँच कर सकता है ?

श्री अधिष्ठाता–

इसको मैं सुरक्षित रख रहा हूँ जब अध्यक्ष जी पीठ पर हों, तब आप इसे उठाइये।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं नेता प्रतिपक्ष श्री कण्डारी जी, श्री प्रकाश पंत जी, बसपा के श्री हरिदास जी, श्री मदन कौशिक जी, माननीय प्रीतम पंवार जी, श्री महेन्द्र भट्ट जी, श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी, श्री जन्तवाल जी, श्री ऐरी जी, श्री चुफाल जी, श्रीमती आशा नौटियाल जी, श्री पुष्पेश त्रिपाठी जी एवं श्री अजय भट्ट जी आप लोगों ने विस्तार से चर्चा में भाग लिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ।

मान्यवर, यह बजट जो है, वह भारत से लेकर उत्तर प्रदेश में बजट प्रस्तुत करने वाले विशेषज्ञ हैं उन्होंने इस राज्य का चौथा बजट प्रस्तुत किया है। उन्हें मैं भी और प्रतिपक्ष के साथी भी विषय विशेषज्ञ मानते हैं। मान्यवर, जो यह बजट प्रस्तुत किया है वह सिंचाई सड़क, जल, आपूर्ति ग्रामीण दूर संचार आदि का है। यह बजट प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने तैयार कराया है। इसमें हर बिन्दुओं को रखा गया है, कोई भी बिन्दु इसमें छूटा नहीं है। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि यह व्यवस्था इसमें नहीं है। मैं कहती हूँ कि बजट में व्यवस्था है। माननीय आशा नौटियाल जी ने पर्यटन के सम्बन्ध कहा कि इसमें कुछ नहीं दिया गया। मान्यवर, इसमें 10 करोड़ एक और 7 करोड़ एक है।

मान्यवर, यानी वर्ष 2000–2001 में 12 हजार 768, वर्ष 2002–2003 में 13 हजार 945, वर्ष 2003–2004 में 15 हजार 125, मान्यवर, इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। मान्यवर, किस प्रकार हम विकास को आगे ले जाएंगे इसके लिए कैटेगरी बनायी गयी प्राइमरी सेक्टर, सेकेन्ड्री सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में कृषि, उद्यान मत्स्य पालन, खनन, पशुपालन को रखा गया है। मान्यवर, राज्य की अर्थ व्यवस्था में हमारा योगदान 31 प्रतिशत से बढ़कर 37 प्रतिशत तक पहुँच गया है। सेकेन्ड्री सेक्टर में उद्योग, वन, जलापूर्ति को रखा गया है। इसमें हमारा योगदान 22.76 प्रतिशत रहा है। सर्विसेज सेक्टर में परिवहन, सामुदायिक सेवाओं आदि को रखा गया है। इसमें हमारा योगदान वर्ष 2000–2001 में 40.69 प्रतिशत रखा। मान्यवर, ये आंकड़े हैं और धरातल पर भी इसमें काम हुआ है। इनका प्रतिशत 3 वर्ष में जो बढ़ा वह बताता है कि मूलभूत क्षेत्र में, इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में किस प्रकार राज्य ने विकास किया है। इसे स्वीकार करने में हमारे कुछ साथियों को कष्ट जरूर होगा। लेकिन यह सत्य है कि विकास के क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं। मान्यवर, विद्युत के क्षेत्र में जहाँ पहले 3–4 घन्टे बिजली आती थी आज 24 घन्टे का संकल्प लिया गया है। मैं नहीं कह रही हूँ कि आज 24 घन्टे बिजली दी

जा रही है। लेकिन वर्ष 2005–2006 में 24 घन्टे बिजली प्रत्येक क्षेत्र में दी जायेगी। इतनी व्यवस्था अभी नहीं हो पायी है। जलाशयों में जल की कमी के कारण हमारा विद्युत उत्पादन घट भी जाता है। मान्यवर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण मिशन केन्द्र सरकार की सहायता से चलाया जा रहा है। परिवार कल्याण और स्वास्थ्य की दृष्टि से यह एक अच्छा कदम है। इसमें जो आवंटन सरकार को हुआ है उसका लगातार प्रयोग हो रहा है। फार्मेसिस्ट के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़े हैं। मान्यवर, सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राइमरी शिक्षा, मिड डे मील योजना, पेयजल, सफाई आदि के क्षेत्र में काम किया जा रहा है। पेयजल का हमें संरक्षण करना होगा। हम लिफ्ट योजना भी लागू कर रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में पेयजल की जिस प्रकार की मांग है उसकी पूर्ति के लिए जल संरक्षण को बढ़ावा देना होगा। पानी की एक–एक बूंद की कीमत को समझना होगा।

मान्यवर, सभी क्षेत्रों में काम हुआ है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। अभी हमारे कई साथियों ने अपने विवरण देते हुए ऊर्जा विकास निधि के बारे में कहा कि इसके लिए बजट में प्रावधान कम किया गया है तो कैसे होगा। मान्यवर, संस्थागत स्रोतों से भी वित्त का प्रबन्ध किया जायेगा और अन्य संस्थानों से भी वित्त पोषण कराना होगा और बड़े पूंजीपतियों के पूंजी निवेश के माध्यम से धन प्राप्त हो रहा है और अन्य संस्थानों से भी धन प्राप्त हो रहा है। ऋण की अदायगी के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने चिंता जाहिर की है, ऋण वापसी के विशेष प्रावधान किये गये वर्ष 2003 और 2004 में जो अधिक ब्याज वाला ऋण है उसको वापस किया गया और कम ब्याज वाला ऋण लिया गया यह इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया कि हम अपने आप को निर्भर स्टेट बना सकें और ऋण को कम करने की पर्याप्त कोशिशें हम कर रहे हैं। इसी प्रकार से 12वें वित्त आयोग से भी हमें राहत मिली और वित्त आयोग ने कहा कि यह राहत उसी प्रदेश को मिलेगी जो अपना राजस्व घाटा कम करेगा और राजकोषीय उत्तर दायित्व एवं बजट प्रबन्धन विधेयक को पारित करेगा। हम इस बिल को सदन में लायेंगे और उस समय आप सबके विचार इसमें सम्मिलित होंगे। राजस्व घाटा है क्योंकि हमारा प्रदेश जब बना हमें 11वें वित्त आयोग से पैसा नहीं मिला था, लेकिन जिस दिन से यह सरकार बनी है विकास निरन्तर हो गया है वह रूका नहीं है वह स्वाभाविक है कि पैसा नहीं होने की स्थिति में ऋणग्रस्तता होती है। तो हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसा लिया और नाबार्ड से लिया जो कार्य चल रहे हैं इसके अतिरिक्त भारत सरकार से भी हमें कुछ अनुदान मिला है और कुछ ऋण मिला है।

इस ऋण को कैसे समाप्त किया जाय यह विचारणीय है इसके लिए हम यह बिल भी सदन में रखेंगे और तब जो ऋणग्रस्तता की बात कर रहे हैं, वह स्थिति स्पष्ट होकर आपके समक्ष आ जायेगी। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जिन बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट कराया था और उनके जो मूल बिन्दु थे वह सब मेरे समक्ष हैं मैंने उनको लिखा था और अन्य माननीय सदस्यों के बिन्दु भी मेरे पास हैं। मान्यवर, क्या सरकार प्रशंसा के योग्य

नहीं है आई0टी0 के क्षेत्र में अभी हम एक नवजात शिशु ही हैं मात्र तीन साल हुए हैं लेकिन हमारे आज लगभग इण्टरमीडिएट कॉलेजों में कम्प्यूटर लगे हैं, 15000 से अधिक शिक्षक माइक्रोसाफ्ट और इन्टेल से प्रशिक्षण ले चुके हैं। क्या यह कम गर्व की बात नहीं है कि यह राज्य पूरे देश में इण्टर कॉलेजों को कम्प्यूटरीकृत करने वाला पहला प्रदेश बन गया है। यह क्या सराहना की बात नहीं हैं ? यह इतना भी आसान कार्य नहीं था। कैसे इंटरनेट लगेगा ? लेकिन जहाँ पर भी इंटरनेट की सुविधा है वहाँ पर ये लगाये जायेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में इस सरकार की उल्लेखनीय प्रगति रही है हम इसे नॉलेज स्टेट के रूप में डेवलप कर रहे हैं आज शिखर परियोजना के माध्यम से रोजगारपरक शिक्षा के लिए 6500 से अधिक छात्र अध्ययनरत हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। क्या यह हमारे लिए गर्व की बात नहीं है कि आज हमारे तीन विश्वविद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी है, कुमायूँ, गढ़वाल तथा पंतनगर विश्वविद्यालय में आज डिजिटल लाइब्रेरी कार्य कर रही हैं। आज इसकी मांग कई महाविद्यालय भी कर रहे हैं।

मान्यवर, नॉलेज इज पावर, अर्थात् ज्ञान ही शक्ति है और इस नारे को हम निरन्तर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी क्षेत्र में डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। श्रीमन्, एक्सीलेंस एजुकेशन की बात मैं पहले भी कई बार यहाँ पर कर चुकी हूँ, हमने इसे बढ़ाने का कार्य ही किया है, एक्सीलेंसी लाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी ने कहा कि यहाँ पर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय खोल दिया, तो यह एक्सीलेंस एजुकेशन की ओर बढ़ना ही हैं।

मान्यवर, पेट्रोलियम विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र ने लगाया है। यदि हम उनसे कहें कि या तो आप पिथौरागढ़ या चम्पावत में विश्वविद्यालय खोलें अन्यथा यहाँ से जाएं, तो सम्भव था कि वे यहाँ पर न खोलते। हमने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने अपनी इच्छा से देहरादून को चुना। यदि सरकारी क्षेत्र का विश्वविद्यालय खुलता तो उसको हम दूरस्थ क्षेत्र में खोलने का प्रयास करते। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और इससे पहले के माननीय मुख्यमंत्री जी भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े हैं। हेमवती नन्दन बहुगुणा जी तो कहा करते थे कि यदि घर से बाहर जाकर पढ़ाई करेंगे तो आपका एक्सपोजर होगा।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, पेट्रोलियम विश्वविद्यालय का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए यहाँ पर इसकी चर्चा न की जाए तो उचित होगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, न्यायालय में विचाराधीन होने का बिन्दु अलग है। हम तो सिर्फ यह कह रहे हैं कि यह निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय है। हम उनसे कह सकते थे कि या तो दूरस्थ क्षेत्रों में विश्वविद्यालय खोलिए अन्यथा यहाँ से जाइए। लेकिन हमने ऐसा नहीं कहा। इसी प्रकार इक्फाई विश्वविद्यालय भी खुला। इसकी मेन ब्रांच हैदराबाद में है। उन्होंने दक्षिण भारत से यहाँ पर आकर विश्वविद्यालय खोला है। हम उनसे कहते कि यहाँ पर विश्वविद्यालय खोलना है तो ऊधमसिंह नगर या मसूरी में खोलिए अन्यथा यहाँ से जाइए।

यह उचित नहीं था, निजी क्षेत्र अपनी सुविधा के अनुसार ही पूँजी निवेश करेंगे। यदि हम इसे सरकारी स्तर पर खोल रहे होते तो अवश्य इसको दूरस्थ स्थान पर खोलते। शिक्षा का सेन्ट्रलाइजैशन होना चाहिए। जो लोग निजी क्षेत्र से आए हमको उन्हें स्थान देना पड़ा।

डिजिटल लाइब्रेरी के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़े हैं। आई0टी0 के क्षेत्र में बिल गैट्स तक यहाँ पर आए हैं, इसके साथ ही आई0बी0एम0 को भी हम यहाँ पर लाए। हमारे यहाँ आई0टी0 पार्क भी बना है। हम और भी चीजों में प्रयास कर रहे हैं, जो आगे दिखाई देगा। बहुत सी चीजों को हम ऑन लाईन कर रहे हैं, यह अभी पूरा नहीं हुआ है लेकिन इसमें 50–60 प्रतिशत काम हो गया है। संभवतः 2006 में यह दिखाई देगा। हम पी0डब्लू0डी0 को ऑन लाईन कर रहे हैं, जिससे दिखाई देगा कि कहाँ पर काम होना है। इस दिशा में काम हो रहा है। हमारे सचिव साहब ने कहा कि इसमें कुछ समय और दीजिए, यह जल्दी ही पूरा हो जाएगा। जहाँ तक कार्य की दृष्टि से विकास की बात है तो मैं समझती हूँ कि कई चीजों में हम आगे बढ़े हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ, मैं पर्यटन की बात कर रही हूँ। आज पर्यटन के क्षेत्र में हमारी ख्याति देश विदेश में है। जर्मनी और लन्दन के लोग भी हमें जानते हैं। लन्दन का एम्बेसेडर भी हमारे यहाँ आकर रुकता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देहरादून, पंतनगर, गोचर और नैनी सैनी में जो हवाई अड्डे बने हुए हैं, इनका विस्तार करने का काम हमारी सरकार कर रही है। पर्यटन को यदि बढ़ाना है तो यह आवश्यक है कि ट्रांसपोर्ट की सुविधा बढ़ाई जाय। पर्यटन को बढ़ावा देकर हम रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। यदि हम इंडस्ट्री लगाने के लिए सुविधाएं देंगे तभी यहाँ पर इंडस्ट्री लगेंगी, और रोजगार प्राप्त होगा।

ग्राम विकास और पंचायती राज में सबसे पहली चिन्ता रोजागर की होती है। कई लोगों ने कहा कि रोजगार के फर्जी आंकड़ें हैं। सरकारी सेवा में रोजगार के अवसर सीमित हैं। मान्यवर, स्वरोजगार और काम के बदले अनाज, गरीब मजदूर रोजगार गारन्टी योजना और 100 दिन रोजगार, इन्हीं सब के माध्यम से हम अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सुदृढ़ हो सके। आज सहकारिता की बात भी सदन में उठाई गई। दुग्ध सहकारी संघों द्वारा भी स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से डी0पी0ए0पी0 के माध्यम से और बंजर भूमि विकास के माध्यम से जो योजना संचालित है, बेरोजगार लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। आज पंचायतों से सभी गाँव जुड़े हुए हैं और जो ग्रामीण योजनाएं बनती है उन पर पंचायतों का अधिकार होता है।

प्रत्येक माननीय सदस्यों को स्वयं भी जानकारी होगी कि जो योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है उनकी जमीनी हकीकत क्या है ? उन योजनाओं पर ठीक से काम हो रहा है या नहीं ? विधायक होने के नाते आपका बराबर का हक है कि आप सरकार से पूछ सकते हैं। हमारी जवाबदेही भी है कि जो योजनाएं है वे जमीनी धरातल पर आकार लें। सरकार एक तरह से गार्ड का काम करती है कि जो योजनाएं है उन पर काम हो, यदि नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो जो सम्बन्धित

संस्थाएं हैं उनकी जवाबदेही होगी कि जो योजना थी उस पर काम क्यों नहीं किया गया। आप सबको पता भी है कि कहाँ कौन सा कार्य हो रहा है। इसके अतिरिक्त जहाँ तक धन की बात है तो हमें ए0डी0बी0 से पैसा प्राप्त हो रहा है बी0ए0डी0 से पैसा प्राप्त हो रहा है। अभी 200 करोड़ रुपये हमें गृह मंत्रालय से प्राप्त हुए हैं। वन अधिनियम के अन्तर्गत जो सड़कें आ रही हैं, उनके निर्माण के लिए भी सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है किस प्रकार से कोई सरल रास्ता निकाला जाए। मान्यवर, 100 सड़कें हमारी स्वीकृत हैं किन्तु पी0एन0बी0 के धन के कारण रुकी हुई हैं इस पैसे का हमें इंतजार है। यदि सुप्रीम कोर्ट में तय हो जाता है तो हमें पैसा नहीं देना पड़ेगा।

श्री प्रकाश पंत–

इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में कब तक हो जायेगा ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जल्द ही इसका हल निकल आयेगा ऐसी मुझे उम्मीद है। मैंने कल ही फोन किया। हो सकता है कि इसी महीने के अन्त तक हो जाए या फिर अगले महीने के प्रथम सप्ताह तक।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जिस तरह से पहले प्रथम वर्ष आपने किया था एक–एक करोड़ की सड़कों को मंजूरी दी थी किन्तु इस वित्तीय वर्ष में आपने नहीं दी।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, पहले आप पी0डब्ल्यू0डी0 का बजट पास करिये। आपका एक करोड़ या आधे करोड़ से काम नहीं चलेगा। मैं 2004–05 और 2005–06 दोनों को इस वर्ष जोड़ दूँगी (हँसी) हमारी सरकार विकास के लिए कटिबद्ध है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सर्वशिक्षा, तकनीकी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए सरकार पूरी जिम्मेदारी से काम कर रही है। वन एवं पर्यावरण की दृष्टि से 80 करोड़ रुपये बार्डर एरिया की सड़कों के लिए स्वीकृत किया गया है। जिससे सीमान्त क्षेत्र में रहने वाले लोगों को लाभ मिलेगा।

मान्यवर, बहुत सारे वन क्षेत्र में वृक्षारोपण और वन मार्गों का कार्य किया है। मान्यवर, टूरिज्म के क्षेत्र में भी हमने बहुत सारे कार्य किये हैं। मान्यवर, वन का जो 68 प्रतिशत क्षेत्र है उसको हमें सुरक्षित रखना है। मान्यवर, बांस, रिंगाल एवं चाराघास तथा वनस्पति रेशा के उत्पादन में वृद्धि किये जाने के लिए बांस व रेशा विकास प्राधिकरण की स्थापना की गयी है। मान्यवर, लगभग 3000 हेक्टेयर में बांस प्रजातियों का रोपण किया गया है। मान्यवर, हम ग्रामीण लोगों को इसके साथ जोड़कर सम्पन्न बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। मान्यवर, उत्तरांचल में बायोफ्यूल के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मान्यवर, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की अब तक 16 बैठकें हो चुकी हैं। शायद ही कोई ऐसा और राज्य होगा जहाँ इतनी बैठकें हुई हो। मान्यवर, हमने विगत तीन वर्षों में कृषि ऋण को

दुगुना करने का लक्ष्य रखा है, इसका लाभ भी कृषकों को मिल रहा है। मान्यवर, इसी तरह से आबकारी, परिवहन, अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 10 हजार करोड़ के विकास कार्य हो रहे हैं। वित्त, पेयजल, सिंचाई जलापूर्ति, सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग, पर्यटन, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा आदि के लिए भी इसमें प्राविधान है।

मान्यवर, सेतु की भारी माँग है और पुरानी सेतु की समीक्षा कर उनके सुदृढ़ीकरण और निर्माण की माँग की गयी है। मान्यवर, जैसा अभी थल का मामला है, इसकी जानकारी करेंगे। मान्यवर, स्पेशल कम्पोनेंट प्लान में भी सड़क निर्माण के लिए 40 करोड़ थे। नये निर्माण कार्यों के लिए अलग से प्राविधान है। एशियन डेवलपमेन्ट बैंक से काफी पैसा मांगा है। यह बैंक पहली अगस्त में छः सौ करोड़ रुपये देने जा रही है। मान्यवर, हम इस बैंक से ऋण इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनका ब्याज प्रतिशत न्यूनतम है, इसलिए हमने इस संस्था को चुना है। मान्यवर, विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के मानक एक ही तरह के हैं। मान्यवर, यदि वर्ष 2005 में 600 करोड़ रुपये ले लिये तो आपको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। मान्यवर, यदि कार्य करना है तो ऋण लेना होगा, तभी कार्य होंगे। मान्यवर, दो, डेढ़, ढाई प्रतिशत ऋण लेना होगा, ऋण को वापस भी करना है, संतुलित विकास भी करना है। अभी उत्तर प्रदेश ने 8 हजार करोड़ रुपया ऋण प्राप्त किया 6 सौ करोड़ की पहली किस्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं और 2 हजार की सड़क तब मंजूर होगी जब पैसा होगा।

मान्यवर, ऊर्जा के क्षेत्र में आप सब ने काफी आंकड़ें दिये। 5307 मेगावाट निर्माणाधीन हैं जल विद्युत परियोजनायें, जिसके पास जल है उसकी क्षमता अधिक हैं, हम 24 घण्टे बिजली देने में सक्षम हो जायेंगे और पड़ोसी राज्यों को बिजली बेचकर ऊर्जा राज्य बन जायेंगे। पर्यटन क्षेत्र बनायेंगे, हमारा हर घर रोजगार के क्षेत्र में पर्यटन से जुड़ जायेगा। हम हर्बल प्रदेश बनायेंगे। मान्यवर, अर्बन डेवलपमेण्ट बैंक से पैसा प्राप्त हुआ है। पेयजल हमारी आवश्यकता है, यह सत्य है कि बहुत जगह ड्रिलिंग नहीं हो पा रही है, इलेक्ट्रॉनिक ड्रिलिंग करनी है, किसी न किसी ढंग से हैण्ड पम्प लगायेंगे, ट्यूबवेल लगायेंगे। मान्यवर, इन्फ्रास्ट्रक्चर में सड़क, पानी, बिजली और उसके बाद स्वास्थ्य और शिक्षा हमारी मूलभूत आवश्यकतायें हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, पेयजल में आपने 23 करोड़ से 22 करोड़ रुपया कर दिया।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मदवार चर्चा में आपको जानकारी देंगे। मान्यवर, 2 हजार हैण्डपम्प स्वीकृत किये।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आपने 23 करोड़ से 22 करोड़ कर दिया है, आपकी कितनी अच्छी चिन्ता है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जब बजट आयेगा तो आपको पता चल जायेगा कि किस ढंग से पै मिल रहा है। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने चिन्ता व्यक्त की कि पूरा बजट क्यों नहीं लाये औ आपने एक महीने का लेखानुदान क्यों पारित कराया तो इसलिए पारित कराना पड़ा f काल्पनिक न हो, यह व्यवस्था का एक अंग है।

मान्यवर, पेयजल की दृष्टि से देखें तो एक ही उपाय से काम नहीं चलेगा, ह तो सूखे हैण्डपम्प को भी देखना होगा, बहुत हिसाब से देखना होगा, यह नहीं f खुशी–खुशी लगा दिया हमने। नीचे जल स्रोत संरक्षित है या नहीं। मान्यवर, इसकी खो भी करनी होगी। हमारी राज्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई।

डब्ल्यू, आई0एम0ए0एक्स0 जिसका जिक्र अधिष्ठाता जी ने भी किया। जिस बिना तार के राज्य में संयोजकता (कनेक्टीविटी) स्थापित हो सके। यह आधुनिकत तकनीक है और इसके लिए इन्टेल के साथ समझौता किया जा चुका है। इस योजना व अन्तर्गत हम राज्य में निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा प्रदान करने का प्रयास करेंगे। इस हमारे दूरस्थ स्थानों को विशेष लाभ पहुँचेगा। उत्तरांचल इस तकनीक को लागू कर वाला देश के प्रथम राज्यों में होगा और इन्टरनेट की सुविधा से प्रत्येक सघन आबाद का क्षेत्र जुड़ सके। यह हमारी परिकल्पना है।

औद्योगिक विकास के बारे में भी काफी चिन्ता की गई है। इसके अन्तर्ग हरिद्वार, देहरादून, पंतनगर, सितारगंज आदि स्थानों पर विकास कार्य किये जा रहे हैं हरिद्वार में लगभग 200 एकड़ क्षेत्र विकसित है। इसमें लगभग 2100 करोड़ पूँजी निवेश होगा, जिसमें 29 हजार स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, महामहिम ने 27 हजार लोगों को नौकरी मिलेगी कहा है। मान्यवर उद्योग लगे ही नहीं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसमें हरिद्वार में उद्योग लग गये। जब महामहिम का अभिभाषण आय था, तब संख्या 27 थी अब यह बढ़कर 29 हो गयी है।

श्री प्रकाश पन्त–

आपका कहना है कि 2900 को नौकरी मिल गई है दोनों विषय अलग–अलग हैं। यह आपका अभिभाषण है, अभिभाषण में जिक्र है कि 27000 लोगों को नौकरी दे दी जायेगी। नेता सदन ने बताया कि लगभग 21 सौ करोड़ का पूँजी निवेश होगा और 29 हजार रोजगार सृजित होंगे।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी अपनी बात को सही मान रही हैं। माननीय प्रकाश पंत जी ने आंकड़े दिये इसका मतलब यह हुआ कि सरकार हमको गलत सूचना दे रही है, तो ऐसा नही होना चाहिए।

श्री प्रकाश पन्त--

मान्यवर, चूंकि यह सदन की सम्पत्ति बन गई है। दोनों अभिभाषण भी और भाषण भी 31 मार्च, 2006 तक है। मान्यवर, ये जो आंकड़ें रखे गये है ये अगले वित्तीय वर्ष के है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश--

मान्यवर, जब विभागवार चर्चा हो, उस समय आप बोलें। मैंने आपको धैर्य से सुना था, आप भी धैर्य से सुनिये।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया विभागवार चर्चा में आप इसे उठाएं।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश--

मान्यवर, ये प्राइवेट उद्योग हैं। इसके आँकड़ें घटते--बढ़ते रहते हैं। (व्यवधान) ये निजी उद्योग हैं। कोई 200 रख लेता है, कोई 2000 रख लेता है। मान्यवर, पंतनगर में..

श्री मातबर सिंह--

मान्यवर, यदि ये आँकड़ें अनुमानित हों तो मैं इसे मान लूँगा।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश--

मान्यवर, ये अनुमानित आँकड़ें हैं। इस पर बहस बेकार है। ये दोनों आँकड़ें अनुमानित हैं। आप कह रहे हैं कि पहले 27 हजार था, अब 29 हजार कैसे हो गये। ये अनुमानित आँकड़ें है।

श्री मातबर सिंह--

मान्यवर, यदि ये आँकड़ें अनुमानित है तो मैं मान लूँगा मगर माननीय मंत्री जी ने कहा कि सरकार जो कहती है, सही कहती है। इस पर मेरी आपत्ति है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह चुकी हैं कि विभागवार चर्चा में इसका जवाब दिया जायेगा। माननीय मंत्री जी आप कृपया अपना भाषण जारी रखें।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश--

मान्यवर, उस समय 27 हजार थे आज 29 हजार हो गये हैं। इसमें कोई त्रुटि नहीं है। सही आँकड़ें प्रस्तुत किये जा रहे हैं। मान्यवर, पंतनगर में 34 एकड़ भूमि में, 1500 एकड़ भूमि में उद्योगों का विकास किया जा रहा है, 8000 को यहाँ रोजगार मिलना सम्भावित है। सिडकुल के माध्यम से हमने उनको एक कागज भेजा था जिसमें कहा गया है कि जितने लोगों को आप रोजगार दें उसकी सूची सेवायोजन कार्यालय को उपलब्ध करा दें। मान्यवर, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में माननीय पुष्पेश त्रिपाठी जी ने कहा। उनकी इस

क्षेत्र में रूचि होगी। पंतनगर में बायो पार्क के विकास के लिए 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। मिस्टर पालनी इसके हेड है। आप उनसे जरूर मिलें, वे बहुत अच्छे व्यक्ति है। अभी इसमें कम लोग रखे गये है यदि ज्यादा लोग रखे जाते तो इसकी किरणें ज्यादा तेजी से फैलती। इससे फूलों की खेती को प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, एक बाटेनिकल गार्डन की आवश्यकता होगी। उसे भी खुलवा दें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसी तरह प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी काम हुआ है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को प्राथमिकता दी गयी है। सुपर स्पेशलिस्ट डाक्टरों की बात कही गयी है। पर्वतीय क्षेत्रों में तैनाती हेतु उन्हें अधिक वेतन देने की बात भी कही गयी है। यदि तब भी पूरे क्षेत्र में डाक्टर नहीं पहुँच पाते तो इस पर चिन्तन और विचार करना होगा। सभी क्षेत्रों में ए0एन0एम0 की व्यवस्था हो और महिला चिकित्सालयों के बारे में जैसा अभी हमारी बहन ने बताया तो सुदूर अंचलों में ए0एन0एम0 की सुविधायें हों ऐसा हमारा प्रयास है।

पर्यटन के क्षेत्र में हमारे प्रदेश को बेस्ट परफार्मिंग स्टेट का पुरस्कार मिला है, प्रत्येक गाँव को पर्यटन से जोड़कर और पर्यटन से रोजगार को जोड़कर घर–घर रोजगार मुहैया कराने का प्रयास हमारा है। मान्यवर, इसके लिए परिषदों एवं द्वारा बुग्याल को विकसित करने और माउन्टेनियरिंग एअर लाइन फीजिबिलिटी को अध्ययन करने के लिए पैसा दिया गया है। समाज कल्याण की योजनायें जो कि आम जनता के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। उसमें वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा जनता को लाभ मिल रहा है। इसका लाभ सभी और सही लोगों को मिले, लाभ उन तक पहुँचे कई लोगों ने कहा कि इसकी समीक्षा करनी चाहिए तो इसकी समीक्षा करने के लिए कैबिनेट की एक समिति बनी है जो समय–समय पर बैठकें करती है और इसके समाधान का प्रयास करती है। अभी तक इसकी 4 बैठकें हो चुकी हैं और इसकी और अधिक बैठकें करने की आवश्यकता है।

अल्पसंख्यकों के हितों को देखते हुए कलियर में हज हाउस की स्थापना की जा रही है और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए मदरसों के आधुनिकीकरण का प्रावधान है और मुस्लिम एजूकेशन मिशन के लिए भी उसकी स्थापना किये जाने का प्रावधान है। इसी तरह से सैनिक कल्याण के लिए पूर्व सैनिकों के आश्रितों, स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों के उत्थान, सम्मान और अन्य सहायता के लिए भी बजट में प्राविधान किया गया है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, संस्कृत विद्यालयों के लिए कुछ नहीं दिया गया है आज उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई है। अधिकांश विद्यालयों में अध्यापक नहीं हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसे हम कैसे मान लें ? मेरी जानकारी में ऐसी बात नहीं है, संस्कृत विद्यालयों में सभी जगहों पर अध्यापक हैं।

श्री अधिष्ठाता–

कौशिक जी, भाषण पूरा होने दें, आप इसे स्पष्टीकरण में पूछ सकते हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मुझे इस बात की जानकारी है, इस समय कई संस्कृत विद्यालयों में अध्यापक नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मात्र मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में देखा जाय तो 100 प्रतिशत अध्यापक हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मेरे जानकारी में तो है, आप इसे दिखवा तो लें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसको दिखवा लेंगे।

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष ने जो चिन्ता व्यक्त की थी, मैंने उन्हें नोट किया उनकी पहली चिन्ता ऋणग्रस्तता को लेकर थी दूसरी चिन्ता जो उन्होंने व्यक्त की वह बन्द पड़ी इकाइयों के बारे में थी तीसरी औद्योगिक विकास और चौथी मितव्ययिता के बारे में थी कि विदेश भ्रमण कम करें और नई–नई गाड़ियाँ न खरीदी जायं। एक बात और आपने कही कि लेखानुदान लाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हमारा नया राज्य है और शुरु से ही हमारा प्रयास रहा है कि सार्थक और यथार्थ बजट यहाँ पर लाया जाय इसलिए हमने 12वें वित्त आयोग की संस्तुतियों की प्रतीक्षा की क्योंकि हम काल्पनिक बजट इस प्रदेश को नहीं देना चाहते थे। हम यथार्थपरक बजट लाना चाहते थे और ऐसा अन्य राज्यों में भी होता है। केन्द्र सरकार में भी यह होता है वहाँ पर भी एक माह का लेखानुदान लाया जाता है हमारा प्रयास था कि हम यथार्थता के साथ यहाँ पर बजट प्रस्तुत करें।

आपने जो बन्द इकाइयों के बारे में प्रश्न किया था हिल्ट्रान के बारे में और जसपुर और काशीपुर की कताई मिलों के बारे में था तो वहाँ की कताई मिलों में वी0आर0एस0 की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है। मान्यवर, इन मिलों की सम्पत्तियाँ सिडकुल द्वारा प्राप्त कर ली गयी हैं। इनको पुनर्जीवित करने के लिए विभिन्न संगठनों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की कई मीटिंग हो चुकी हैं। हल्दूचौड को उत्तर प्रदेश से प्राप्त कर लिया गया है। हिल्ट्रान द्वारा भी कार्य किया जा रहा है। पावर कारपोरेशन भी इसके लिए प्रयास कर रहा है कि हिल्ट्रान घाटे में न चले और इससे लोगों को रोजगार मिले। हमारे यहाँ जो मृत प्राय इकाईयाँ थीं, माननीय मुख्यमंत्री जी को उनकी चिन्ता थी क्योंकि यह सब माननीय तिवारी जी के समय में स्थापित हुई थीं, ये माननीय तिवारी जी के बच्चों के समान हैं। इसलिए ये फिर से शुरू हो रही हैं। एच0एम0टी0 में भी कई लोगों को वी0आर0एस0 मिल गया है और कोशिश की जा रही है जिन घड़ियों की बिक्री ज्यादा हो सकती है, ऐसी घड़ियाँ वहाँ पर बनायी जाएं। माननीय तिवारी जी का प्रयास है कि यह बन्द होने के कगार पर न आए।

आपने मितव्ययिता के बारे में कहा। हम कितनी बार विदेश गए हैं ? मैं तो कहती हूँ कि पूरी विधान सभा को विदेश जाना चाहिए। यह जानना चाहिए कि कैसे वहाँ पर सिर्फ 3 प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मैं विदेश नहीं जाऊँगा। मैं यह कहना चाहती हूँ कि आपको विदेश अवश्य जाना चाहिए क्योंकि यदि कल को कहीं गलती से आपको राज्य चलाने का मौका मिला गया तो आप इसे कैसे चलाएंगे।

मान्यवर, सबसे कम बेरोजगारी चीन में है, जबकि वहाँ की आबादी हमसे ज्यादा है। बच्चे होली में जिस पिचकारी से खेल रहे थे, वह भी चीन से बन कर आयी थी। हम तो कहेंगे कि आपको यह प्रस्ताव करना चाहिए कि चीन के क्रान्तिकारी विकास का अध्ययन करने के लिए आप चीन जाएं। आपने तो माननीय अजय भट्ट जी को भी जाने से मना कर दिया। किंवदंती भी है कि राम ने कहा कि रावण के पास जाकर कुछ सीखो, क्योंकि उसके पास ज्ञान है। कण्डारी जी, हम आपको विदेश ले जाएंगे क्योंकि इससे एक्सपोजर होता है। जब विधान सभा की कमेटी विदेश जाएगी तो उसमें हम आपको ले जाएंगे। मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम विदेश जाएंगे। इसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च होता है। अन्य कई चीजों में हम मितव्ययिता बरत सकते हैं। ज्ञान के लिए मितव्ययी होने की आवश्यकता नहीं है।

गाड़ियों के बारे में आपने कहा, आपको पता है कि जब तक पुरानी गाड़ी नहीं बेच दी जाती, तब तक नयी गाड़ी नहीं ली जाती।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मेरी प्रार्थना यह थी कि जिन विभागों के पास 4–5 गाड़ियां पड़ी हैं, वे फिर नई गाड़ी ले रहे हैं। ऐसी व्यवस्था पर आप रोक लगाएं, यह मेरा कहना था।

श्रीमती इन्दिर हृदयेश–

मान्यवर, जहाँ पर पुरानी गाड़ी के बदले नई गाड़ी ली जाती है, यह निर्देश हैं कि पहले पुरानी गाड़ी को ऑक्शन कीजिए, तब नई गाड़ी मिलेगी। वित्त विभाग ने इस सम्बन्ध में कई विभागों की माँग पर क्वैरी लगाई है। आपने कहा कि आप बजट में सड़क, पेयजल और ऊर्जा को प्राथमिकता दे रहे हैं।

मान्यवर, इन्फ्रास्ट्रक्चर ऊर्जा, पेयजल स्वास्थ्य, शिक्षा सदैव प्राथमिकता में रहेगी यह इन्फ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि हम इसमें कभी कम करते हों। आपने कहा कि माननीय विधायकों से सुझाव माँगें जाने चाहिए। मान्यवर, आपके जो सुझाव सदन के माध्यम से या फिर सदन की समितियों के माध्यम से प्राप्त होते है और आपके द्वारा प्रश्नों के माध्यम से जो सुझाव रखे जाते हैं, उनका भी इसमें समायोजन होता है। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपना बजट भाषण समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप बजट पास करने में हमारा सहयोग करेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी माननीय मंत्री जी का उत्तर भाषण पूरा हो गया है और आपसे अपेक्षा है कि आप अपना भाषण स्पष्टीकरण पूछने तक ही सीमित रखें।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के लिए 187 की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसमें उल्लिखित है कि आय–व्ययक प्रस्तुत किये जाने के कम से कम दो दिन बाद अध्यक्ष द्वारा नियत दिनों पर आय–व्ययक पर या उसमें अन्तर्ग्रस्त सिद्धान्तों के किसी प्रश्न पर साधारण चर्चा सामान्यतया 6 दिन होगी, किन्तु इस प्रक्रम पर कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायेगा और न ही आय–व्ययक सदन में मतदान के लिए रखा जायेगा। दूसरी बात मान्यवर, मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप वहाँ विराजमान है और हम यह चाहेंगे कि आप सदैव वहाँ पर विराजमान रहें। बहुत से माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश विधान सभा के भी सदस्य रहे हैं। वहाँ पर हमें चर्चा में भाग लेने का सुअवसर नहीं मिल पाता था, किन्तु जब हमें यहाँ पर यह अवसर प्राप्त होता है और हम सबकी यही भावना है कि उत्तरांचल का चहुँमुखी विकास हों। एक जन प्रतिनिधि होने के नाते हमारा यह दायित्व भी है कि उत्तरांचल का चहुँमुखी विकास हों। यह जो बजट भाषण में आँकड़ें है वह आँकड़ें तक ही सीमित न रहे। बजट भाषण में जो बातें लिखी गई है उनको वास्तविकता के धरातल पर भी उतारना चाहिए। आपने कहा कि हमने राज्य के लिए ऐतिहासिक कार्य किये हैं विकास की गंगा बहाई है। किन्तु लगता है कि विकास की उल्टी गंगा बह रही है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। जब कि गंगा, यमुना, शारदा का उदगम स्थान यही उत्तरांचल है। मान्यवर, एक बात और आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि यह जो राजकीय फल उद्यान है, राजकीय कृषि फार्म, राजकीय आलू फार्म, रेशम फार्म है यह सब आज घाटे में चल रहे हैं कितना अच्छा होता कि यह लाभ की स्थिति में होते और यह राज्य के राजस्व बढ़ाने में मददगार होते।

मान्यवर, कम्प्यूटर की बात यहाँ पर की गई, हम जब किसी विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ पर कम्प्यूटर तो हैं किन्तु बिजली की समस्या है, वहाँ पर बिजली नहीं है। आप कहेंगे हमने जनरेटर दे रखा है, उसको चलाने के लिए मान्यवर, जनरेटर दिये गये हैं, वे सब खराब हैं, मान्यवर, इन कम्प्यूटरों को देने से हमें क्या फायदा हुआ, यदि फायदा हुआ होता हम इसे स्वीकार करते। मान्यवर, क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों में सुधार करने की बात करेंगे तो इसमें सुधार होगा।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में हैण्ड पम्प लगाने का सर्वप्रथम मेरा प्रयास था जब मैं पर्वतीय राज्य मंत्री था तो सर्वप्रथम यह प्रयास मैंने किया। मान्यवर, जल निगम और जल संस्थान से बात करते हैं कि इन हैण्ड पम्पों को ठीक कराया जाय तो वे कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। आज अधिकांश हैण्ड पम्प पानी नहीं दे रहे हैं। मान्यवर, यह आलोचना नहीं है यह समालोचना है। मान्यवर, जो बजट आप पास करते हैं उसका धरातल पर वास्तविक सदुपयोग होता है या नहीं यह देखना चाहिए। मान्यवर, पिछले साल मैंने यहाँ पर भारत सरकार के ग्राम्य विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री का पत्र पढ़ा था जिसमें उल्लेख था कि हमने उत्तरांचल को जितना पैसा प्रधान मंत्री ग्राम्य सड़क योजना के अन्तर्गत दिया था, उसका यूटीलाइजेशन नहीं हुआ, पत्र में उल्लेख था जब

तक आपने यह पैसा सदुपयोग नहीं किया तब तक यह धन नहीं मिलेगा। मान्यवर, कुछ इसी तरह का पत्र वरूणावत पर्वत ट्रीटमेंट से सम्बन्धित भी था। मान्यवर, इसीलिए मेरा सुझाव है कि सरकार बजट पर ध्यान दे।

मान्यवर, जैसा कि अभी यहाँ पर बताया गया है कि बैंकर्स की वहाँ पर 16 बैठकें हुई हैं। इस सम्बन्ध में, मैं कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति ऋण लेने के लिए जाता है, उनके दिल से पूछिये। वे कहते हैं हम अधर में लटक गये हैं, बैंक से ऋण लेने से असुविधा हो रही है। जो भाई–बहन उद्योग लगाना चाहते हैं उनको बैंक आसानी से ऋण नहीं दे रहा है और विकास कार्य में बाधा पड़ रही है। मान्यवर, यदि किसी मंत्री के पास उत्तरांचल की जनता का कोई ऐसा प्रशंसनीय पत्र जाता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो आप बधाई के पात्र हैं, यदि इस तरह का पत्र नहीं आता है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। मान्यवर, आपको जनता के प्रति गम्भीर होना चाहिए और जनता का उत्पीड़न रोकना चाहिए। मान्यवर, यह बजट जनभावनाओं के अनुरूप नहीं है, भ्रष्टाचारमुक्त नहीं है, इसलिए यह बजट उत्तरांचल की जनता के हित में नहीं है, जो जनता के हित में बनना चाहिए था, इसलिए मैं इस पर बल देता हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो बिन्दु उठाया था। जैसा कि आप भिज्ञ हैं कि सदन अपने कार्य को विनिश्चय करने के लिए सदन की जो कार्य–मंत्रणा समिति है, उसकी सिफारिश पर 2 दिन सामान्य चर्चा निश्चित हुई थी, मैं समझता हूँ कि आप सहमत होंगे।

आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा समाप्त हुई।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

आज नियम 51 के अन्तर्गत श्री हरबंश कपूर, डा0 नारायण सिंह जंतवाल, श्री काशी सिंह ऐरी, श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्री तसलीम अहमद, श्री अजय भट्ट, श्री महेन्द्र प्रसाद, श्री प्रकाश पंत, श्री नारायण पाल जी की कुल 9 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से देहरादून में स्थित विभिन्न मलिन बस्तियों में ढीली विद्युत तारों का मकान के ऊपर से होकर गुजरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री हरबंस कपूर जी की सूचना को नियम 51 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ और शेष सूचनायें अस्वीकार की गई।

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे तक के लिए।

(इसके बाद सदन की कार्यवाही 7 बजकर 30 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

देहरादून : महेश चन्द्र,

दिनांक : 29 मार्च, 2005 सचिव,

विधान सभा, उत्तरांचल।

संलग्नक

नत्थी "क"

(देखिए अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं0 1 का उत्तर पृष्ठ सं0 2 पर।)

योजना का नाम : अनुसूचित जाति शादी–बीमारी अनुदान

माह– फरवरी 2005 धनराशि लाख रुपये में

क्रम सं0	जनपद का नाम	वार्षिक लक्ष्य		01.04.2004 का अवशेष	प्राप्त आवंटन		योग 5+6+7	माहान्त तक क्रमिक व्यय		योग	लाभार्थी संख्या		कुल लाभार्थी	कुल व्यय का प्रतिशत	
		वित्तीय	भौतिक		प्लान	नॉन प्लान		प्लान	नॉन प्लान		प्लान	नॉन प्लान		वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	पौड़ी गढ़वाल	11.00	330	0.00	9.94	0.08	10.02	9.94	0.08	10.02	199	4	203	100	62
2.	टिहरी गढ़वाल	6.00	90	0.00	3.19	0.08	3.27	1.62	0.00	1.62	22	0	22	50	24
3.	चमोली गढ़वाल	10.00	300	0.00	3.62	0.08	3.70	3.20	0.00	3.20	123	0	123	86	41
4.	रुद्रप्रयाग	10.00	300	0.00	3.62	0.08	3.70	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
5.	उत्तरकाशी	4.40	100	0.00	4.38	0.08	4.46	1.46	0.00	1.46	29	0	29	33	29
6.	देहरादून	10.00	300	0.00	3.17	0.10	3.27	3.17	0.00	3.17	38	0	38	97	13
7.	हरिद्वार	34.00	440	0.00	12.66	0.10	12.76	12.66	0.10	12.76	166	1	167	100	38
8.	नैनीताल	8.00	100	0.00	5.42	0.06	5.48	5.42	0.06	5.48	3	75	78	100	78
9	अल्मोड़ा	20.00	425	0.00	9.04	0.06	9.10	9.04	0.06	9.10	1	165	166	100	39
10.	पिथौरागढ़	7.00	190	0.00	6.33	0.06	6.39	6.33	0.06	6.39	120	4	124	100	65
11	बागेश्वर	33.00	990	0.00	14.28	0.06	14.34	14.28	0.06	14.34	3	166	169	100	17
12	चम्पावत	8.00	86	0.00	7.23	0.06	7.29	7.23	0.00	7.23	86	0	86	99	100
13	ऊधम सिंह नगर	30.00	300	0.00	27.12	0.10	27.22	27.12	0.10	27.22	276	1	277	100	92
	योग	191.40	3951	0.00	110.06	1.00	111.00	101.47	0.52	101.99	1066	416	1482	92	38

योजना का नाम : निराश्रित विधवाओं की पुत्री की शादी हेतु अनुदान

माह— फरवरी 2005

क्रम सं0	जनपद का नाम	वार्षिक लक्ष्य		01.04.2004 का अवशेष	प्राप्त आवंटन		योग 5+6+7	माहान्त तक क्रमिक व्यय		योग	लाभार्थी संख्या		कुल लाभार्थी	कुल व्यय का प्रतिशत	
		वित्तीय	भौतिक		प्लान	नॉन प्लान		प्लान	नॉन प्लान		प्लान	नॉन प्लान		वित्तीय	भौतिक
1.	पौड़ी गढ़वाल	1.00	10	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.60	0	6	6	100	60
2.	टिहरी गढ़वाल	0.90	9	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
3.	चमोली गढ़वाल	1.20	12	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
4.	रूद्रप्रयाग	0.50	5	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
5.	उत्तरकाशी	3.00	30	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
6.	देहरादून	2.00	20	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.60	0	6	6	100	30
7.	हरिद्वार	5.00	50	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.60	0	6	6	100	12
8.	नैनीताल	1.00	10	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0	5	5	100	50
9	अल्मोड़ा	2.00	20	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0	5	5	100	25
10	पिथौरागढ़	1.50	15	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.60	0	6	6	100	40
11	बागेश्वर	11.00	110	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0	5	5	100	5
12	चम्पावत	0.80	8	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0	5	5	100	63
13	ऊधमसिंह नगर	1.00	10	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0	5	5	100	50
	योग	30.90	309	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	4.90	4.90	0	49	49	70	16

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 में जनपदवार लाभार्थी संख्या का विवरण

क्रमांक	जनपद का नाम	लाभार्थी संख्या
1.	पौड़ी गढ़वाल	541
2.	टिहरी गढ़वाल	719
3.	चमोली	580
4.	रुद्रप्रयाग	235
5.	उत्तरकाशी	635
6.	देहरादून	880
7.	हरिद्वार	800
8.	नैनीताल	688
9.	अल्मोड़ा	1155
10.	पिथौरागढ़	758
11.	बागेश्वर	600
12.	चम्पावत	422
13.	ऊधमसिंह नगर	1200
	योग	9213

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 में जनपदों को वितरित धनराशि एवं लाभार्थी संख्या का विवरण

क्र0सं0	जनपद का नाम	आवंटित धनराशि (रु0 लाख में)	लाभार्थी
1.	पौड़ी गढ़वाल	47.51+1.09	475+11
2.	टिहरी गढ़वाल	47.51	475
3.	चमोली गढ़वाल	47.51	475
4.	रुद्रप्रयाग	23.50	235
5.	उत्तरकाशी	47.51	475
6.	देहरादून	47.51	475
7.	हरिद्वार	47.53	475
8.	नैनीताल	47.53	475
9.	अल्मोड़ा	47.53	475
10.	पिथौरागढ़	45.00	450
11.	बागेश्वर	47.51	475
12.	चम्पावत	42.20	422
13.	ऊधमसिंह नगर	47.54	475
	योग	585.89	5857

(रुपये पाँच करोड़ पिचासी लाख नवासी हजार मात्र)

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 में जनपदों को वितरित द्वितीय किश्त की धनराशि विवरण

क्रमांक	जनपद का नाम	आवंटित धनराशि (रु0 लाख में)
1.	पौड़ी गढ़वाल	6.58
2.	टिहरी गढ़वाल	24.14
3.	चमोली गढ़वाल	10.49
4.	रुद्रप्रयाग	—
5.	उत्तरकाशी	15.99
6.	देहरादून	40.47
7.	हरिद्वार	32.47
8.	नैनीताल	21.29
9.	अल्मोड़ा	67.97
10.	पिथौरागढ़	30.80
11.	बागेश्वर	12.49
12.	चम्पावत	—
13.	ऊधमसिंह नगर	72.48
	योग	335.17

(रुपये तीन करोड़ पैंतीस लाख सत्रह हजार मात्र)

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 13 विधान सभा/687–17–3–2007–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर/रीजियो)।